खण्ड-358, अंक-1
गुरूवार, 28 श्रावण, शक संवत् 1904
(19 अगस्त, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 358 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 19 अगस्त, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 405

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल	कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा	कल्याण सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
अजहर इमाम, श्री	मिर्जापुर	कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
अनवार खां, श्री	अलीगढ़	कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फरुंखाबाद	कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़	कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर	कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर	कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
		कृष्णदत्त (उर्फ बालराज), श्री	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर	कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	कृष्णवीर सिंह, श्री	बदायूं
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
अलमेलू अम्माल, कुमारी	बस्ती	केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
अशफाक अहमद अंसारी, श्री	बरेली	केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद	केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा	केशोराम, श्री	बदायूं
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	कैलाश चन्द्र, श्री	एटा
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच	कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
		कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद	खरपत, श्री	वाराणसी
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैय्या)	खीरी	खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
		खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा	खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा	खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
उग्दल, श्री	वाराणसी	ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय	गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
		गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा	गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर	गया सिंह, श्री	उन्नाव
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा	गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री	लखनऊ	गुलाम नबी, श्री	आगरा
कमला दरियाादी श्रीमती,	कानपुर	गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
कमला देवी श्रीमती,	हरदोई	गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा

गोपीनाथ दीक्षित, श्री उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री इटावा
गोवर्द्धन तिवारी, श्री अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री बलिया
चन्दन सिंह, श्री मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 बांदा
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री मेरठ
चरनजीत सिंह, श्री पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री बरेली
छत्तर सिंह, श्री बुलन्दशहर
छेदी लाल, श्री गोंडा
जंग बहादुर, श्री जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री फतेहपुर
जगदीश सिंह, श्री शाहजहांपुर
जगदीश सिंह, यादव, श्री मैनपुरी
जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री खीरी
जमुना प्रसाद, श्री बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री मेरठ
झिलमिट राम, श्री गाजीपुर
तपेश्वर, श्री आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री खीरी
तेज बहादुर गंगवार, श्री पीलीभीत
तेज बहादुर सिंह, श्री जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री जालौन
दलजीत सिंह, श्री रामपुर
दल सिंगार, श्री आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री बस्ती

दीना नाथ, श्री बस्ती
दीपक कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री देहरादून
धनीराम वर्मा, श्री इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती वाराणसी
धरमपाल, श्री बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री बुलन्दशहर
धूप राय, श्री देवरिया
नकली सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री देवरिया
नन्द राम, श्री बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रगाल, श्री हरदोई
नाजिर अली, श्री शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) बलिया
निर्मल खत्री, श्री फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री गोरखपुर
परमाई लाल, श्री हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री सीतापुर
पहलवान, श्री जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री प्रतापगढ़

प्रभू नारायण सिंह, श्री जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
प्रियदर्शी जेतली, श्री फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती लखनऊ
फखरे आलम, श्री बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री गोरखपुर
बंशीधर, श्री रामपुर
बंशीधर राज, श्री खीरी
बच्चा पाठक, श्री बलिया
बदन सिंह, श्री आगरा
बनवारी राम, श्री वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री इटावा
बलवीर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
बलबीर सिंह, श्री रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री पीलीभीत
बाबू लाल, श्री गोंडा
बाबू लाल, श्री हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डा0 देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री उन्नाव
भगवान दीन कुशवाहा, श्री कानपुर
भागीरथ, श्री झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री देवरिया
भीखा लाल, श्री उन्नाव
भीम सिंह, श्री मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री गाजियाबाद
भूपसिंह केन, श्री गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री बलिया
मंगलदेव, श्री गोंडा
मण्डलेश्वर सिंह, श्री आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री बस्ती
मंजूर अहमद, श्री मेरठ
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री बस्ती
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) गोंडा
महाबीर सिंह, श्री सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती इटावा
महेश उपाध्याय, श्री आगरा
महेश चन्द्र, श्री मेरठ
महेश प्रसाद, श्री देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री बस्ती
माधव प्रसाद, श्री फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मान बहादुर, श्री गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री गोरखपुर
मित्रसेन, श्री फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री बदायूं
मुईद अहमद, श्री सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मेंहदी असगर, श्री मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री कानपुर
मोहन लाल, श्री हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोंडा
रघबीर सिंह यादव, श्री मैनपुरी
रती राम, श्री बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री इलाहाबाद

रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरायन, एडवोकेट, श्री	गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन,	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, (उर्फ मणि जी), श्री	इलाहाबाद
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	बांदा
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
बृद्धि नारायन सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़

शरीयतुल्ला, श्री मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री बांदा
शिव दर्शन, श्री रायबरेली
शिव नरेश, श्री बांदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा कुंवर कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री उन्नाव
शिव बालक, श्री रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री बिजनौर
श्याम नारायन तिवारी, श्री गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री वाराणसी
संजय सिंह, श्री सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री शाहजहांपुर
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री नैनीताल
सन्त बक्स रावत, श्री लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री मथुरा
साहब सिंह, श्री गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री शाहजहांपुर
सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद

सुखदा मिश्रा, श्रीमती इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर
सुनील शास्त्री, श्री गोरखपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
सुरेन्द्र दत्त पालीवाल, श्री जालौन
सुल्तान सिंह, श्री मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री मैनपुरी
सूरजभान, पंडित अलीगढ़
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री बुलन्दशहर
हंस राज सिंह वर्मा, श्री एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री सीतापुर
हरदेव, श्री बलिया
हरनरायन सिंह, श्री रायबरेली
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री उन्नाव
हरिबंश सहाय, श्री देवरिया
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री कानपुर
हरीशंकर, श्री हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
हेम चन्द निमेष, श्री मेरठ

कतिपय विषय

श्री हुकूम सिंह–

मुख्यमंत्री जी का त्यागपत्र हो गया है सीट खाली है ।

श्री रियासत हुसैन–

कहीं बाल्टी बाबा ने मुख्य मंत्री को तोता-मैना बनाकर कैद तो नहीं कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

भगवान की कृपा है कि आप आदमी की शक्ल में बैठे हैं ।

श्री मुख्तार अनीस–

संजय मंच में शामिल हो गये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो पहला प्रश्न स्थगित किया गया है इस संबंध में प्रश्नोत्तर काल के बाद व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का प्रश्न न उठायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने सूचना दी है प्रश्नोत्तर काल के बाद प्रस्तुत करूंगा ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 19 अगस्त, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

[2रे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

खलीलाबाद, जनपद बस्ती के सीमेन्ट स्टाकिस्टों को सीमेन्ट का वितरण

*2–श्रीमती कमला साहनी–

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के खलीलाबाद के सीमेन्ट स्टाकिस्ट को मई, 80 में आये तूफान के बाद कितनी सीमेन्ट दी गयी तथा उसका वितरण जनता में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

मई, 1980 में आए तूफान के बाद खलीलाबाद के सीमेन्ट लाइसेन्सी मैसर्स डी0सी0 एफ0 को तूफानी से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों हेतु प्राप्त सीमेन्ट आबंटन में से 200 मी0 टन सीमेन्ट दिया गया था, परन्तु इस सीमेन्ट की उठान की वैधतावधि समाप्त हो जाने के कारण फैक्ट्री ने इसकी आपूर्ति नहीं दी । अतः जनता में इस मात्रा का वितरण करने तथा जांच कराकर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहती हूं कि अवधि समाप्त हो जाने के बाद क्या उस सीमेन्ट का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को किया गया ? मेरी जानकारी है कि उस सीमेन्ट का आवंटन....

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्रीमती कमला साहनी–

मोतीलाल, चतुरीराम फर्म के किसी अन्य व्यक्ति के नाम आवंटित किया गया ?

श्री वासुदेव सिंह–

अब अगर कोई सूचना माननीय सदस्या देने की कृपा करेंगी तो उस प्रश्न के पहलू की जांच करवा लूंगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट कह दिया, एलाट नहीं हुआ । क्या यह सही है कि मोतीलाल गुप्ता दूसरी फर्म को आवंटित किया गया ?

श्री वासुदेव सिंह–

मैंने कहा एलाट हुआ था किन्तु इसको अवधि के अन्दर नहीं उठा सके इसलिए व्यपगत हो गया ।

(माननीय मुख्य मंत्री के आने पर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजों को थपथपाया)

श्री मोहन सिंह–

पराजित पल्टन के कप्तान का इस तरह से स्वागत कर रहे हैं ।

[बृहस्पतिवार, 19 अगस्त, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

"बाल्टी बाबा उर्फ जगदीश मिश्र" को खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने का आधार

*1–श्री मोतीलाल दहेलवी तथा श्री मोहन सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अप्रैल, 82 में सरकार द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किये गए "बाल्टी बाबा उर्फ जगदीश मिश्र" जब सन् 1970 में गंडक नहर निर्माण खण्ड में वर्कचार्ज कर्मचारी थे तो उन्हें 17 अप्रैल, 1980 की विभागीय रिपोर्ट के आधार पर सरकारी धन के गबन के आरोप में जेल भेजकर उनकी सेवायें समाप्त की गयी थीं ? और क्या यह भी सही है कि बाल्टी बाबा के विरुद्ध थाना परहरवा, जनपद देवरिया में शांति भंग होने के आरोप मार्च, 1981 व मार्च, 1982 में दर्ज हुए हैं तथा देवरिया जनपद की तमकुही राजकीय भूमि हथियाने के आरोप भी उन पर कायम हैं ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे सरकार एवं समाज विरोधी जगदीश मिश्र को किस आधार पर खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम का अध्यक्ष मनोनीत किया ?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, बाल्टी बाबा जो क्षण में वस्तुओं को मंगाने में सिद्धहस्त हैं उनके विषय में सूचना मंगाने में 4 महीने भी सफल नहीं हुए, मंत्री जी जबकि पहले मुख्य मंत्री ने घोषणा किया था कि उनके खिलाफ जांच की जायेगी लेकिन अभी तक जांच नहीं की गयी है जबकि मंत्री जी को उनके विषय में जानकारी है परन्तु मंत्री जी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उनको नौकरी से बर्खास्त नहीं करना चाहते हैं । इसलिए बाल्टी बाबा जैसे व्यक्ति को जो ऐतिहासिक अपराधी है, निगम का अध्यक्ष बनाना यह जनता के साथ मजाक और खिलवाड़ है । इसलिए मान्यवर, इस संबंध में मंत्री जी को आप निर्देशित करें कि इस प्रश्न का उत्तर तत्काल कल तक दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगले गुरुवार तक इस प्रश्न का उत्तर मंत्री जी दें ।

श्री मोतीलाल देहलवी–

मान्यवर, इस प्रश्न के दो भाग हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने पूरे प्रश्न का उत्तर देने को कह दिया है ।

सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ स्थित आवास-विकास परिषद् के कार्यालय भवन के गैराज का उपयोग एवं जांच

श्री हुकम सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री जी को जानकारी है कि सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ स्थित आवास-विकास परिषद् का कार्यालय का एक भाग अनियमित रूप से लोहे के फब्री-केशन की कार्यशाला के रूप में उपयोग किया जा रहा है ? जिससे परिषद् एवं सरकार को लाखों रुपये की हानि है ? यदि हां, तो कार्यालय प्रांगण में कार्यशाला की स्थापना का क्या आधार है और इसको समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

सरोजनी नाइडू मार्ग पर स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ (लि0) कार्यालय भवन के गैराज को भूतपूर्व भवन स्वामी श्री जे0 वी0 तान्त्रा द्वारा 50 रुपए प्रति माह की दर से श्री पी0 के0 टण्डन को किराये पर दिया गया था और श्री टण्डन उक्त गैराज को एक लोहे की कर्मशाला के रूप में उपयोग कर रहे हैं । उपरोक्त किरायेदार से सरकार को कोई हानि नहीं है किन्तु आवास संघ को इस कर्मशाला से हानि एवं असुविधा है । आवास संघ द्वारा इस किरायेदार श्री पी0 के0 टण्डन को वकील के माध्यम से नोटिस देने के उपरान्त मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई की तिथि दिनांक 24 सितम्बर, 1982 निर्धारित की गयी है ।

श्री हुकम सिंह–

मा0 उपाध्यक्ष जी, जेल से नगर में पधारने के बाद जिस प्रकार उत्तर दिया है कि गवर्नमेन्ट को नुकसान नहीं है, लेकिन आवास विकास परिषद् को जरूर है तो जैसे वह (परिषद्) सरकार से अलग है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आवास विकास परिषद् का कार्यालय का भवन क्या पूरा खरीदा गया था या उसका कुछ हिस्सा लिया गया था और उसमें गैराज शामिल था कि नहीं ?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, जो आवास संघ और सरकार वाली बात मा0 सदस्य ने कही, तो यह बात मुझको भी खटकी थी लेकिन उत्तर निकल चुका था ।

जहां तक भवन के खरीदने की बात है तो वर्ष 1978 में यह भवन आवास संघ द्वारा खरीदा गया था और उन्हीं के जरिये से वह पहले से किराये पर रह रहे थे 50 रुपये प्रतिमाह पर । चूंकि कानूनन उनको 3 साल तक हटाया नहीं जा सकता है इसलिए उसके बाद यह प्रक्रिया आरम्भ की गयी उनको हटाने की ।

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, 1978 में भवन खरीदा गया था तो सम्पूर्ण भवन खरीदा था या टण्डन के हिस्से को छोड़ कर खरीदा था ? आवास संघ के अधिकारियों की साजिश से श्री टण्डन 50 रुपये देकर रह रहे हैं जबकि उसका किराया 2 हजार रुपये भी कम है । इसलिए टण्डन और आवास संघ के अधिकारियों की इसमें साजिश है । जब भवन खरीदा गया था कार्यालय का तो सम्पूर्ण भवन का भुगतान किया था या उसके हिस्से का भुगतान किया गया था ?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, सम्पूर्ण भवन का भुगतान हुआ । अगर सम्पूर्ण भवन का भुगतान न हुआ होता तो किरायेदारी से उनको निकालने का हक नहीं होता । जहां तक आपने सांठ-गांठ की बात कही, इसको हम दिखवा लेंगे । कानून के जरिये अब हम खाली करवा रहे हैं । सरकारी मामले में जबरदस्ती नहीं की जा सकती । कानून के जरिये खाली कराने का काम किया जा रहा है ।

श्री हुकुम सिंह–

आपने किरायेदारी को समाप्त करने का नोटिस दिया है । आपने कहा कि 3 साल का अनुबंध था । आपने 78 में भवन खरीदा था । तो मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख को नोटिस दिया और अनुबंध कब समाप्त होता था ?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, 5-10-81 और 20-10-81 को नोटिस दी गयी । दोनों नोटिसें सर्व हो गयीं ।

प्रदेश के जिला पूर्ति अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची

*3–श्री श्याम लाल बाजपेयी–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में कितने जिला पूर्ति अधिकारी ऐसे हैं जिनके नाम न तो जिला पूर्ति अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची में हैं न ही एरिया राशनिंग अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची में और न ही इस वर्ष प्रसारित की गयी वरिष्ठ निरीक्षकों की ज्येष्ठता सूची में और न तो जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर और न ही एरिया राशनिंग अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे अधिकारियों का विभाग में क्या औचित्य है ?

श्री वासुदेव सिंह–

पूर्ति शाखा में वरिष्ठ निरीक्षक के पद से पदोन्नत किए गए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों की तदर्थ प्रोन्नति का विभिन्न प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक कारणों वश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन न कराये जा सकने के कारण अभी इन संवर्गों के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची खाद्यायुक्त कार्यालय से निर्गत करना सम्भव नहीं हो सका है । अतः ज्येष्ठता सूचियों में नाम होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

वरिष्ठ निरीक्षकों की वर्ष 1982 में प्रसारित की गयी वरिष्ठता सूची ही अनन्तिम है। इस सूची के अन्तिम रूप से बन जाने के उपरान्त यह ज्ञात हो सकेगा कि कितने अधिकारियों के नाम इस सूची में नहीं हैं । वरिष्ठ निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची अंतिम रूप से न तैयार होने के कारण उक्त संवर्ग से एरिया राशनिंग अधिकारी तदोपरान्त जिला पूर्ति अधिकारी के पदों पर प्रोन्नत अधिकारियों का अनुमोदन अब तक लोक सेवा आयोग से नहीं कराया जा सका है । अतः कार्य हित में यह अधिकारी तदर्थ रूप से उक्त पदों पर कार्यरत हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता चाहता हूं कि वह तो प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित हैं, सवाल दीगर, जवाब दीगर। मान्यवर, एक बार वह स्वयं प्रश्न पढ़ें और पढ़ने के बाद जो उनकी अंतरात्मा कहती हो उसके तहत जवाब दें । सरकारी जवाब से तो कोई हल निकलता नहीं है । मान्यवर, यही मैं चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

इससे तो कोई प्रश्न निकलता नहीं है ।

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, इस प्रश्न का और क्या जवाब हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपको नहीं बुलाया है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मेरा प्रश्न स्पष्ट है । इनके विभाग के अन्दर जो लोग पूर्ति अधिकारी हैं, क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी या वरिष्ठ लिपिक हैं वह किसी सूची में आते हैं या बगैर सूची के उनको अनुमोदित किया गया है ? उनकी सूची सदन में बतायेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह–

माननीय सदस्य जो भी पूछेंगे एक-एक करके मैं सबको बताने के लिए तैयार हूं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, 16-5-80 को सर्विस ट्रिब्यूनल ने इनकी सारी सूची को निरस्त कर दिया । 16-5-80 के बाद 7 लोगों को जिला पूर्ति अधिकारी बनाया गया । उसके बाद 1 दर्जन वरिष्ठ निरीक्षक, क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए गए । यह किस आधार पर किया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह–

यह कार्य हित में तदर्थ रूप से किया गया है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, कार्यहित और कानून अलग-अलग है । आपने कहा कि लोक सेवा आयोग का अनुमोदन होगा, लेकिन अनुमोदन नहीं करा रहे हैं और वरिष्ठता सूची नहीं बन रही है । आपके बाबुओं ने जो जवाब लिखकर दे दिया उससे तो सदन संतुष्ट नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न हुआ नहीं ।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी देखने की कृपा करेंगे कि सीनियारिटी का फिक्सेशन कई सालों से नहीं हो पाया और पब्लिक सर्विस कमीशन से जो एप्रूवल होना है वह भी कई साल से नहीं हो पाया है जिसकी वजह से बहुत से कर्मचारी टेम्पोरेरी रूप में काफी समय से काम कर रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी अब उन कर्मचारियों की सीनियारिटी का फिक्सेशन शीघ्र ही करवा देंगे और साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन का भी अधूरा कार्य पूरा करवा देने के आदेश देंगे ?

श्री वासुदेव सिंह–

हम तो अपने स्तर से हर चीज करने को तैयार हैं परन्तु जहां तक लोक सेवा आयोग का प्रश्न है, वह अपने हिसाब से ही करेंगे। ज्येष्ठता की सूची सन् 77 में तैयार की गयी थी परन्तु इस सूची पर आपत्ति उठाते हुए एक ज्येष्ठ निरीक्षक ने अपील कर दी, फिर यह मामला काफी दिनों तक चलता रहा। सर्विस ट्रिब्यूनल द्वारा 16-5-80 को यह सूची निरस्त कर दी गयी। तब हम दूसरी सूची के तैयार करने की स्थिति में हो सके। फिर दूसरी लिस्ट बनाई गई इस पर भी आपत्तियां उठायी गयीं। फिर उस लिस्ट को निरस्त करते हुए दूसरी लिस्ट बनाई और उस पर लोगों की आपत्तियां मांगी जा रही हैं। अब यह स्थिति जब अंतिम हो जायेगी, तब हम वरिष्ठता और वरीयता को शीघ्र ही निर्धारित कर सकेंगे, हम खुद अपने स्तर से देर नहीं लगाना चाहते।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

जैसा कि मा0 मंत्री जी ने बताया कि 16-5-80 जो उनकी 64–67 की सूची थी उसे सर्विस ट्रिब्युनल ने निरस्त कर दिया तो जब उस सूची को ट्रिब्युनल ने निरस्त कर दिया। इस ट्रिब्युनल का सम्मान गवर्नमेन्ट भी करती है और सदन भी करता है तो वह सूची के निरस्त किये जाने के बाद किन परिस्थितियों में 7 लोगों को जिला पूर्ति अधिकारी और एक दर्जन वरिष्ठ निरीक्षकों को क्षेत्रीय राशनिंग आफिसर बनाया गया? इसका उत्तर मा0 मंत्री जी कृपा करके दे दें।

श्री वासुदेव सिंह–

यदि माननीय सदस्य पूरी तरह संतुष्ट होना चाहते हैं, तो आप इजाजत दें तो मैं पूरी स्थिति से अवगत करा दूं?

श्री उपाध्यक्ष–

यह लिस्ट आप हमारे दफ्तर में दे दें, माननीय सदस्य वहां देखकर संतुष्ट हो लेंगे।

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी में कार्यरत चिकित्साधिकारियों का वेतनमान

*4–डाक्टर धर्मपाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को दि0 21-1-78 से वेतन-क्रम 550–1200 अब तक न दिये जाने का क्या कारण है जबकि उनकी योग्यतायें, कार्यविधि तथा तकनीकी योग्यतायें एलोपैथिक चिकित्सालय के चिकित्साधिकारियों के समान हैं? इसे लागू करने में कौन-कौन कठिनाइयां हैं?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)–

राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को वेतन मान रुपया 550 -1200 दिये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

डाक्टर धर्मपाल–

माननीय मंत्री जी के उत्तर को देखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि अब इस कार्य में कितना समय और लगेगा?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, बहुत ही शीघ्र इसका निर्णय होगा और राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी में कार्यरत चिकित्साधिकारियों के वेतनमान में जो भी असंगतियां हैं, उन्हें शीघ्र ही दूर किया जायेगा ।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में लागू अधिग्रहण अध्यादेश तथा छात्रों का स्थानान्तरण

*5–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के अधिग्रहण अध्यादेश के लागू होने के बाद स्टाफ के स्थानान्तरण का प्राविधान तो पूर्ववत् रखा गया है परन्तु मेडिको छात्रों के स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार मेडिकों छात्रों विशेषकर लड़कियों के स्थानान्तरण को तुरन्त जारी करने पर विचार करेगी जिससे वे अपने अभिभावकों के संरक्षण में रहकर अध्ययन कर सकें? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ अधिग्रहण के पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय के नियंत्रण में था और अधिग्रहण के पूर्व वहां के स्टाफ का स्थानान्तरण नहीं होता था।

अधिग्रहण के उपरान्त वहां के छात्रों के एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेज में स्थानान्तरण के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों के एम0बी0बी0एस0 छात्रों के स्थानान्तरण शासन द्वारा अलग से निर्धारित नीति के अनुसार होता है। इस नीति के अनुसार अभ्यर्थियों को मेडिकल कालेज उनकी मेरिट एवं विकल्प के आधार पर आवंटित किये जाते हैं। अतः इन छात्रों के प्रदेश के एक मेडिकल कालेज से दूसरे मेडिकल कालेज में स्थानान्तरण साधारणतया अनुमन्य नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेडिकल कालेज के अधिग्रहण के पश्चात् वहां के कर्मचारी विश्वविद्यालय के कर्मचारी के रूप में माने जाते हैं या राज्य कर्मचारी के रूप में?

श्री लोकपति–

अधिग्रहण के पश्चात् कर्मचारियों को विकल्प दे दिया गया था, जिन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है वे राज्य कर्मचारी हैं।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित कि जो उन्होंने कहा कि छात्रों के ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरे में वे कुछ रूल्स के अन्तर्गत होते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन रूल्स में अगर किसी छात्र के माता पिता "हैण्डीकैप्ड" हों तो वह आपके रूल्स में आता है या नहीं?

श्री लोकपति–

एक मेडिकल कालेज से दूसरे में छात्रों का स्थानान्तरण होता ही नहीं।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने विकल्प दे दिया, तो मैं तात्पर्य नहीं समझ पाया कि कर्मचारी जो मेडिकल कालेज में कार्यरत हैं, वे सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं?

श्री लोकपति–

इसमें कोई भी गैरसरकारी नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

[* * * * * *]

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी भाषा असंसदीय है, आप कृपया बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा–

* *] * * * *]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें। आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं, इसको लिखा नहीं जायेगा।

(श्री राम आसरे वर्मा के पुनः खड़े होने पर)

अब आप बैठें। अब मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया।

विकास खण्ड डुमरियागंज, जनपद बस्ती में श्री एहसन जलील के नाम से सीमेन्ट लाइसेन्स निरस्त करने के आदेश

*6–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में विकास खण्ड डुमरियागंज के अन्तर्गत फरीद एहसन जलील के नाम से लाइसेन्स प्राप्त सीमेन्ट की दुकान है? तथा

नोटः– [* *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

क्या उन्हीं के नाम से डुमरियागंज में किसान आटो सर्विस के नाम से पेट्रोल पम्प भी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री फरीद एहसन जलील किसी सरकारी पद पर कार्यरत है? यदि हां, तो उन्हें लाइसेन्स किस आधार पर दिया गया क्या उसे निरस्त करने का विचार करेंगे?

श्री वासुदेव सिंह–

बस्ती जनपद में विकास खण्ड, डुमरियागंज के अन्तर्गत श्री फरीद एहसन जलील के नाम से सीमेन्ट का न तो कोई लाइसेन्स है और न ही उनके नाम से किसान आटो सर्विस नामक पेट्रोल पम्प है, वरन् सीमेन्ट का लाइसेन्स श्री अहसन जलील के नाम से है जो पंजाब एवं सिंध बैंक के कर्मचारी हैं। लाइसेन्स जारी करते समय इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि श्री अहसन जलील पंजाब एवं सिंध बैंक के कर्मचारी हैं। जिलाधिकारी, बस्ती को लाइसेन्स को नियमानुसार निरस्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

श्री अब्बासी बस्ती के सांसद हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री फरीद एहसन कौन हैं और क्या यह अब्बासी साहब के परिवार के हैं या नहीं?

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, ऐसा कोई प्रश्न हमारे समक्ष नहीं है, इसकी सूचना यदि माननीय सदस्य चाहते होंगे तो दिलवा दी जायगी, किन्तु अपने प्रश्न में उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं किया था। मैं माननीय सदस्य का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने जो प्रश्न किया है, उसमें एक अनियमितता की ओर संकेत किया है। मैंने आदेश कर दिये हैं कि यदि इस संबंध में कोई अनियमितता हुई है तो कठोर कार्यवाही की जाय। अगर जिलाधिकारी इसमें दोषी पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी आदमी ने धोखा-धड़ी करके सीमेन्ट का लाइसेन्स ले लिया। उसने जो धोखा-धड़ी की है, तो शासन मात्र उसका लाइसेन्स निरस्त करके सन्तुष्ट हो जायेगा या फिर उसने जो चार सौ बीसी की है उसके विरुद्ध मुकदमा आदि दायर किया जायेगा क्योंकि उसने तथ्यों से शासन को अवगत नहीं कराया, तो इस संबंध में शासन कार्यवाही करेगा?

श्री वासुदेव सिंह–

पंजाब और सिंध बैंक के एरिया मैनेजर लखनऊ को निदेश दे दिया है कि बैंकों के नियम के अनुसार अहसन जलील के विरुद्ध कार्यवाही करें। साथ ही हमारे विभाग की यदि गलती होगी तो जिलाधिकारी देखेंगे और अगर जिलाधिकारी की गलती होगी तो कमिश्नर से दिखवा लेंगे। प्रश्न यह है कि गलती जब होती है या हुई है कि वह सिन्ध बैंक का कर्मचारी है और उसको लाइसेन्स दिया गया है। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय सदस्य ने जब इंगित किया है तो सारी बातें मेरी जानकारी में आयी हैं। इसकी पूरी कार्यवाही करके मैं सदन के सम्मुख रखूंगा।

श्री हुकम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने एक प्रश्न के उत्तर में एक दर्जन "इफ" और "बट" लगा दिये हैं कि यदि ये नहीं होगा तो यह होगा। अभी आपके विभाग ने लाइसेन्स दिया तो लाइसेन्स लेने के लिये जो आवेदन पत्र भरा गया होगा उसमें वल्दियत जरूर होगी। तो क्या कृपा करके आप यह बतायेंगे कि जिन अहसन जलील का नाम आपने लिया है, उनकी वल्दियत क्या है?

श्री वासुदेव सिंह–

इनकी वल्दियत मैं इस वक्त नहीं बता सकता।

(हंसी)

आपने अपने प्रश्न में जो बात अभी कही है, उसने अपने आवेदन-पत्र में इस बात को सम्मिलित नहीं किया है कि वह सिंध बैंक का कर्मचारी है, शेष सब बातें उसमें सही हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, मैंने अपने पूरक प्रश्न में पहले ही पूंछा था कि फरीद एहसन जलील किसके लड़के हैं और किसान आटो सर्विस नामक पेट्रोल पम्प का ओनर कौन है? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फरीद एहसन जलील साहब और अहसन जलील क्या एक ही घराने के हैं? तीसरी बात, जो फार्म भरा गया उसमें प्रारम्भिक स्टेज पर क्या इस बात की जांच नहीं करायी गयी कि वह सरकारी कर्मचारी है या यह आदमी कौन सी सर्विस में है या सर्विस में नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि जांच करा कर बता देंगे तो फिर अब यह प्रश्न कहां उठता है?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

किसान आटो सर्विस नामक पेट्रोल पम्प का मूल मालिक कौन है?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह किस वर्ष का लाइसेन्स है? यह उनके नौकरी में आने के पहले का है या बाद का?

श्री वासुदेव सिंह–

मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं माननीय सदस्य का आभार मानता हूं कि उनके प्रश्न के उपरान्त ही मुझे सारी बातों की जानकारी हुई है और तथ्य प्रकाश में आये हैं। अब कोई किसी का बाप और किसी का बेटा तो होता ही है पर मैं यह नहीं जानता हूं कि कौन किसका बाप है और कौन किसका बेटा।

उप निबंधक, फैजाबाद द्वारा साधन सहकारी समितियों के सचिवों का अनुमोदन

7–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि डी0आर0, फैजाबाद द्वारा साधन सहकारी समितियों के 22 सचिवों के नामों की सूची सन् 81 में एप्रूवल के वास्ते कैडर को भेजी थी जिसमें से 9 सचिवों के नामों को कुछ आपत्तियों के साथ पुनः डी0आर0 को भेज दिया गया? क्या यह भी सही है कि डी0आर0, फैजाबाद ने उक्त 9 नामों को दिनांक 25-5-81 को आपत्तियों को रिमूव करने के बाद कैडर को एप्रूवल के वास्ते भेज दिया है? यदि हां, तो अब तक उक्त सूची पर निर्णय न होने का कारण क्या है?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी हां।

उप निबन्धक, फैजाबाद द्वारा पुनः प्रेषित आख्या के परीक्षणोपरान्त उक्त अभ्यार्थियों को अनुमोदन हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डी0 आर0, फैजाबाद द्वारा जो परीक्षण की बात कही गयी है, तो किस अधिकारी द्वारा वह किया गया और कौन सी कमियां रही हैं जिनके कारण 9 सचिवों को एप्रूवल नहीं दिया गया है?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, सन् 76 में शासन द्वारा एक मानक बनाया गया था। उस मानक के अन्तर्गत जो लोग आये उनको पुनः सचिव बना दिया गया और जो लोग नहीं आये उनको नहीं बनाया गया है ।

जनपद मेरठ में पी0सी0एफ0 में गबन के मामले की जांच

*8–श्री राजकुमार राय–

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि जनपद मेरठ पी0सी0एफ0 में 20 लाख रु0 के गबन का मामला अक्तूबर, 81 में प्रकाश में आया? यदि हां, तो विस्तृत विवरण क्या है और शासन उनमें कौन-कौन सी कार्यवाही कर रहा है?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

गबन का विवरण निम्नवत है :–

(1) वर्ष 1976-77 कपड़ा व्यवसाय में	रु0 7.08 लाख
(2) वर्ष 1977-78 कपड़ा तथा उर्वरक व्यवसाय में	रु0 9.96 लाख
(3) वर्ष 1978-79 कपड़ा व्यवसाय में	रु04.93 लाख
(4) वर्ष 1979-80 पाम आयल, चीनी तथा कपड़ा व्यवसाय में	रु0 20.87 लाख
(5) वर्ष 1980-81 पाम आयल, रेपसीड आयल, चीनी व कपड़ा व्यवसाय में	रु0 18.81 लाख
योग :	रु0 61.65 लाख

गबन के संबंध में अब तक छः अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। विभागीय जांच के साथ-साथ पुलिस में रिपोर्ट भी अंकित करा दी गई है तथा मामला पुलिस के विवेचनाधीन है।

श्री राजकुमार राय–

जब लगातार 5 वर्षों में, वर्ष 76-77 से लेकर प्रश्न करने के समय यानी 80-81 तक लगातार 5 लाख, 18 लाख, 20 लाख यानी इस तरह से कुल 61 लाख रुपये का गबन हुआ और हमें प्रश्न किये हुए भी साल भर हो गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी ने इसका दायित्व तय किया है कि किस अधिकारी के कारण इतना बड़ा गबन हुआ? जो अधिकारी इन तीन चार सालों तक रीजनल मैनेजर था जिसके ऊपर मुख्य रूप से इसका दायित्व था, उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? साथ ही इन तीन चार सालों तक जो प्रबन्ध निदेशक थे, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी या कुछ छोटे-छोटे कर्मचारियों को, छोटे-छोटे चूहों को सस्पेंड कर देने से ही सारा काम खतम हो जाता है?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न टुकड़ों में कीजिये।

श्री बच्चा पाठक–

जब से यह मामला सामने आया है तब से इसकी जांच शुरू है और जांच में जो लोग दोषी पाये गये हैं उनका स्थानान्तरण किया गया है, और उनका निलंबन भी किया गया है। जांच पुलिस के विचाराधीन है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार, या माननीय सदस्य अगर रिपोर्ट देंगे तो उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजकुमार राय–

76-77, 77-78, 78-79, 79-80, और 80-81, में पी0सी0एफ0 का बैलेंस शीट ठीक आया जब कि इसी बीच इतना बड़ा घोटाला और गबन हुआ। तो किस किस्म ने यह बैलेंस शीट बना कर मेरठ से लेकर लखनऊ तक किसी अधिकारी के दिमाग में यह बात आयी ही नहीं कि बैलेंस शीट सही नहीं है और प्रश्न द्वारा जब सारा मामला उजागर हुआ तभी सब के नोटिस में यह आया? आखिर यह गबन कहां हुआ?

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

गबन कागज में हुआ और कहां। (हंसी)

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, बैलेंस शीट को देखकर उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि 1976 से लेकर 1981 तक लगातार हर साल नुकसान होता चला आया जिसका टोटल करीब 60-61 लाख रुपये हो गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब 1976-77 से ही लास शुरू हो गया था और उसकी बैलेन्स शीट वगैरह आती रही तो पहली बार किस समय उसकी रिस्पान्सिबिलिटी फिक्स की गई? किसके ऊपर फिक्स की गई? और अगर नहीं फिक्स की जा सकी तो उसका क्या कारण है?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब से तथ्य सामने आया है, इसकी जांच कराई गई और जो लोग दोषी पाये गये उनको मुअत्तल किया गया, स्थानान्तरण किया गया और जो लोग सामने आयेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री भीखा लाल–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह मामला सरकार को नोटिस में कब आया? 1976 से आज तक इस संस्था का हर साल आडिट हुआ या नहीं हुआ ? इस बीच में अगर आडिट हुआ तो यह मामला प्रकाश में क्यों नहीं आया ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, यह मामला 9 सितम्बर, 1981 को सामने आया।

श्री राजकुमार राय–

मान्यवर, इसी प्रश्न से सम्बन्धित और भी सारी सूचनाएं जो अतारांकित प्रश्न के संबंध में आई हैं, वह मंत्री जी के उत्तर से कन्ट्राडिक्टरी है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है और उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इसको पकड़ा था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पुलिस में एफ0 आई0 आर0 किस तारीख को लाज हुई और आज तक उसमें फाइनल चार्जशीट क्यों नहीं लगी और जिन अधिकारियों ने नहीं लगाई उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, अभी तो इसकी विवेचना हो रही है और पुलिस सेल को मामला रिफर है। इसकी विवेचना के बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नकर्ता ने यह पूछा कि विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, मामला बहुत गम्भीर है और कार्यवाही की जा रही है। जो लोग दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर-व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मंत्री जी अपने उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस में जब एफ0आई0आर0 लिखाई गई तो उसमें कोई धारा भी कायम हुई होगी और उसके तहत जो लोग नामजद किये गये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री बच्चा पाठक–

जिसका नाम आया है, उसको मुअत्तल किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बच्चा पाठक–

अभी तो विवेचना हो रही है और पुलिस ने जो कार्यवाही की है, उसमें वह लोग अपनी जमानत करा रहे हैं। उसके बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

वह यह जानना चाहते हैं कि पुलिस ने क्या कार्यवाही की है।

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, 7-9-1981 को एफ.0आई0आर0 दर्ज करायी गयी और पुलिस ने पकड़ा। उन्होंने अपनी जमानत करा ली। इस मामले की विवेचना चल रही है और उसके बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष, कृपा कर नाम बतला दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। यह बड़ा ही गम्भीर मामला है और शासन इसको छिपाने की कोशिश कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप ऐसा करें कि दोबारा प्रश्न करवा लें। मैं खुद इससे सन्तुष्ट नहीं हूं जो उत्तर आया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें। मैं अगले दिन क्वेश्चन कर लूंगा।

प्रदेश के स्वास्थ्य निरीक्षकों को स्वच्छता निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्त करने का विचार

*9–श्री गौरी शंकर भैया (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने स्वच्छता निरीक्षक (सेनेटरी इंस्पेक्टर) के पद रिक्त है ? क्या शासन वरिष्ठता क्रम से प्रदेश में कार्यरत प्रशिक्षित स्वास्थ्य निरीक्षकों (हैल्थ इंस्पेक्टर) को रिक्त पदों पर नियुक्त करने का विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति–

इस समय प्रदेश में स्वच्छता निरीक्षक (सेनेटरी इंसपेक्टर) के 70 पद रिक्त हैं। प्रदेश में समस्त अर्ह सेनेटरी इंसपेक्टरों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा खाद्य निरीक्षक नियुक्त किया गया है। उक्त अधिनियम के

श्री लोकपति–

अधीन बनाय गये नियमों में भारत सरकार द्वारा खाद्य निरीक्षक की शैक्षिक योग्यता संशोधित करके विज्ञान स्नातक कर दी गई है, जब कि स्वास्थ्य निरीक्षकों की शैक्षिक योग्यता इन्टर साइन्स है। ऐसी स्थिति में इन्हें उक्त पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह प्रश्न स्थगित हुआ कि नहीं।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 49 में दे दीजिये। क्यों इतनी जिद कर रहे हैं।

विकास प्राधिकरण के गठन का मापदण्ड

*10–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास प्राधिकरण बनाने संबंधी शासन की नीति क्या है? क्या यह सही है कि उस नीति के आधार को तोड़-कर प्रदेश के कई जिलों में विकास प्राधिकरण बना दिए गए हैं? यदि हां, तो हरदोई शहर में विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

यदि राज्य सरकार के विचार से किसी नगर का योजना के अनुसार सनियोजित ढंग से विकास करना आवश्यक हो तो उस नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास की तीव्रगति की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाता है।

प्राधिकरण के गठन का मापदण्ड प्राय: यह है कि महानगरी क्षेत्र हो, मण्डल मुख्यालय औद्योगिक रूप से विकसित हो, पर्यटन या धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हो, नगर क्षेत्र की निर्दिष्ट सुविधायें उपलब्ध हों, विशिष्ट रूप से पिछड़ा क्षेत्र हो, इस नीति के अनुसार प्राधिकरणों का मापदण्डों को पूरा नहीं करता।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने प्रश्न का जवाब काफी घुमा कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने प्राधिकरण बनाने के संबंध में 6 मानक बताये हैं। तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जिस जिले का विकास प्राधिकरण बनाना हो क्या उसके लिये 6 मानक पूरे होने चाहिए या केवल एक। पिछले शासन ने कौन से जिलों में विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की थी।

श्री उपाध्यक्ष–

आप केवल एक ही प्रश्न करें।

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, मैं पहले कौन से प्रश्न का उत्तर दूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिये माननीय मंत्री जी ने 6 मानक बताये हैं। क्या सभी का पूरा होना आवश्यक है या केवल एक की पूर्ति हो जाये तो काम चल जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना–

यह तो प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। यह स्थान अगर रेलीजस है, धार्मिक है या पर्यटन की दृष्टि से अच्छा है या औद्योगिक दृष्टि से ठीक है तो वहां पर विकास प्राधिकरण बनाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या एक भी हो तो काम चल जायेगा।

श्री राम सिंह खन्ना–

केवल एक पर तो नहीं, लेकिन ज्यादातर हो जाये तो मुनासिब है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

या तो 6 या एक। कितने मानक आवश्यक हैं?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर के प्रथम अनुच्छेद में इसको बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। यदि राज्य सरकार के विचार से किसी नगर का योजना के अनुसार सुनियोजित ढंग से विकास करना आवश्यक हो तो उस नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या, विकास की तीव्र गति की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी ने पहले तो राज्य सरकार का विवेक बताया, उसके बाद 6 मानक बताये। विवेक में तो हमारा जिला राज्य सरकार में नहीं है, हो सकता है मानक में आ जाय। मैं जानना चाहता हूं कि यह 6 मानक पूरे होने चाहिए या एक मानक से भी काम चल सकता है?

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने बता दिया राज्य सरकार के विवेक पर है।

श्री राम सिंह खन्ना–

हम चाहते हैं कि हर जिला मानक में आ जाय। लेकिन अभी नहीं है। आगे के लिए खुला हुआ है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश के कौन-कौन जिले विकास प्राधिकरण घोषित किये गये? क्या वे जिले इस मानक के अन्तर्गत नहीं आते थे?

श्री उपाध्यक्ष–

आपके मूल प्रश्न में यह प्रश्न नहीं आता था। इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या माननीय मंत्री जी हरदोई जिले को अपने विवेक में डालकर विकास प्राधिकरण में लेने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, हमने केवल बांदा जिला इसके अन्तर्गत लिया है जहां कि महोबा के आल्हा-ऊदल की लड़ाई हुई थी और चित्रकूट जहां कि रामायण की रचना हुई थी।

श्री भगवती सिंह विशारद–

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय शासन के सामने लखनऊ मंडल में कौन-कौन विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

श्री राम सिंह खन्ना–

अभी अन्य कोई विचाराधीन नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

हरदोई जिले में राज्य सरकार की विवेकहीनता के बारे में एक प्रश्न पूछ लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

विराजें।

जनपद देवरिया के पडरौना में नजूल की भूमि पर संजय पार्क का शिलान्यास एवं उद्घाटन की जांच

*11–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया पडरौना में दिनांक 27-3-73 की रजिस्ट्री सं0 36 के द्वारा नगर पालिका ने अपने नजूल भूमि की 3.67 एकड़ भूमि शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किया है जिस पर भवन निर्माण हेतु उ0 प्र0 शासन ने 1980 में 8.00 लाख रु0 स्वीकृत किया और पुनः आंकलन में संशोधन होने पर भवन निर्माण हेतु 12 लाख रु0 की स्वीकृति 17-9-80 को प्रदान की? क्या यह सही है कि 1-1-81 को राज्य मंत्री, भारत सरकार (श्री सी0 पी0 एन0 सिंह) ने संजय पार्क का शिलान्यास एवं उद्घाटन उसी भूमि पर किया? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री राम सिंह खन्ना–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मान्यवर, इससे पहले कि माननीय सदस्य कोई प्रश्न करे, मैं पहले ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में अगले बृहस्पतिवार को इसका उत्तर दे दूंगा।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि देवरिया में पडरौना में 27-3-73 को नगरपालिका की एक नजूल भूमि की रजिस्ट्री की गई थी जो कि शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित की गई है जिस पर भवन निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 लाख रुपया खर्च करने की स्वीकृति दी है। क्या यह सही है कि राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री सी0 पी0 एन0 सिंह ने संजय पार्क का शिलान्यास और उदघाटन किया है? मान्यवर, जानबूझकर इस प्रश्न को लटकाया जा रहा है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने बताया कि अगले बृहस्पतिवार को इसका वे उत्तर दे देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसकी जानकारी तो टेलीफोन पर आ सकती थी। 12 लाख की स्वीकृति हुई और उस संजय पार्क का उद्घाटन हुआ या नहीं. इस सूचना को तो टेलीफोन पर मंगाया जा सकता था। ऐसे प्रश्नों पर आप आपत्ति भी किया करते थे कि यदि सरकार ऐसे अक्षमतापूर्ण और संसदीय परम्पराओं के विपरीत कोई कदम उठाये .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि संसदीय परम्पराओं के विपरीत नहीं है जब उन्होंने यह कह दिया कि अगले बृहस्पतिवार को वे उसका उत्तर दे देंगे... (व्यवधान)

श्री राम सिंह खन्ना–

मान्यवर, इसमें इतना और कह देना चाहता हूं कि इसको भी स्थगित कर दिया गया है और सारे मामले में पुनरीक्षण करने के आदेश दे दिये गये हैं।

भदोही नगर महापालिका में आवास विकास कालोनी हेतु कतिपय ग्रामों की भूमि का अधिगहण

*12–श्री उदल

4 फरवरी, 82 के निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 11 नत्थी (क) के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही नगर महापालिका (वाराणसी) में आवास विकास कालोनी के लिए गांव रजपुरा, कुसेहरा की जमीन का एक्वीजीशन किया जा रहा था और दफा 4 की कार्यवाही पूरी की गयी? उसको बदल

कर अब जल्लापुर नगर पालिका से एक किलोमीटर पूर्व तथा पक्की रोड से एक किलोमीटर उत्तर हरिजनों (चमार, पासी, धोबी) एवं पिछड़ी जातियों अंसारी, यादव आदि की जमीन लेने की कार्यवाही की जा रही है? क्या यह भी सत्य है कि उक्त जमीन औराई व ज्ञानपुर रोड से सटी थी? इसको बदलने का कारण क्या है?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां।

पूर्व प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण मूल्य अत्यधिक था और वह आवश्यकता से कम थी इसलिये उस योजना को स्थगित कर दिया गया ।

नव प्रस्तावित भूमि अधिक उपयुक्त है। इसमें समाज के सभी वर्गों की भूमि है।

श्री ऊदल–

क्या वे इस बात का भी पुनरीक्षण कर लेंगे कि जो जल्लापुर की जमीन ली जा रही है उसमें दो एकड़ से नीचे के काश्तकार हैं और उसमें पिछड़ी जाति के लोग एवं अंसारी आदि ही हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना–

इस सब को देख लिया जायेगा ।

खाद्य निरीक्षकों का सम्वर्ग बनाने की परियोजना पर कृत कार्यवाही

*13–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-2-82 को उनके द्वारा सदन में खाद्य पदार्थों की मिलावट की प्रभावी रोकथाम के लिए ब्लाक, तहसील, जिला तथा मण्डल स्तर पर खादय निरीक्षकों का सम्वर्ग बनाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

दिनांक 15-2-82 को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का आय व्ययक प्रस्तुत करते समय यह घोषणा की गई थी कि विकास खण्डों के सेनिटरी इंस्पेक्टरों को खाद्य निदेशालय के अन्तर्गत लाया जायेगा। वे अब केवल खाद्य अपमिश्रण के कार्य को देखेंगे। इस सम्बन्ध में आवश्यक परियोजना तैयार की जा रही है।

श्रीमन्, परियोजना पर विचार हो गया है और वह शासन में भी आ गयी है उसमें 50 लाख रु0 का व्यय निहित है जो आर्थिक स्वीकृति के लिए विचाराधीन है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें विलम्ब होने का क्या कारण है और यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी?

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने बताया कि परियोजना बन कर तैयार हो गयी है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी। मान्यवर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने इस सदन में एक प्रश्न उठाया था और कहा था कि स्वीपर दवा बांट रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे स्मरण है, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 50 लाख रु0 इसके लिए प्रस्तावित कर दिये गये हैं। माननीय मंत्री जी बता दें कि इसे आप कब तक कार्यान्वयन करेंगे?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, इस आय-व्ययक वर्ष के अन्तर्गत लागू हो जायेगा।

मानसिक चिकित्सालय, आगरा में उपचार हेतु कर्मचारियों को निःशुल्क सुविधाएं

*14–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानसिक चिकित्सालय, आगरा में उपचार एवं भर्ती हेतु राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के आश्रितों को स्पेशल/प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय वार्ड के अन्तर्गत निःशुल्क सुविधाएं रहने व दवा पोषण के लिए प्रदान न किए जाने का क्या औचित्य है?

श्री लोकपति–

उपचार के लिए निःशुल्क सुविधा सभी रोगियों हेतु उपलब्ध है। निःशुल्क वार्ड में पोषण सुविधा भी सभी रोगियों हेतु उपलब्ध है। अतः अन्य वार्डों में रोगी को सुविधा हेतु पोषण शुल्क लिया जाता है क्योंकि ऐसे वार्डों में मरीज अपनी इच्छानुसार भरती होता है।

राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु विशेष प्राविधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निःशुल्क वार्ड में वे भी निःशुल्क पोषण प्राप्त कर सकते हैं।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निःशुल्क वार्ड के अलावा जो अन्य वार्ड है उनके मरीजों को क्या सुविधा मिलती है?

श्री लोकपति–

मरीजों को चिकित्सा और दवा की सुविधा मिलती है।

(प्रश्न संख्या 15 पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

जो मानसिक रोगी मार्गों में फिरते हैं जिन्हें हम पागल कहते हैं उनको बरेली और आगरा में चिकित्सा सुविधा देंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

वैसे मैंने अगला सवाल ले लिया है लेकिन आपका सुझाव अच्छा है।

ईंटों का भट्ठा चलाने के लिए लाइसेन्स तथा लगाये गये प्रतिबन्ध

*15–श्री राम कृष्ण माहेश्वरी–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ईंटों का भट्टा लगाने के लिए क्या खाद्य रसद एवं आपूर्ति विभाग से कोई पूर्व अनुमति (लाइसेन्स) लेना आवश्यक है जो आम एवं अन्य फलदार वृक्षों के बागों से कुछ प्रतिबन्धित दूरी तक नहीं दी जा सकती है? यदि हां, तो कांठ (मुरादाबाद) में पब्लिक ब्रिक्स वर्क्स, कासमपुर को वर्ष 1981-82 में नया ईंटों का भट्ठा आम के बागों के निकट लगाने की अनुमति क्यों दी गयी है?

श्री वासुदेव सिंह–

यह सही है कि कोयले से ईंट का भट्ठा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश कोयला नियन्त्रण आदेश, 1977 के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट या लाईसेन्स प्राधिकारी से विधिवत् लाईसेन्स लेना आवश्यक है, किन्तु उसके लिए आम या अन्य फलदार वृक्षों के बागों की दूरी का खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा विहित कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम कृष्ण माहेश्वरी–

यह विशेषज्ञों की राय है कि ईंट के भट्ठों के धुएं से और विशेषकर कोयले से चलने वाले भट्ठों के धुएं से आमों के वृक्ष और फसल नष्ट हो जाती है और मंत्री जी ने बताया कि हमारे यहां ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है, तो चूंकि जिला परिषद् आमों के बाग के निकट अपना लाइसेन्स भट्ठों को नहीं देती है, क्या मंत्री जी भी ऐसा नियम बनायेंगे कि आमों के बाग के निकट उनका विभाग कोई लाइसेन्स न दे और दिये हुए लाइसेन्सों को निरस्त कर दिया जाये?

श्री वासुदेव सिंह–

मैं माननीय सदस्य की भावना से अपने को शत प्रतिशत सम्बद्ध करता हूं। यह मामला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां विचाराधीन पड़ा हुआ है, इसलिए इस पर माननीय सदस्य स्वयं सहमत होंगे कि मेरे लिए कुछ अधिक कहना इस समय अनुचित होगा।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा–

क्या मेरी सूचना को सही मानकर या मेरी स्मरण शक्ति को सही मानकर कि इसी आदरणीय सदन में यह निर्णय लिया गया था कि ईंट के भट्ठे लगाने के लिए आमों के बाग से आधा किलोमीटर की दूरी रखी जाएगी, मंत्री जी ने यह जवाब किस आधार पर दिया है?

श्री वासुदेव सिंह–

माननीय सदस्य की स्मृति उन्हें कुछ धोखा दे रही है। यह सही है कि प्रस्तावित कृषि विभाग द्वारा विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व यह प्राविधान रहा, लेकिन यह व्यपगत हो गया क्योंकि विधान सभा उठ गई थी। उनकी यह भावना इस हद तक सही है कि पंचायतीराज ऐक्ट में एक यह प्राविधान है कि उसके तहत चालान किया जा सकता है, लेकिन इस सारे मुद्दों पर मेरे अधिक बोलने से, जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट के सामने लम्बित मुकदमा है वह प्रभावित हो सकता है।

जिला सहकारी बैंक लि0, फैजाबाद की भीटी शाखा में फर्जी भुगतान की जांच

*16–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1981 में भीटी शाखा द्वारा 25, 26, 27, 28 जून, 1981 में फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में अधिकारिक स्तर पर कोई रिपोर्ट डेढ़ माह पूर्व जिला सहायक निबंधक को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

अपर जिला सहकारी अधिकारी, अकबरपुर फैजाबाद, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, फैजाबाद को अपने दिनांक 10-4-82 की लिखित रिपोर्ट द्वारा सूचित किया कि जिला सहकारी बैंक लि0, फैजाबाद की भीटी शाखा द्वारा जून, 1981 के अन्तिम सप्ताह में रु0 4,62,555.00 का अंश 'क' का ऋण वितरण विभिन्न समितियों के सदस्यों को बिना फोटो अल्बम आदि पूर्ण कराये तथा सदस्यों के बिना आये किया गया है। इस पत्र में इस बात की आशंका व्यक्त की गई थी कि ऋण वितरण फर्जी है और उनकी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त कार्य सुनियोजित षडयन्त्र के अन्तर्गत कराया गया है। इस रिपोर्ट द्वारा उन्होंने उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

अपर जिला सहकारी अधिकारी, अकबरपुर से मामले की विस्तृत जांच कराई गयी। इसके परिणामस्वरूप तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, भीटी शाखा को स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा विभागीय कार्यवाही की जा रही है। साधन सहकारी समिति मिझौड़ा, खजुरी व जलालपुर, परशुरामपुर के सचिव निलम्बित हैं। पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का मामला विचाराधीन है।

श्री प्रिय दर्शी जैतली–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि 10 अप्रैल, 1982 को लिखित सूचना विभाग को मिली। तो10-4-82 और इस प्रश्न के पूछे जाने की तारीख के बीच में विभाग ने जांच के आदेश कब दिए, किस अधिकारी द्वारा जांच हुयी, किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया और जो स्थानान्तरण के आदेश किए और यें कब हुए ?

श्री बच्चा पाठक–

मौखिक रूप से 17 तारीख को यह सूचना ए0डी0सी0ओ0 ने ए0आर0 को दी । पुनः 15 तारीख को यह सूचना ए0 आर0 को भेजी गई और इसकी जांच के लिए ए0 डी0 ओ0 सी0 को कहा गया.

श्री प्रिय दर्शी जैतली–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी जांच कब हुई?

श्री बच्चा पाठक–

18-5-82 को जांच के लिए दिया गया और शाखा प्रबन्धक को स्थानान्तरित कर दिया गया और जो लोग दोषी पाए गये उनको निलंबित कर दिया गया और मामला पुलिस को दे दिया गया है।

नैनीताल झील में जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु कृत कार्यवाही

*17–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार को हाल में ही यह सूचना मिली है कि नैनीताल झील का पानी प्रदूषण के कारण पीने लायक नहीं रह गया है तथा वह एक प्रदूषित जलकुण्ड बन गई है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम तथा पानी को शुद्ध बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामसिंह खन्ना–

जी नहीं। नैनीताल झील के कच्चे जल में यद्यपि कार्बनिक तथा फीकल कन्टेमिनेशन के तत्व पाये गये है किन्तु उस पानी को कुमायूं जल संस्थान द्वारा पहले शुद्ध किया जाता है और उसके पश्चात् ही पेयजल के रूप में उसकी आपूर्ति की जाती है?

जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए माल रोड पर एक अधिक क्षमता की सीवर लाइन बिछाई गई है जिससे नागरीय क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी को झील में सीधे प्रवेश करने पर रोका जा सके।

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, गुरुसहायगंज के कार्यरत डा0 सुभाष चन्द्र दूबे के विरुद्ध आरोपों की जांच

*18–श्री थम्मन सिंह गहलौत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद में डा0 सुभाष चन्द्र दूबे सन्1969 से अब तक लगातार 12 वर्षों से एक ही चिकित्सालय, गुरसहायगंज में कार्यरत है और उन्होंने अपना एक पृथक चिकित्सालय एवं एक्सरे प्लांट गुरसहायगंज में ही

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

स्थापित किया है और राजकीय चिकित्सालय की सारी दवाइयां व सामान अपनी निजी दुकान पर प्रयोग करते हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों तथा यदि नहीं, तो इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति–

डा0 सुभाष चन्द्र दुबे 1-4-69 से 31-12-73 तक जिला परिषद् की सेवा में तथा 1-1-74 से जिला परिषद् के गुरुसहायगंज स्थित चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण के उपरान्त राजकीय सेवा में 30 जून, 1978 तक कार्यरत रहे थे। 1-7-1978 से उनका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया। 28 सितम्बर, 1981 से वह राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय गुरुसहायगंज में तैनात हैं। कथित आरोपों की जांच कराई जा रही है।

नगरपालिका काशीपुर (नैनीताल) के चुंगी विभाग के कर्मचारियों को अनुमन्य अवकाश के दिन कार्य लिए जाने के एवज में देय अवकाश

*19–श्री रियासत हुसैन–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका काशीपुर (नैनीताल) के चुंगी विभाग के कर्मचारियों को नशनल हालीडेज एक्ट के अन्तर्गत देय राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टियां तथा राजपत्रित छुट्टियों में काम करने की दशा में अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? उपरोक्त म्यूनिसिपल कर्मचारियों के शोषण के लिए कौन जिम्मेदार हैं?

श्री रामसिंह खन्ना–

जी हां, क्योंकि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को अनुमन्य अवकाश के दिन कार्य लिए जाने के एवज में उन्हें उस सप्ताह में किसी अन्य दिन अवकाश देय होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ तथा कानपुर में सीमेन्ट के वितरण में घोटाला तथा सर्तकता अधिष्ठान द्वारा जांच

20–श्री भीखा लाल–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 2 फरवरी, 82 को शहर लखनऊ तथा कानपुर में सीमेंट के वितरण में जबरदस्त घोटाला तथा बड़े पैमाने पर चोरबाजारी के सम्बन्ध में सर्तकता विभाग द्वारा छापा मारा गया और पूर्ति कार्यालयों के पत्रादि जब्त कर लिये गये ? यदि हां, तो सरकार को अब तक प्राप्त विवरण क्या है और निष्पक्ष तथा प्रभावी जांच के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? क्या यह सही है कि उक्त छापे के फलस्वरूप जनता की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति हेतु सीमेन्ट की कोई परमिट जारी नहीं की जा रही है? यदि हां, तो संदिग्ध पत्रों के अतिरिक्त अन्य पत्रादि उक्त कार्यालयों को वापस किये जाने के आदेश तुरन्त जारी करेंगे?

श्री वासुदेव सिंह–

शासन के सर्तकता अनुभाग-2 द्वारा निर्देशित एक खुली जांच के सम्बन्ध में पूर्ति कार्यालय कानपुर एवं लखनऊ तथा खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ की सीमेंट वितरण सम्बन्धी पत्रावलियां व ओ0 आर0 सी0 श्रेणी से सम्बन्धित अभिलेख सतर्कता अधिष्ठान द्वारा 2 फरवरी, 82 को हस्तगत किये गये।

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच की जा रही है। अभिलेखों की संनिरीक्षा की जा रही है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के बयान लिये जा रहे हैं। इस चरण पर जांच के सम्बन्ध में कोई विवरण दिया जाना जनहित में न होगा । जी, नहीं। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही जांच ओ0 आर0 सी0 श्रेणी के सीमेंट के वितरण के सम्बन्ध में है, अतः उक्त श्रेणी से सम्बन्धित अभिलेखों को छोड़कर शेष अभिलेख पूर्ति कार्यालयों को फरवरी में ही वापस कर दिये गये। पूर्ति कार्यालयों में परमिट जारी करने का कार्य चल रहा है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला परिषद्, तथा क्षेत्रीय समितियों के चुनाव

**1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री जनार्दन प्रसाद आभा, तथा श्री हरिवंश सहाय–

क्या पंचायत राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् तथा क्षेत्रीय समितियों के चुनाव कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव नवम्बर तक सम्पन्न करा लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया नवम्बर में पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक तिथिवार कार्यक्रम घोषित न किए जाने का क्या कारण है और कब तक तिथिवार कार्यक्रम घोषित कर दिया जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव–

ग्राम सभा के चुनाव की प्रक्रिया पहले घोषित की गयी थी और जैसा कि हम सब जानते हैं बीच में करछना और गढ़वाल के चुनाव आ गये। तत्पश्चात् पंचायतों के चुनाव प्रोग्राम में परिवर्तन करना पड़ा और जो 21 जून तक समाप्त होने थे वे 15 जुलाई तक समाप्त हो सके। अब जहां तक पंचायतों का सवाल है वे 10 तारीख को संगठित हो चुकी हैं और 20 तक शपथ हो चुकी है। इधर विधान सभा का सत्र आरम्भ हो गया तो बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि चुनाव की प्रक्रिया जो भी आप चालू करें, वह विधान सभा के सत्र के बाद हो। इसलिए उनकी राय से सहमत होते हुए सरकार ने चुनाव के आगे की प्रक्रिया घोषित नहीं की, लेकिन विचार हो रहा है और जैसे ही विधान सभा का सत्र समाप्त होगा चुनाव के आगे की प्रक्रिया घोषित कर दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी तक जो विधि की व्यवस्था है, उसके अनुसार क्षेत्र समितियों के चुनाव में महिलाओं, समाज के कमजोर लोगों, हरिजनों और प्रगतिशील काश्तकारों द्वारा लगभग 15 सदस्यों का कोआप्शन हुआ करता था पर अब बजाय कोआप्शन के नौमिनेशन किया जायेगा। तो इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या नीति है?

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मै माननीय मंत्री जी को, उन्होंने 76,000 ग्राम सभाओं के चुनाव सम्पन्न कराये हैं, उसके लिए उन्हें बधाई देते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो डिमोक्रेटिक तरीके से चुनाव उन्होंने ग्राम सभाओं के कराये हैं, उसी तरह से क्षेत्र समितियों में भी किसी तरह का नामिनेशन नहीं किया जायगा?

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य की भावनाओं पर विचार किया जायगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, जो पंचायत एक्ट में चुनाव की प्रक्रिया है, उसके अनुसार वह तो एक महीने में हो सकते हैं, माननीय मंत्री जी नवम्बर में चुनाव कराने को कह रहे हैं, यह अगस्त में सत्र चल रहा है, तो सितम्बर में भी चुनाव वह करा सकते है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई आर्डिनेंस वगैरह लाकर, उसमें संशोधन करेंगे, इसलिए देर की जा रही है?

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, इस प्रश्न पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्षेत्र समितियों का चुनाव तो वह कहते हैं कि नवम्बर तक कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्षेत्र समितियों का गठन कब तक हो जायगा, इसके सम्बन्ध में क्या कोई वह आश्वासन देंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, अभी जो ग्राम पंचायतों के चुनाव के आगे की प्रक्रिया है, वह ही नहीं तय की गयी है, उस प्रक्रिया के अन्तर्गत क्षेत्र समितियों के गठन के सम्बन्ध में तिथि निर्धारित की जायगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, जैसे कोआप्शन के सम्बन्ध में 5 प्रतिनिधि आते हैं, क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि कोआप्शन के लिए क्षेत्र समितियों का चुनाव चूंकि आवश्यक है, इसलिए क्षेत्र समितियों का चुनाव हो जाय या उनमें से 5 आदमी आ जायेंगे, इस पर कोई विचार माननीय मंत्री जी ने रखा है?

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, इस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो माननीय रियासत हुसैन के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस पर विचार किया जायगा, उसी के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि नामिनेशन और क्षेत्र समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में बिल पुरःस्थापित हो चुका है, क्या उनके सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव–

मेरे विचार से तो ऐसा कोई विधेयक प्रस्तुत है नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

लम्बित है।

श्री बलराम सिंह यादव–

अगर लम्बित है, तो उसको वापस लेने पर विचार कर लिया जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ब्लाक समितियों के गठन के समय प्रमुखों का चुनाव और क्षेत्र समितियों का चुनाव एक साथ होगा या अलग-अलग होगा ?

श्री बलराम सिंह यादव–

मान्यवर, प्रक्रिया तो अलग-अलग है, लेकिन इस पर विचार कर लिया जायगा।

गांव पंचायतों का चुनाव एवं गठन

**2–श्री अकबाल हुसैन तथा श्री बलबीर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि अभी हाल में हुए पंचायतीराज के चुनाव के फलस्वरूप जो गांव प्रधान निर्वाचित हुए हैं, उनको अब तक कार्यभार नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

चुनावोपरान्त निर्वाचन निदेशक द्वारा गांव पंचायतों के संगठन की तिथि 10 अगस्त, 1982 निर्धारित की गयी है। नियमः पंचायतों के गठन के उपरान्त ही निर्वाचित प्रधानों एवं पंचायत के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने के बाद कार्यभार दिया जाना हैं, जिसे 10 अगस्त, 1982 से 10 दिन के अन्दर पूरा कराने हेतु समस्त जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक निर्देश निदेशक पंचायत राज द्वारा भेज दिए गये हैं।

श्री रियासत हुसैन–

यह देखते हुए कि प्रधानों के जो चुनाव हुए उसके बाद से अब तक शपथ लेने के बीच में जो दो ढाई महीने का अन्तर हो गया, इस बीच कुछ प्रधान एसे हैं जो मार डाले गये हैं, क्या एसे लोगों को कुछ कम्पेनसेशन सरकार देगी?

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न आपका इससे उठता नहीं है, मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री बलराम सिंह यादव–

माननीय सदस्य ने कहा कि ढाई-तीन माह का अन्तर हो गया, एसी बात नहीं है। 15 जुलाई तक चुनाव पूर्ण हो चुके हैं। 15 जुलाई के बाद जिलों से सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं, सूचना एकत्र करने के बाद अधिसूचना जारी होती है और इसमें कुछ समय लग जाता है। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच का समय रखा गया है जिसमें यह आथ हो जायेंगी।

श्री मोहन सिंह–

बहुत सी एसी ग्राम सभायें हैं जहां चुनाव या तो उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण अथवा किसी की मृत्यु तत्काल हो जाने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से स्थगित हो गये हैं, तो जहां-जहां चुनाव स्थगित हो गये हैं, वहां यह चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

74,102 ग्राम सभायें हैं जिनमें से 71,574 ग्राम सभाओं के चुनाव पूरे हो चुके हैं, शेष के जो रह गये हैं वहां चुनाव शीघ्र कराये जाने की तैयारी की जा रही है, यह शीघ्र हो जायेंगे।

श्री अकबाल हुसैन–

4 जुलाई को अंतिम चक्र चुनाव का समाप्त हुआ और 6 जुलाई तक सभी परिणाम घोषित कर दिये गये। 10 अगस्त की तारीख घोषित की गयी उनके संगठन की। इसी बीच इनका संगठन होने से पूर्व राजस्व विभाग ने जिन तालाबों आदि की नीलामी करा डाली है तथा कुछ पट्टे आदि भी करा दिये हैं, क्या उन सब को निरस्त किया जायेगा क्योंकि यह शपथ न दिलाये जाने के कारण किया गया है?

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया अलग से यह प्रश्न करें। इस प्रश्न से इसका संबंध नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

इन प्रधानों की शपथ शासकीय अधिकारी जो कराते हैं, इसका क्या औचित्य है? जन प्रतिनिधियों द्वारा क्यों नहीं करायी जाती?

श्री बलराम सिंह यादव–

यह तो नियमों में जो प्राविधान है, उसी के अनुसार कार्य होता है। पंचायत राज एक्ट में यह व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत के प्रधानों की शपथ परगना अधिकारी करायेंगे और जो चुनाव हुए, चुने हुए सदस्यों को शपथ ए0 डी0 ओ0 पंचायत करायेंगे। जो व्यवस्था है उसी के अनुसार कार्यवाही की गई है।

श्री चेतराम गंगवार–

बहुत से अनपढ़ प्रधान चुने गये हैं उनको कार्यग्रहण करते समय कठिनाई होती है। कैशबुक है, पास बुक है, कार्यवाही रजिस्टर है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करायेंगे कि चार्ज एस0 डी0 एम0 या खण्ड विकास अधिकारी के सामने कराया जाय?

श्री मोहन सिंह–

वह अनपढ़ मंत्रियों की दिक्कत बतला रहे हैं।

श्री बलराम सिंह यादव–

लगभग सभी पढ़े लिखे आ रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा बहुत सी ग्राम सभाओं के चुनाव स्टे हो गये, पिटिशन दायर कर दी गई एस0 डी0 एम0 के यहां और कह दिया कि कोई काम नहीं करेंगे। जमीनों के आवंटन आदि का काम सरकारी कर्मचारियों से कराया जा रहा है। क्या इसको रोकने की व्यवस्था करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

इनका प्रश्न जमीन के आवंटन से है।

श्री बलराम सिंह यादव–

जब तक ग्राम सभाओं के चुनाव नहीं हो जाते तब तक भूमि का आवंटन नहीं हो सकता है।

श्री अकबाल हुसैन–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मंत्री जी ने कहा कि जहां पर चुनाव नहीं हुए या हो गये, पट्टे आदि का प्रश्न नहीं उठता। मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्वाचन हो गया और शपथ ग्रहण के बीच में जो राजस्व विभाग ने पट्टे कर दिये हैं, उनको निरस्त करने का आदेश देंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं पहले ही आपके इस प्रश्न को अस्वीकार कर चुका हूं।

श्री सूबेदार सिंह–

जो चुनाव हुए हैं, उसमें चुनाव चिह्न थे कैन्डीडेट का नाम नहीं छपा था क्या इस बार दोनों छपवाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव–

जो प्रक्रिया अभी तक चली आ रही है वही जारी रहेगी।

श्री मित्रसेन–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जो चुनाव कराये गये उसमें मतदाताओं के निशान नहीं लगाये गये? जिसके कारण अनियमितता हुई और जो सक्षम लोग हैं वही जीत पाये?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न नहीं उठता, यह इससे नहीं उठता, आप बैठें।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, जो अनियमितता हुई है उसको दूर करने के लिए शासन से आश्वासन चाहता हूं।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब नियम में यह प्राविधान है कि ग्राम-सभाओं के निर्वाचन के बाद यथाशीघ्र सभापतियों एवं उसके सदस्यों का शपथग्रहण करा लिया जाय, तो क्या कारण है कि ढाई महीने का विलम्ब किया गया?

नोटः–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो बता चुके हैं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में चीनी तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की चोर बाजारी के सम्बन्ध में जांच

1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में चीनी तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं और पुष्टाहार योजना के चावल की चोर बाजारी के सम्बन्ध में दिनांक 10-11-81 को जनता पार्टी के भू0 पू0 एम0 एल0 ए0 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक पत्र भेजकर शिकायत किया है? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और शिकायतों की जांच करा कर दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में की गई शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा कराई गई। जांच में यह पाया गया कि साधन सहकारी समिति, खजूरी के सेल्स-मैन द्वारा चीनी के वितरण में अनियमितताएं की गई। साधन सहकारी समिति, आशाजीतपुर (इसाइतपुर कलां) द्वारा चीनी/मिट्टी के तेल की चोर बाजारी में बेचे जाने की शिकायत निराधार पाई गई क्योंकि जांच के दौरान इस समिति से सम्बद्ध ग्रामों के कार्ड-धारकों ने बयान दिये थे कि उनको चीनी व मिट्टी का तेल बराबर मिल जाता है।

जहां तक जांच के बाद की गई कार्यवाही का प्रश्न है, साधन सहकारी समिति, खजुरी के सेल्स-मैन की सेवायें चीनी वितरण में उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण दिनांक 25-3-82 को समाप्त कर दी गई। साधन सहकारी समित खजुंरी से सम्बद्ध चार न्याय पंचायतों खजुरी, मुकुन्दीपुर, जैतपुर तथा रुदऊपुर में अब अलग-अलग विक्रेताओं की नियुक्ति कर दी गई है जिनके द्वारा प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर चीनी/मिट्टी के तेल का वितरण किया जा रहा है।

जहां तक पुष्टाहार योजना में की गई धांधली की शिकायत का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में डी0ओ0, पी0आर0डी0, फैजाबाद द्वारा जांच की जा रही है।

लखनऊ स्थित तालकटोरा आवास योजना में भूमि के बास्तविक प्रतिकर के भुगतान की जांच तथा कैसरबाग कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

2–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्थित तालकटोरा आवास योजना में बिना भूमि के या कम भूमि की जगह अधिक अर्जित भूमि के नाम पर सैकड़ों व्यक्तियों ने चार करोड़ से अधिक धनराशि सरकार को धोखा देकर प्राप्त किया जिसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग 1978 से कर रहा है ? इस संबंध में क्या कोई अंतरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां ।

प्रश्नगत योजना में भूमि के वास्तविक प्रतिकर से लगभग 2 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक भुगतान की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । दिनांक 29 जनवरी, 1982 को एक अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई जिसमें केवल एक मामला 60,000/- (साठ हजार रुपए) का अनधिकृत भुगतान की विवेचना पूर्ण होने की सूचना है । इसमें दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 409/420/467/468/471/120-बी भा0 दं0 वि0 एवं 5(2) भूमि वि0 अधि0 के आरोप पत्र दिए गए संबंधित भूमि अध्यापित अधिकारी व दो लिपिकों को निलंबित किया गया है । उपरोक्त चारों दोषी व्यक्ति न्यायालय की जमानत पर हैं ।

3–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या यह भी सच है कि तत्कालीन जिलाधिकारी, लखनऊ ने इस संबंध में कैसरबाग कोतवाली में कोई रपट भी दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या पूरा विवरण सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां ।

इस रिपोर्ट की विवेचना कैसरबाग के उप-निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह ने प्रारम्भ की तथा सर्वश्री राम चन्द्र मणि त्रिपाठी एवं शहरयार हैदर रिजवी को गिरफ्तार किया गया । अब दोनों ही व्यक्ति न्यायालय की जमानत पर हैं ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में विशेष सम्परीक्षाओं की रिपोर्ट

4–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मसरूर जाफरी–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में चल रहे क्षेत्रीय नगर प्रशासन एवं प्रशिक्षण तथा शोध केन्द्र के लेखों की विशेष सम्परीक्षायें तत्कालीन उपकुलपति के अनुरोध पर 1972-74 के बीच कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो इस विशेष सम्परीक्षा द्वारा कौन-कौन सी मुख्य अनियमिततायें पाई गई थी तथा सरकारी धन के दुरुपयोग के क्या उदाहरण प्रकाश में आये थे और क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त सम्परीक्षा के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी विशेष सम्परीक्षाओं की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना–

प्रश्नगत विशेष सम्परीक्षा शासन के आदेश पर परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा की गयी थी । इसमें मुख्यत: लेखों के रख-रखाव में अनियमितता, अग्रिमों का ठीक से समायोजन न करना, बिलों का बिना सत्यापन के भुगतान कराना आदि सरकारी धन के दुरुपयोग के उदाहरणों का उल्लेख है । अब तक 123 आपत्तियों में से 8 आपत्तियां निस्तारित कर दी गयी है । इस अवधि के अभिलेख विश्वविद्यालय के अग्निकांड में नष्ट हो गए हैं जिसके कारण दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही संपादित न की जा सकी है ।

विशेष सम्परीक्षाओं की रिपोर्ट का निष्कर्ष ऊपर दे दिया गया है ।

लखनऊ-कानपुर रोड पर स्थित सुभाष नगर मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगवाने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

5–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 23 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग (लेसू) द्वारा माह अप्रैल, 1982 में प्रश्नगत सर्विस लाइन को कसने का कार्य हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर ट्यूब फिटिंग का कार्य कब तक हो जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना–

प्रश्नगत सर्विस लाइन को लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग द्वारा नहीं कसा गया है परन्तु नगर महापालिका द्वारा तार कसवा कर पांच ट्यूब फिटिंग आल्टरनेट पोलों पर दिनांक 30-4-82 को लगा दिए गए हैं ।

लखनऊ-कानपुर रोड पर स्थित सुभाष नगर (भोला खेड़ा) मोहल्ले में सड़क निर्माण कार्य तथा स्वीकृत निविदा

6–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 22 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सड़क को मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की निविदा कितने रुपए में किस ठेकेदार के नाम स्वीकृत हुई है ? क्या सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां ।

उक्त सड़क के सुधार हेतु रु0 88,186-70 पैसे की निविदा श्री उत्तम चन्द्र जैन ठेकेदार के नाम स्वीकृत हुई है। 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य यथा शीघ्र पूरा हो जायगा ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में एडहाक कर्मचारियों की सेवा को स्थायी करने पर विचार

7–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में कार्यरत 575 रुपये मासिक वेतन पाने वाले एडहाक कर्मचारियों की सेवा को 180 दिन (6 माह) हो गए हैं उन्हें स्थायी करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो उन सभी कर्मचारियों को जिनकी सेवा करते हुए 6 माह व्यतीत हो चुके हैं कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री बच्चा पाठक–

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के नियमों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में स्थायी नियुक्तियां मण्डल द्वारा ही चयनित अभ्यर्थियों में से की जा सकती हैं ।

अतएव रु0 575 मासिक वेतन पाने वाले स्टाफ गेप व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों जिनकी सेवा 180 दिन हो गयी है, की नियमित नियुक्ति बैंक द्वारा किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता जब तक उनका चयन मण्डल द्वारा न हो जाय ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में कार्यरत एडहाक कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी पर विचार

8–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में कार्यरत कर्मचारियों (एडहाक) का वेतन 365 रुपए से 575 रुपये बढ़ाने का आदेश 1 अप्रैल, 1982 से जारी किया गया ? यदि हां, तो क्या सहकारिता मंत्री उपरोक्त आदेश 1 जनवरी, 1981 से लागू करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

9037

श्री बच्चा पाठक–

जी हां । उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में (स्टाफ गैप अरेन्जमेन्ट) अस्थायी व्यवस्था में कार्यरत 105 सहायकों को दिनांक 1-4-82 से रु0 575 प्रति माह के हिसाब से नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं । चूंकि यह मामला बैंक के प्रबन्ध से

सम्बन्धित है अतएव शासन की ओर से इन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1981 से उक्त वेतन लागू करने के सम्बन्ध में विचार करने का प्रश्न नहीं उठता । बैंक ने यह भी सूचित किया है कि दिनांक 1-1-81 से 575 रु0 प्रति माह देने का प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है ।

श्री बी0डी0 शर्मा, सेनेटरी इंस्पेक्टर के विरुद्ध आरोपों की जांच तथा कृत कार्यवाही

9–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचल खाद्य दल लखनऊ मंडल में तैनात सेनेटरी इंस्पेक्टर (श्री बी0डी0शर्मा) के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा 1975-76 में करायी गयी थी? और इसकी जांच आख्या के आधार पर उनकी सत्य निष्ठा संदिग्ध पाये जाने के कारण उनका सत्य निष्ठा प्रमाण-पत्र रोकने के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे? यदि हां, तो क्या सत्य निष्ठा प्रमाण-पत्र रोकने के आदेश स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा जारी कर दिए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

जी हां, श्री बी0 डी0 शर्मा, सेनेटरी इंस्पेक्टर के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच आरोप अनुसंधान विभाग द्वारा की गई थी और एक आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोकने की संस्तुति की थी। इस संस्तुति के अनुरूप कार्यवाही करने के आदेश निदेशक को दे दिये गये थे। सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोकने के पूर्व श्री शर्मा को कारण बताओ नोटिस दिया गया था जिसका उत्तर प्राप्त हो गया है और वह अभी विचाराधीन है।

10–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शर्मा को लखनऊ में कार्य करते हुए कितना समय व्यतीत हो चुका है ? उनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतों की जांच के परिणाम तथा लखनऊ में तैनाती की लम्बी अवधि को दृष्टि में रखते हुए क्या उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

श्री शर्मा लखनऊ में पिछले चार वर्षों से तैनात हैं। उनके विरुद्ध जुलाई, 1982 में प्राप्त शिकायतों की जांच करायी जा रही है। जांच के दौरान श्री शर्मा को अयन्त्र स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

सेक्टर 'जी' अलीगंज योजना में भूखंड स्वामियों की शिकायतों को दूर करने हेतु कृत कार्यवाही

11–श्री राम आसरे वर्मा–

प्रथम सत्र 82 के 3रे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 3 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संबंधित विषय पर भूखंड स्वामियों की शिकायतों को दूर करने के संबंध में 4-2-82 के बाद से अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो क्यों? इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है?

श्री राम सिंह खन्ना–

अलीगंज योजना के सेक्टर 'जी' में हाइटेन्सन लाइन शिफ्ट करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रु0 1,99,922 की धनराशि अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वितरण खण्ड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को दिनांक 4 मई, 1982 को भुगतान कर दी गयी है और इस कार्य को शीघ्रता से करने हेतु उक्त अभियन्ता को दिनांक 4 जून तथा 28 जून, 1982 को दो अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ एवं आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा श्री के0 पी0 सिंह को वेतन भुगतान

12–श्री राम आसरे वर्मा–

प्रथम सत्र 82 के, 4थे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 117 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ एवं आगरा विकास प्राधिकरण ने मार्च, 1979, अगस्त, 1981 तक प्रत्येक माह श्री के0 पी0 सिंह को किस वेतन क्रम, किस दर से वेतन, महंगाई भत्ता एवं प्रतिनियुक्त भत्ते का भुगतान किया और प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने के आदेश शासन ने किस-किस तिथि को पारित किये ?

श्री राम सिंह खन्ना–

सूचना एकत्र की जा रही है।

'नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग' के कर्मचारियों द्वारा की गयी शिकायतों पर कृत कार्यवाही तथा अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन की निरस्ति

13–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों की ओर से जुलाई, 1981 से फरवरी, 1982 की अवधि में कोई शिकायत शासन को प्राप्त हुई है कि मुख्यालय लखनऊ में नियुक्तियों एवं स्थानान्तरणों में पक्षपात किया जा रहा है और ऐसे लोगों की नियुक्तियां आशुलिपिक पद पर की गयी है जो निर्धारित न्यूनतम अर्हता एवं आशुलिपि का ज्ञान नहीं रखते हैं? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करा कर कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां। दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' के दिनांक 6-1-82 में छपे लेख की सूचना शासन में प्राप्त हुई थी।

यह सत्य नहीं है कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में नियुक्तियों/स्थानान्तरणों में पक्षपात किया जा रहा है।

आशुलिपि के पद पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किया गया है।

14–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या आवास मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि टाउन प्लानिंग विभाग उ0 प्र0 ने दिनांक 18-12-81 को समाचार पत्रों में आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 योजना के अन्तर्गत 59 पदों पर नई भर्ती के लिये आवेदन पत्र 31-12-81 तक मांगे गये थे ? क्या यह सही है कि दस हजार से अधिक प्रार्थना-पत्रों के प्राप्त हो जाने के बाद चयन निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था? इस निर्णय के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है? अब स्वच्छ भर्ती हेतु क्या नीति अपनाई जायेगी?

श्री राम सिंह खन्ना?

जी हां। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 59 अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु एक विज्ञापन प्रसारित किया गया था जिसे प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक इन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी हैं। उन्हीं के द्वारा निर्णय लिया गया । अब भर्ती हेतु संबंधित नगरों के सेवायोजन कार्यालयों से सूची मंगाकर उन्हीं में से अर्हता पास अभ्यर्थियों को विभागीय चयन समिति द्वारा नियुक्त किया गया है।

खाद्य तथा रसद विभाग की आपूर्ति शाखा में लोक सेवा आयोग द्वारा अधिकारियों का अनुमोदन हेतु कृत कार्यवाही

15–श्री श्याम लाल बाजपेयी–

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग की आपूर्ति शाखा में लोक सेवा आयोग के परिपेक्ष्य में आने वाले कितने अधिकारी ऐसे हैं जो 8–10

वर्षों मे अपने पदों पर कार्यरत हैं परन्तु उनका अनुमोदन अभी तक आयोग द्वारा नहीं कराया गया ? क्या ऐसे अधिकारियों को आयोग द्वारा अनुमोदित कराने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री वासदेव सिंह–

खादय तथा रसद विभाग की आपर्ति शाखा में 8–10 वर्षों से कार्यरत अधिकारियों जिनका अनमोदन लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर आयोग से नहीं हआ है, की संख्या 34 है।

वरिष्ठ निरीक्षक के पद की ज्येष्ठता सची के लोक सेवा अधिकरण द्वारा निरस्त हो जाने के कारण क्षेत्रीय खादयाधिकारी के प्रोन्नत के कोटे के पदों पर लोक सेवा आयोग से अनुमोदन कराना सम्भव नहीं है। इस ज्येष्ठता सची को पुन: अन्तिम रूप देने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। इस कार्यवाही के पर्ण हो जाने के बाद ही क्षेत्रीय खादय अधिकारी के पदों पर अनुमोदन कराना सम्भव हो सकेगा।

क्षेत्रीय खादय अधिकारी के प्रोन्नति के कोटे के पदों पर आयोग से चयन हो जाने के बाद और सीधी भर्ती से तैनात किये गये क्षेत्रीय खादयाधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित होने के बाद ही जिला पर्ति अधिकारी श्रेणी-3 के प्रोन्नति के कोटे के पदों पर आयोग से चयन कराना सम्भव हो सकेगा।

16–श्री मोहन सिंह–

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य रक्षालस संस्थान, पटवाडांगर में सहायक अभियन्ता के पद पर हुई नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही तथा श्री मदन गोपाल सिंघल का बकाया यात्रा भत्ते का भुगतान

17–श्री छत्तर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग के पटवाडांगर वैक्सीन इन्स्टीट्यूट में सहायक अभियन्ता पद पर दिसम्बर, 80 में की गयी अनियमित प्रोन्नति के सम्बन्ध में माननीय विधायकगण श्री छत्तर सिंह, नन्द किशोर आदि द्वारा उन्हें तथा निदेशालय को प्रेषित पत्र दिनांक 3-11-81, 2/3 मार्च, 82, 30/31 मार्च, 82, एवं मा0 सभापति लोक लेखा समिति, उ0 प्र0 द्वारा उन्हें प्रेषित समविषयक पत्रांक 386 दि0 15-12-81 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासनादेशों 29-4-80, 17-5-79 व 18-4-78 के विरुद्ध की गई अनियमित प्रोन्नति के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं। राज्य रक्षालस संस्थान पटवाडांगर में सहायक अभियन्ता के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा चने गये अभ्यर्थी, श्री मदन गोपाल सिंघल, को नियक्ति प्रदान की गई थी किन्त उन्होंने निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया अत: संस्थान में कर्य संचालन हेतु खाली पद पर अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में तदर्थ प्रोन्नति कर दी गयी जो शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार है।

18–श्री छत्तर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य रक्षालस संस्थान, पटवाडांगर, नैनीताल के तत्कालीन सहायक अभियन्ता श्री मदन गोपाल सिंघल का सन 1975 का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान उन्हें अभी तक किन कारणों से नहीं हुआ है? जबकि इस बारे में शासन तथा अधिकारियों को अनेकों बार लिखा गया है? भुगतान में 6-7 वर्षों की देरी का क्या कारण है?

श्री लोकपति–

श्री मदन गोपाल सिंघल, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, राज्य रक्षालस संस्थान, पटवाडांगर द्वारा वर्ष 1975 में उनके स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के रुपया 132.20 तथा 502.67 के बिल क्रमश: दिनांक 6-12-76 तथा 29-1-77 को प्रस्तुत किये

गये थे जो यात्रा के एक वर्ष बाद क्लेमेन्ट द्वारा प्रस्तुत किये जाने के कारण महा-लेखाकार द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये।

19–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

20–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री सियाराम श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका टांडा, फैजाबाद के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

21–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सियाराम श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक, नगर पालिका टांडा, फैजाबाद के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कोई पत्र दिनांक 2-9-81 को उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां। निदेशक स्थानीय निकाय की आख्या मांगी गई थी जो प्राप्त हुई है। विधि परामर्श प्राप्त होने के बाद विचार किया जायगा।

श्री राधेश्याम पाण्डे, सचिव, कोआपरेटिव सोसाइटी जगुई-ब्लाक टांडा, फैजाबाद के विरुद्ध गबन की रिपोर्ट

22–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि श्री राधेश्याम पाण्डे, सचिव, कोआपरेटिव सोसाइटी, जगुई-ब्लाक टांडा, थाना इब्राहीमपुर, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध गबन किये जाने के संबंध में माह नवम्बर, 1981 में थाना इब्राहीमपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है? यदि हां, तो रिपोर्ट में कुल कितनी धनराशि व किन-किन किसानों के नाम से कितनी धनराशि गबन किये जाने की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है? क्या रिपोर्ट के आधार पर सचिव के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12-11-81 को थाना इब्राहीमपुर में दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में कुल गबन धनराशि रु0 1,21,776·42 पैसा दर्ज कराई गई। इस रिपोर्ट में श्री राधेश्याम पाण्डे, सचिव के विरुद्ध निम्नलिखित धनराशियों का गबन दर्ज कराया गया :–

(1)	उर्वरक के स्टाफ में कमी करके	10,245·54
(2)	152 किसानों के नाम फर्जी उर्वरक ऋण वितरण तथा अनुदान दिखाकर	88,684·80
(3)	फर्जी रसीद जारी करके	1,900·00
(4)	रोकड़ कम दर्शाकर एवं चार्ज में न देकर	16,499·84
(5)	कैशबुक में प्राप्त धन अंकित न करके	20·00
	योग–	1,17,350·18

फैसानों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

श्री राधेश्याम पाण्डे, सचिव दिनांक 31-8-81 को निलंबित कर दिये गये तथा मामला विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) पुलिस के विवेचनाधीन है।

नगर पालिका टांडा, फैजाबाद के कूड़ा व मैला ठेकेदार के विरुद्ध आरोप

23–श्री गोपी नाथ वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका टांडा, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत कम्पोस्ट नाली, कूड़ा व मैला ठेकेदार वर्ष 1981-82 को कम्पोस्ट वाइलाज के अनुरूप कम्पोस्ट नालियों को बनाने का अधिकार अधिशासी अधिकारी व प्रभारी अधिकारी नगर पालिका टांडा द्वारा दिया गया है? यदि हां,. तो ठेकेदार द्वारा दिनांक 16-11-81 व 1-1-82 के शिकायती आवेदन पत्र के निस्तारण में नगर पालिका द्वारा चोरी से कूड़ा व मैला बेच लेने के विरुद्ध कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी नहीं। नगरपालिका टाण्डा द्वारा वर्ष 1981-82 में बनी हुई कम्पोस्ट नालियों को बेचने का ठेका दिया गया था।

प्रश्नगत आरोप जांच में निराधार पाये गये।

भूमि विकास बैंक, टांडा, फैजाबाद द्वारा श्री सीताराम वर्मा को दिये गये नान अप्रूव्ड 'अमृत' डीजल इंजन की शिकायत पर स्थानीय जांच तथा कृत कार्यवाही

24–श्री गोपी नाथ वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 22, 23, 24 व 25 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित कृषक के शिकायती पत्र दि0 6-7-76 के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय फैजाबाद मंडल फैजाबाद के पत्रांक 706-7/शिकायत/टांडा/76-77, दिनांक 13-8-76 के द्वारा दि0 20-8-76 को विभाग द्वारा स्थानीय जांच कराई गई थी? यदि हां, तो उसमें मुख्य शिकायतें क्या थीं और उसमें कृषक व विक्रेता फर्म से पृथक-पृथक क्या लिखित बयान लिये गये तथा उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बच्चा पाठक–

प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद के पत्रांक 706-7/टांडा/शिकायत/76-77, दिनांक 13-8-76 द्वारा श्री सीताराम वर्मा को उनके शिकायती पत्र के संबंध में जांच हेतु 20-8-76 को बैंक की शाखा टाण्डा में उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु इस तिथि को फर्म का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ, फलस्वरूप जांच नहीं की जा सकी, और क्षेत्रीय प्रबन्धक ने जांच हेतु शाखा प्रबंधक, उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, टाण्डा को निदेश दे दिया। शाखा प्रबन्धक की रिपोर्ट तथा कृषक के बयान के आधार पर क्षेत्रीय प्रबन्धक फैजाबाद ने अपनी रिपोर्ट अपने पत्रांक 1202/शिकायत/टांडा/76-77, दिनांक 21-10-76 द्वारा भेजी। शाखा प्रबन्धक की जांच रिपोर्ट के अनुसार मुख्य शिकायत यह थी कि श्री सीताराम को विक्रेता फर्म द्वारा सम्पूर्ति किया गया "अमृत" डीजल इंजन खराब होने के कारण शिकायत कर्ता ने विक्रेता फर्म को उक्त इंजन वापस कर दिया और आपसी समझौता द्वारा "किर्लोस्कर" पम्पसेट इस शर्त के साथ प्राप्त किया कि एक माह के अन्दर फर्म उसे वापस ले लेगी और उन्हें दूसरा "अमृत" इंजन 8 हा0 पा0 मिल जायेगा। जांच के दौरान शाखा प्रबन्धक द्वारा कृषक तथा विक्रेता फर्म दोनों के बयान लिये गये थे। फलस्वरूप शाखा प्रबन्धक, टाण्डा को यह निदेश दिया गया कि वे विक्रेता फर्म की जमा प्रतिभूति में से पैंतीस सौ रुपये मय ब्याज के काटकर श्री सीताराम के ऋण खाते में समायोजित कर दें, और जब तक वह कार्यवाही

न हो जाय तब तक श्री सीताराम से इंजन के लिये दिये गये ऋण की वसूली न की जाय। शाखा में विक्रेता फर्म की जमानत जमा नहीं थी। अतः "अमृत" डीजल इंजन के निर्माता मेसर्स एवरेस्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, राजकोट की जमानत से मू0 3500 रुपये की कटौती करके श्री सीताराम के खाते में समायोजित करने के आदेश इस प्रतिबंध के साथ दिये गये कि श्री वर्मा द्वारा प्राप्त किया गया पुराना किर्लोस्कर इंजन मेसर्स एवरेस्ट इंजीनियरिंग वर्क्स को "फ्रेन्ट टू पे" आधार पर वापस कर दें।

25—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या यह सत्य है कि प्रधान कार्यालय के पत्रांक 112005/शिकायत/3778/टांडा फैजाबाद/77-78, दि0 19-11-77 के अनुसार अमृत इंजन के कान्ट्रैक्टिंग फर्म मेसर्स आर0 जे0 लाल एण्ड संस, लखनऊ का विभाग को सूचित यह तथ्य कि उक्त कृषक को हमारे अधिकृत विक्रेता फर्म द्वारा 7-8 हार्स पावर का अमृत इंजन नं0 1245 दिया गया था जिसे कृषक ने अपने गांव के प्रधान श्री रामदास को नगद धन लेकर बेच दिया है ? विभाग द्वारा स्थानीय जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो उसमें क्या जांच आख्या थी?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां, जांच के अनुसार कान्ट्रैक्टिंग फर्म द्वारा दी गयी सूचना मिथ्या पायी गई।

26—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या विभाग के पास विक्रेता फर्म एवं कृषक के मध्य लिखित इस प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र है कि विक्रेता फर्म ने कृषक को पुराना किर्लोस्कर इंजन वापस किये गये त्रुटिपूर्ण अमृत इंजन नं0 1245 के बदले में ही दिया है? यदि नही, तो विभाग द्वारा उक्त पुराना किर्लोस्कर इंजन जाजती तौर पर निर्माता फर्म को क्यों दिलाया जा रहा है?

श्री बच्चा पाठक—

श्री सीताराम ने शाखा प्रबन्धक की जांच के दौरान स्वयं यह लिखित बयान दिया कि उनको एक समझौते के अन्तर्गत डीलर द्वारा कुछ समय तक काम चलाने के लिये पम्पसेट दिया गया और कहा गया कि एक माह में दूसरा नया इंजन मंगवा कर दिया जायेगा। इसी से स्पष्ट है कि श्री सीताराम को त्रुटिपूर्ण इंजन के बदले दूसरा इंजन दिया गया, लेकिन त्रुटिपूर्ण इंजन के बदले नया इंजन श्री सीताराम को विक्रेता फर्म द्वारा न दिये जाने तथा बैंक में उसकी प्रतिभूति न जमा होने के फलस्वरूप इंजन के निर्माता फर्म की जमानत से उसके विक्रेता फर्म को किये गये भुगतान की धनराशि मूवलिग 3500 रुपये की प्रतिपूर्ति का आदेश दिया गया है। अतः जब श्री सीताराम इंजन के मूल्य का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं तो उनके द्वारा कुछ समय तक काम चलाने के लिए लिया गया इंजन वापस कराना उचित है। जहां तक अमृत इंजन के नम्बर का प्रश्न है फर्म व कृषक के मध्य हुए उक्त संदर्भित लिखित समझौते में यद्यपि उसका नम्बर 1245 अंकित है किन्तु बैंक की पत्रावली में इंजन की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रलेखों के अनुसार 1285 नम्बर का अमृत इंजन ही दिया गया जिन पर कृषक विक्रेता फर्म एवं सहायक विकास अधिकारी (अ0स0) तथा खण्ड विकास अधिकारी टांडा के भी हस्ताक्षर हैं।

27—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या यह सत्य है कि कृषक ने दि0 24-7-74 को कोई शिकायती पत्र शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक, शाखा टांडा फैजाबाद को दिया था जिसके आधार पर शाखा प्रबंधक ने चेक भुगतान रोक दिया था तथा दि0 10-5-74 को विक्रेता फर्म व कृषक के मध्य लिखित समझौते के आधार पर पनः चेक का भुगतान किया था? यदि हां, तो विभागीय अधिकारियों द्वारा मूल तथ्य को छिपाने का क्या कारण है?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं, कृषक का कोई शिकायती पत्र दिनांक 24-7-74 बैंक अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। ऐसा भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है कि उक्त कथित पत्र के आधार पर शाखा प्रबंधक ने (विक्रेता फर्म को) चेक का भुगतान रोक दिया था।

संयुक्त निदेशक (क्षय रोग) द्वारा की गई लिपिकीय वर्ग में अनियमित नियुक्तियां तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का आरक्षण

28–श्री मोहन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त निदेशक (क्षयरोग) द्वारा मार्च/अप्रैल, 1982 को लिपिकीय वर्ग में 65 लोगों की अनियमित नियुक्ति किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र 26 अप्रैल, 1982 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में कौन-कौन सी शिकायतें हैं और अभी तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति–

जी हां, 14 अप्रैल, 1982 का पत्र प्राप्त हुआ था । परन्तु यह नियुक्तियां नियमानुसार हुई हैं ।

29–श्री मोहन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि संयुक्त निदेशक (क्षयरोग) द्वारा मार्च/अप्रैल, 1982 में नियुक्त किये गये 65 लिपिकों में विभाग में कार्यरत तीन चार साल से दैनिक वेतन के कर्मचारियों का तथा आरक्षण प्राप्त जातियों के एक भी कर्मचारी नहीं नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? तथा उक्त नियुक्ति में कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी है?

श्री लोकपति–

निदेशालय द्वारा की गयी नियुक्तियों में आरक्षण प्राप्त विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों को समायोजित किया गया है । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आरक्षण कोटि में नहीं आते हैं ।

जिला देवरिया के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को उर्वरक क्रय पर अनुमन्य अनुदान का भुगतान

30–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र देसही देवरिया रामपुर कारखाना व देवरिया जिला देवरिया के अन्तर्गत वर्ष 79-80 व 81 के दौरान लघु व सीमान्त कृषकों को उर्वरकों पर जो छूट दी गयी थी वह छूट अभी तक सभी सम्बन्धित काश्तकारों (सदस्यों) को नहीं मिली है ? क्या यह सत्य है कि कुछ सदस्य जो कि मर गये थे, उनके नाम भी छूट की खाद कुछ सचिवों द्वारा निकाल लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा उन सभी सदस्यों के नामों की पूरी सूची उपलब्ध करायी जायेगी जिनको उपरोक्त वर्षों में छूट की खाद दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

वर्ष 1979-80 में 1819 तथा वर्ष 1980-81 में 2906 लघु एवं सीमान्त कृषकों को उर्वरक की बिक्री की गयी थी । इन सभी कृषकों को उर्वरक क्रय पर अनुदान अनुमन्य था । वर्ष 1979-80 में 1748 लघु व सीमान्त कृषकों को तथा वर्ष 1980-81 में 1908 लघु एवं सीमान्त कृषकों को उर्वरक क्रय पर अनुमन्य अनुदान (छूट) का भुगतान किया गया । शेष कृषकों को कतिपय औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर अनुमन्य अनुदान का भुगतान किया जायेगा ।

जी नहीं ।

नामों की सूची मेरे कार्यालय में उपलब्ध है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जिला देवरिया के कतिपय विकास खण्डों में कार्यरत विभिन्न साधन सहकारी समितियों के सचिवों व सेल्समैनों की वित्तीय स्थिति

31–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड देसही देवरिया, रामपुर कारखाना व देवरिया जिला देवरिया के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न साधन सहकारी समितियों के सचिवों व सेल्समैनों की वित्तीय स्थिति (चल व अचल सम्पत्ति बैंक बैलेन्स) वर्ष 81 के शुरुआत में व अब मार्च, 82 के अन्त तक क्या है व प्रत्येक का अलग-अलग पूरा विवरण क्या है ?

श्री बच्चा पाठक–

हां
अपेक्षित विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे माननीय सदस्य देख सकते हैं ।

विकास क्षेत्र देसही, देवरिया, जिला देवरिया के अन्तर्गत सहकारी समितियों को चीनी, कपड़ा, मिट्टी के तेल का आवंटन

32–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र देसही देवरिया जिला देवरिया के अन्तर्गत किन-किन सहकारी समितियों में कितना-कितना चीनी, कपड़ा, मिट्टी का तेल, उर्वरक खाद माह जुलाई, 81 से मार्च, 82 के बीच प्रत्येक माह में अलग-अलग, किस-किस मात्रा में आवंटित किया गया है ? व एक ही विकास खण्ड के कुछ साधन सहकारी समितियां सभी आवश्यक सामानों को वितरित कर देती है?

श्री बच्चा पाठक–

विवरण संलग्न है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 110-111 पर)

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा गोरखपुर व आजमगढ़ में नल्कूपों में प्रयुक्त बजड़ी की जांच

33–रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित ता0 प्र0 सं0 14 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्री नन्द किशोर सिंह, क्षेत्र गौरी बाजार जिला देवरिया का जो पत्र दि0 3-2-82 को लोकदल विधान मंडल कार्यालय से उनको प्राप्त कराया गया था उस पत्र में दिये गये नल-कूपों में से किन-किन नलकूपों में डाली गयी ग्रेविल (बजड़ी) की जांच करवाई गई, जांच किसने की व पूरी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यों के बंटवारे हेतु गठित समिति तथा विद्युत एवं यांत्रिक अभियन्ताओं की नियुक्तियों का अनुपात

34–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यों के बंटवारे हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति को रिपोर्ट के

मुताबिक 20 प्रतिशत निर्माण कार्य, 100 प्रतिशत अनुरक्षण कार्य कराने की जिम्मेदारी विद्युत एवं यांत्रिक अभियन्ताओं को सौंपी गयी थी ? यदि हां, तो किन कारणों से उत्तर प्रदेश जल निगम में विद्युत एवं यांत्रिक अभियन्ताओं की नियुक्तियों का अनुपात सिविल अभियन्ताओं की तुलना में बहुत कम है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

प्रदेश के विभिन्न अभियंत्रण विभागों में विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं को प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विचार करने के सम्बन्ध में तत्कालीन राज्य मंत्री, सिंचाई मंत्री श्री राज बिहारी सिंह की अध्यक्षता में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 5-10-72 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था । समिति ने विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग (अब जल निगम) का 20 प्रतिशत कार्य विद्युत एवं यांत्रिक अभियंताओं के चार्ज में दिया जा सकता है । इस समय उत्तर प्रदेश जल निगम में विद्युत एवं यांत्रिक अभियंताओं की निर्माण शाखाओं में नियुक्ति, सिविल संवर्ग के अभियंताओं की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत है ।

गोरखपुर मण्डल में प्रस्तावित नई पाइप जल प्रदाय योजना

35–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा गोरखपुर मण्डल में वर्ष 1982-83 में कौन-कौन सी नई जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है व प्रत्येक पर विभिन्न मदों में अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है?

श्री राम सिंह खन्ना–

वर्ष 1982-83 के बजट में गोरखपुर मण्डल में कोई नई पाइप जल प्रदाय योजना पर कार्य प्रस्तावित नहीं है । चालू पाइप जल प्रदाय योजनाओं को पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है । शासन की वर्तमान नीति हैण्ड पम्पों द्वारा अभावग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने की है । तद्नुसार गोरखपुर मण्डल के 558 अभाव-ग्रस्त ग्रामों में प्रथम चरण में 1116 हैण्ड पम्पों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिस पर वित्तीय वर्ष 1982-83 में लगभग रु0 190.00 लाख के व्यय का अनुमान है ?

तृतीय अस्थायी निर्माण शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम, पिथौरागढ़ का बागेश्वर को स्थानान्तरण

36–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 744/प्र-1/4 मु0 स्थानान्तरण दि0 23-6-79 के द्वारा तृतीय अस्थायी निर्माण शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम, पिथौरागढ़ का स्थानान्तरण पिथौरागढ़ से बागेश्वर कर दिया गया था और यह शाखा वहां पर विद्युत एवं यांत्रिक शाखा में सिविल शाखा में बदल दी गयी थी, ? यदि हां, तो पूर्व विद्युत एवं यांत्रिक शाखा में नियुक्त विभिन्न श्रेणी के अभियन्ताओं का कहां-कहां स्थानान्तरण किया गया और किन-किन अधिकारियों के किन-किन आदेशों से ?

श्री राम सिंह खन्ना–

उत्तर प्रदेश जल निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 744/प्र-1/4-मु0 (स्थानान्तरण) दिनांक 23-6-79 द्वारा तृतीय अस्थाई निर्माण शाखा (वि0यां0) उत्तर प्रदेश जल निगम, पिथौरागढ़ से बागेश्वर स्थानान्तरित किया गया । सिविल कार्यों की अधिकता के कारण इस शाखा में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की तैनाती की गई । उक्त शाखा के बागेश्वर स्थानान्तरण के समय उसमें एक सहायक अभियन्ता (वि0यां0) एवं सात अवर अभियन्ता (वि0यां0) कार्यरत थे । कार्यरत सहायक अभियन्ता एवं चार अवर

अभियन्ताओं का स्थानान्तरण मुख्यालय क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2460/अधि0–सृजन दिनांक 22-8-79 द्वारा इसी शाखा के अधीन पिथौरागढ़ में किया गया । इसी आदेश के अंतर्गत एक अवर अभियन्ता का स्थान्तरण मुख्यालय बागेश्वर किया गया । शेष दो अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण अधीक्षण अभियन्ता, यांत्रिक मण्डल, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1519/अ-2/298, दिनांक 23-6-79 एवं 1443/अ-2/290 दिनांक 19-6-79 द्वारा द्वितीय निर्माण शाखा, हल्द्वानी के लिये किया गया ।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के विरुद्ध विभिन्न भ्रष्टाचारों के आरोपों की जांच, विभिन्न श्रेणी के सामानों की आपूर्ति हेतु मांगे गये टेण्डर तथा आपूर्तिकर्ता ठेकेदारों के बिक्री-कर व आय-कर के रजिस्ट्रेशन की जांच

37–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले गुरु0 के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 171 के उत्तर के संदर्भ में यदि सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार थे तो उस अधिकारी द्वारा किन नियमों के अधीन, बिना शासन्न की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये हुए पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) निवासी श्री मु0 शफी वर्तमान में कम्प्रेशर, ड्राइवर अस्थाई निर्माण शाखा, जल निगम, गोरखपुर की नियुक्ति उस शाखा में की गयी थी ? क्या अन्य कर्मचारियों की तरह उनके निवास स्थान व आचरण की पुलिस वैरीफिकेशन कराई गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कर्मचारियों की नियुक्ति करने के पूर्व शासन के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है । श्री मो0 शफीक के आचरण एवं चरित्र का सत्यापन पुलिस विभाग गोरखपुर से कराया गया था जिसमें उन्होंने श्री मो0 शफीक पुत्र श्री बी0 जेड0 खां, मो0 तिवारीपुर, थाना राजघाट, जिला गोरखपुर का चाल चलन ठीक होना प्रमाणित किया है ।

38–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

उक्त प्रश्न के सन्दर्भ में क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उस अभियन्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितने लाख रुपये की विभिन्न श्रेणी के सामानों की आपूर्ति ली थी तथा प्रत्येक के लिए कब टेण्डर निकाले थे व उन टेण्डरों की प्रमाणित प्रतिलिपियां (फोटो प्रतिलिपियां) क्या हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना–

सम्बन्धित अभियन्ता के विरुद्ध जांच के बाद के कुछ तथ्य प्रकाश में आये । मामले से सम्बन्धित सभी तथ्यों की पुनः जांच कराई जा रही है ।

39–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

उक्त प्रश्न के संदर्भ में क्या मा0 मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन-जिन सामानों की आपूर्ति उस अधिकारी ने जिन-जिन ठेकेदारों से ली उन ठेकेदारों ने अलग-अलग वर्ष 77, 78 79 व 80 में कुल कितने लाख रुपये के सामान आपूर्ति किये तथा उन सभी आपूर्तिकर्ता ठेकेदारों के बिक्री-कर व आय-कर का रजिस्ट्रेशन था या नहीं ? यदि था, तो उनका रजिस्ट्रेशन नम्बर व वर्ष क्या है तथा उन्होंने आपूर्ति किये गये माल पर कितने हजार रुपये बिक्री-कर के दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

सम्बन्धित अभियन्ता के विरुद्ध जांच के बाद कुछ तथ्य प्रकाश में आये। मामले से सम्बन्धित सभी तथ्यों की पुनः जांच कराई जा रही है ।

40–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 80 के 2रे गुरु0 के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 28 व विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले गुरु0 के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 171 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कराई गयी जांच की पूरी रिपोर्ट क्या है व उस अधिकारी को निर्दोष साबित करने के पहले, शिकायतकर्ता 18 विधायकों व अन्य लोगों को जिन्होंने आरोप लगाये थे, क्या अपना पक्ष प्रस्तुत कर उस अधिकारी को दोषी साबित करने हेतु मौका दिया गया था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी एक पक्षीय निर्णय को बदल कर, शिकायतकर्ताओं के भी बयान व दलीलें सुनकर पुनः निर्णय लेंगे ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

सम्बन्धित अभियन्ता के विरुद्ध जांच के बाद कुछ तथ्य प्रकाश में आये । मामले से सम्बन्धित सभी तथ्यों की पुनः जांच कराई जा रही है ।

परगनाधिकारी, देवरिया के कार्यालय में सीमेन्ट के आवंटन में धोखा धड़ी व अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच

41–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुनीर हैदर, नाजिमे आला मदरसा इसहाकिया मिफताहुल उलूम ग्राम व पोस्ट देवरिया बुद्धू खां व श्री हसनैन खां निवासी उपरोक्त ग्राम सभा दोनों निवासी तहसील व जिला देवरिया का भेजा हुआ दिनांक 25-2-82 का कोई रजिस्टर्ड पत्र उनको परगनाधिकारी, देवरिया के कार्यालय में सीमेन्ट के आवंटन में किये गये धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके जांच का परिणाम क्या है तथा उन्हें भविष्य में सीमेन्ट आवंटित करने हेतु क्या आदेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासदेव सिंह–

जी, हां ।

उक्त पत्र जिलाधिकारी, देवरिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल रूप में दिनांक 4-3-82 को भेज दिया गया था । जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त पत्र उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है । दिनांक 28 फरवरी, 1982 से सीमेन्ट की नई वितरण प्रणाली लागू हो जाने के कारण लेवी सीमेन्ट के पात्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं जिन्हें ही लेवी सीमेन्ट का वितरण किया जा रहा है ।

सीमेन्ट की दोहरी मूल्य नीति के अन्तर्गत प्रदेश को लेवी सीमेन्ट का त्रैमासिक आवंटन तथा अधिकारियों को दिये गये आदेश

42–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन की दोहरी वितरण प्रणाली में सीमेन्ट के कन्ट्रोल रेट पर आवंटन हेतु जो नीति निर्धारित की गयी है उसका पूरा विवरण क्या है तथा पात्र व्यक्तियों को कन्ट्रोल रेट पर सीमेन्ट सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार अधिकारियों को क्या आदेश दिये गये हैं ?

श्री वासुदेव सिंह–

सीमेन्ट की दोहरी मूल्य नीति के अन्तर्गत प्रदेश को भारत सरकार से लेवी सीमेन्ट का त्रैमासिक आवंटन प्राप्त होता है जिसका वितरण निम्नांकित श्रेणियों में किया जा रहा है :–

(1) आर0 सी0/पब्लिक सेक्टर,

(2) जन वितरण/ओ0 आर0 सी0/आर0 सी0/पब्लिक सेक्टर श्रेणी के अन्तर्गत सरकारी/अर्द्ध-सरकारी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को लेवी सीमेन्ट का आवंटन शासन स्तर से किया जाता है जिसकी उठान आवंटी सीधे फैक्ट्रियों से करते हैं ।

जन वितरण/ओ0 आर0 सी0 श्रेणी के अन्तर्गत भी जिलेवार आवंटन शासन स्तर से किया जाता है जिसका वितरण जिला स्तर पर किया जाता है ।

नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, लघु उद्योगों इत्यादि बड़े-बड़े उपभोक्ताओं को जिला पूर्ति अधिकारी ओ0 आर0 सी0 श्रेणी के अन्तर्गत लेवी सीमेन्ट का सीधा आवंटन फैक्ट्रियों से करते हैं और आवंटी फैक्ट्री से सीधे उसकी उठान करता है ।

छोटे निजी आवासीय भवनों, निर्बल वर्ग आवास योजना, विशेष समन्वित योजना, हरिजन आवास योजना, ग्रामीण पेय जल योजना, अल्प सिंचाई योजना, गूलों, गोबर गैस संयंत्रों तथा नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित मदों एवं शैक्षिक, धार्मिक एवं धमार्थ संस्थाओं, सरकारी भवनों की मरम्मत के लिये लेवी सीमेन्ट का वितरण परमिटों पर किए जाने की व्यवस्था है । शहरी क्षेत्रों में परमिट जारी करने का अधिकार जिला पूर्ति अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परमिट जारी करने का अधिकार खण्ड विकास अधिकारियों को दिया गया है ।

नलकूप एसम्बली लोअरिंग के समय सहायक अभियन्ता द्वारा पाइप की नाप

43–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के प्रथम गुरु0 के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 167 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप एसम्बली लोअर को जाती है उसको बिना उखाड़े नापने के लिये साउन्डिंग की विधि से उसकी नाप नहीं ली जाती है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ने बिना एसम्बली उखाड़े नलकूप की नाप 204 फुट कैसे पायी है ? दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

नलकूप एसम्बली लोअरिंग के समय पाइप की नाप सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में लोअरिंग के पूर्व ली जाती है । उसके बाद ही पाइप एसम्बली लोअर की जाती है जिसकी नाप सहायक अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में अंकित की जाती है । साउन्डिंग की विधि से इस प्रकार नाप लेना उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस विधि से नलकूप की कुल उपलब्ध अन्दरूनी गहराई ही ज्ञात होती है । इस प्रकार इस मामले में किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अस्थायी निर्माण शाखा, जल निगम, गोरखपुर द्वारा सामानों की आपूर्ति, आमंत्रित टेन्डरों की प्रतिलिपियां तथा सामानों के क्रय हेतु दिये गये आदेश

44–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के प्रथम गुरु0 के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 164 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 व 1979-80 के दौरान जिन-जिन सामानों की आपूर्ति लेनी दिखलाई गयी है उसमें क्रय किये गये प्रत्येक सामान के लिये जो भी टेन्डर आमंत्रित किये गये थे, उनकी प्रतिलिपियां क्या हैं ? जिन-जिन सामानों को बिना टेण्डर के क्रय किया गया है उसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

45–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि भविष्य में जल निगम में सामानों के क्रय हेतु कौन से ठोस आदेश दिये गये हैं ?

श्री रामसिंह खन्ना–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जल निगम की नवसृजित अनुरक्षण शाखाओं में सिविल संवर्ग के अभियंताओं की नियुक्ति

46–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 3रे गु0 के अता0 प्र0 सं0 30 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में नवसृजित अनुरक्षण शाखाओं में पूर्व में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (जो कि जल निगम में सिविल एवं विद्युत यांत्रिक के कार्यों के निर्धारण हेतु शासन द्वारा गठित की गयी थी) की अनुशंसाओं के विपरीत सिविल कैडर के अभियन्ताओं की नियुक्ति की गयी है ? क्या अब इन शाखाओं में विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग के अभियन्ताओं की नियुक्तियां करके इस संवर्ग की पदोन्नति के रास्ते का मार्ग प्रशस्त किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना–

जल निगम की नवसृजित शाखाओं में ग्रामीण पेय जल योजनाओं के अनुरक्षण का कार्य कराया जा रहा है जिनमें सिविल कार्यों की प्रधानता होने के कारण सिविल अभियन्ताओं की नियुक्ति की गयी है । अनुरक्षण शाखाओं में रखरखाव कार्य के लिये सिविल संवर्ग के अभियंता उपयुक्त होने के कारण विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के अभियन्ताओं की नियुक्ति का औचित्य नहीं है ।

साधन सहकारी समिति, धमऊर के अन्तर्गत पिपरा मदन गोपाल ग्राम सभा में उपकेन्द्र की स्थापना

47–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कार्यालय के पत्र सं0 2320 दि0 30-11-81 के द्वारा साधन सहकारी समिति, धमऊर, विकास क्षेत्र देसही, देवरिया, जिला देवरिया के अन्तर्गत ग्राम सभा देवरिया बुदध खां में समिति का उपकेन्द खोलने हेतु जो आदेश दिया गया था, उस पर किन कारणों से कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? उक्त ग्राम में कब तक उपकेन्द्र खोल दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

प्रश्नगत आदेश का आशय यह था कि साधन सहकारी समिति धमऊर के अन्तर्गत अन्य ग्राम सभाओं के उपभोक्ताओं के सुख-सुविधा को ध्यान में रखते हुए यदि नियमानुसार दूसरी दूकान खोली जा सके तो खोल दी जाये । किन्तु जांचोपरान्त यह पाया गया कि उक्त समिति के अन्तर्गत पिपरा मदन गोपाल ग्राम सभा आबादी की दृष्टिकोण से तथा अन्य ग्राम सभाओं के मध्य में स्थित होने के कारण उपकेन्द खोलने के लिये अधिक उपयुक्त स्थान है । अतः पिपरा खास स्थान में जो ग्राम सभा पिपरा मदन गोपाल में है, दुकान खोली गयी । जहां से न्याय पंचायत स्तरीय साधन सहकारी समिति धमऊर के समस्त उपभोक्ताओं को सामान लेने में सुविधा होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम में सिविल कैडर में सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति एवं चयन का आधार तथा सुपरसीडेड सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियंताओं के पद पर पदोन्नति हेतु विचार

48–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले गु0 के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 170 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन सहायक अभियन्ताओं के नामों पर चयन समिति ने विचार किया था तथा चयन का क्या आधार रखा गया था ? जिन-जिन सहायक अभियन्ताओं का चयन नहीं किया गया उनके विरुद्ध क्या शिकायतें थीं ?

श्री रामसिंह खन्ना–

चयन समिति द्वारा जिन सहायक अभियन्ताओं के नामों पर विचार किया गया उनकी सूची संलग्नक 'क' पर दी गयी है तथा चयन का आधार उ0 प्र0 जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली 1978 के विनियम 5111 (ख) (1) 18 एवं 19 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता रखा गया । जिन सहायक अभियन्ताओं के नामों पर विचार नहीं किया गया उसके कारण संलग्नक 'ख' पर हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 112-113 पर।)

49–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या सरकार उन समस्त सुपरसीडेड सहायक अभियन्ताओं को जिनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं पाई गयी हो, पुनः अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति करने हेतु विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना–

जिन सुपरसीडेड सहायक अभियन्ताओं को पदोन्नति हेतु बाद में उपयुक्त पाया गया उनकी पदोन्नति कर दी गयी है। इस समय सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति किये जाने पर माननीय लोक सेवा अधिकरण द्वारा रोक लगा दी गयी है तथा रोक समाप्त होने के पश्चात ही शेष सुपरसीडेड अभियन्ताओं की पदोन्नति पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री हसनैन खां, अवर अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम के विरुद्ध शिकायतों की जांच

50–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले गुरु0 के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 166 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 25-8-81 व साथ के अन्य संलग्नकों की जांच का परिणाम क्या रहा और किसके द्वारा जांच कराई गयी तथा पूरी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामसिंह खन्ना–

प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 25-8-81 व साथ के अन्य संलग्नकों में उल्लिखित शिकायतों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है । प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया नगरपालिका में नजूल की भूमि

51–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया नगरपालिका क्षेत्र में कितनी नजूल भूमि सन् 74 में थीं ? क्या यह सही है कि नजूल भूमि पर अनेक लोगों ने अपना अधिकार कर लिया है ? क्या सरकार नजूल भूमि खाली करवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामसिंह खन्ना–

देवरिया नगरपालिका के अन्दर सन् 74 में कुल 271.86 एकड़ नजूल भूमि थी । नजूल भूमि पर किसी व्यक्ति ने अनाधिकार कब्जा नहीं किया है । अतः भूमि खाली कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) का सृजित पद

52–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 3रे गुरुवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 28 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उ0 प्र0 जल निगम में विद्युत एवं यांत्रिकी संवर्ग के 27 शाखा व 7 मण्डल के तथा उ0 प्र0 जल

संस्थान के कार्यों पर ठीक-ठीक निगरानी रखने के लिये उ0 प्र0 जल निगम में विद्युत एवं यांत्रिकी संवर्ग के कम से कम एक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) का पद सृजित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना–

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिकी) का एक अस्थाई पद शासन द्वारा सृजित किया जा चूका है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में सिविल अथवा मैकेनिकल अवर अभियन्ता के नियमिती-करण, स्थायीकरण व पदोन्नति के मामले का निर्णय

53–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में कुल कितने सिविल व मैकेनिकल अवर अभियन्ताओं का रेगुलाइजेशन स्थायीकरण व पदोन्नति का मामला गोपनीय प्रतिवेदनों के अभाव में रुका हुआ है और वे गोपनीय प्रतिवेदन कब से कब तक जल निगम मुख्यालय पर अनुपलब्ध हैं ?

श्री रामसिंह खन्ना–

उ0 प्र0 जल निगम में किसी भी सिविल अथवा मैकेनिकल अवर अभियन्ता का नियमितीकरण, स्थायीकरण व पदोन्नति का मामला गोपनीय प्रतिवेदन के अभाव में नहीं रुका हुआ है ।

54–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जिन-जिन अवर अभियन्ताओं के गोपनीय प्रति-वेदन 2 साल या उससे अधिक समय के जल निगम मुख्यालय पर अनुपलब्ध हैं क्या उन्हें सामान्य मानते हुए उनके रेगुलराइजेशन, प्रमोशन आदि के मामलों को तुरन्त से निर्णीत कर लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राम सिंह खन्ना–

प्रश्न नहीं उठता ।

द्वितीय अस्थायी निर्माण शाखा उ0 प्र0 जल निगम, आजमगढ़ में कार्यरत डिंग मेक रिंग मशीन पर व्यय

55–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 3रे गुरुवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 108 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत रिंग मशीन पर जो 29,000 रु0 का व्यय किया गया है उस व्यय का पूरा ब्योरा क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

प्रश्नगत रिंग मशीन पर लगभग रु0 29,000 (कुल रुपया 29,407) का जो व्यय किया गया है उसका ब्योरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 114-115 पर।)

पर्वतीय अंचलों में कार्यरत जल निगम की इकाइयों को जल संस्थानों में मिला देने का निर्णय

56–श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के पर्वतीय अंचलों में कार्यरत उ0 प्र0 जल निगम की इकाइयों को तोड़ कर स्थानीय जल संस्थानों में मिला दिया गया है तथा वहां पर कार्यरत जल निगम के कर्मचारियों को उनके इच्छा के विरुद्ध जल संस्थानों में कार्य करने को बाध्य होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो ऐसा करने का कारण क्या है ? क्या शासन द्वारा अपने निर्णय में परिवर्तन करके पहाड़ी क्षेत्रों में

कार्यरत जल निगम की इकाइयों को पूर्व की भांति कार्य करने की अनुमति दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल, जलोत्सारण आदि योजनाओं का विरचन व निर्माण तथा संचालन व रख-रखाव दो अलग-अलग संस्थाओं द्वारा किए जाने की द्विवस्तरीय व्यवस्था के फलस्वरूप अनुभव की गयी असुविधाओं और कठिनाइयों के कारण शासन ने समस्त कार्य एक ही संस्था द्वारा किए जाने के संबंध में जल निगम व जल संस्थान के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में यह कार्य जल संस्थानों द्वारा किया जायेगा ।

उक्त निर्णय में परिवर्तन करने का अभी कोई विचार नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

57–श्री राम आसरे वर्मा–

[2रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

नगरीय मलेरिया योजना, मेरठ के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति

58–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

प्रथम सत्र 1982 के 6ठे गुरुवार के अता0 प्र0सं0 17 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कितने पद रिक्त हुए ?

श्री लोकपति–

वर्षवार रिक्त पदों की संख्या निम्न प्रकार है:–

1973	1
1976	1
1977	3
1978	3
1979	1
योग	9

59–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

विकास खंड देसही देवरिया, जिला देवरिया के अन्तर्गत साधन सहकारी समितियों की जमा धनराशि तथा ब्याज पर ऋण का वितरण

60–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड देसही देवरिया, जिला देवरिया के अन्तर्गत कार्यरत साधन सहकारी समितियों की अलग-अलग जमा पूंजी क्या है तथा प्रत्येक समिति में अलग-अलग कुल कितनी धनराशि हिस्सेदारों के हिस्से के रूप में जमा है तथा हिस्सेदारों को समितियों द्वारा कितने प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिया जाता है और उनके हिस्से पर कुल कितने प्रतिशत की दर से मुनाफा दिया जाता है?

श्री बच्चा पाठक–

समितियों की अलग-अलग जमा पूंजी तथा हिस्सेदारी की जमा धनराशि का विवरण निम्नवत है :—

क्रमांक	समिति का नाम	जमा पूंजी (रु0 में)	हिस्सेदारी के रूप में जमा धनराशि (रु0 में)
1	–नोतनहथियागढ़	1,85,597·02	1,23,136·62
2	–हेतिमपुर	1,74,088·94	1,29,541·40
3	–पिपरादौला कदम	1,57,088·96	1,19,548·78
4	–परासखांड	1,35,303·93	72,039·05
5	–देसही देवरिया	1,88,006,83	72,497·07
6	–धमऊर	1,87,680·13	1,27,182·97
7	–डिघवा पोटवा	1,06,306·51	70,653·07
8	–हरैया बसन्तपुर	1,53,754·34	98,335·14
9	–पकड़ी बीरभद्र	1,35,146·13	21,824·10

समितियों द्वारा सदस्यों को 12 प्रतिशत ब्याज पर ऋण वितरित किया जाता है और समिति में जमा हिस्सेदारी पर ब्याज का बकाया न रहने पर वितरण योग्य लाभ का अधिकतम 9 प्रतिशत हिस्सेदारों को लाभांश वितरित किया जाता है ।

श्री श्याम लाल गुप्ता, लेखाकार की सहायक लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति तथा जांच

61–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि फरवरी, मार्च, 1981 में उ0 प्र0 पालिका केन्द्रीयित सेवा के एक ऐसे लेखाकार की पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी के पद नगर महापालिका कानपुर में तत्कालीन निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा कर दी गयी ? जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी अनुशासनिक कार्यवाही चल रही थी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

7 फरवरी, 1981 को श्री श्याम लाल गुप्ता, लेखाकार की प्रोन्नति सहायक लेखाधिकारी के पद पर की गयी थी किन्तु प्रोन्नति के समय उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं चल रही थी ।

62–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, अप्रैल, 81 में नगर महापालिका, कानपुर में अपने संवर्ग में कई व्यक्तियों से कनिष्ठ व्यक्ति को लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति की गयी जो अपने संवर्ग में कई व्यक्तियों से कनिष्ठ था ? क्या यह पदोन्नति नियमानुकूल थी ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना–

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली के नियम-31 में प्राविधानित अधिकारों का प्रयोग करते हुये अस्थायी रूप से श्री श्याम लाल गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी नगर महापालिका, कानपुर को लेखाधिकारी, नगर महापालिका कानपुर के पद पर कार्य करने की स्वीकृति दी गयी ।

नगरपालिका, प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी को निलम्बन के आदेश

63–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80 में तत्कालीन निदेशक द्वारा पारित नगरपालिका प्रतापगढ़ के अधिशासी अधिकारी को निलंबित करने के आदेशों का आज तक पालन नहीं किया गया ? इसका क्या कारण है ? और उनके निलंबन का आधार क्या था ?

श्री राम सिंह खन्ना–

निलंबन आदेश अधिशासी अधिकारी द्वारा गंजडुंडवारा एवं जलेसर में की गई कथित अनियमितताओं के सन्दर्भ में पारित किए गए थे । पुनर्विचार पर प्रश्नगत निलंबन आदेशों का कार्यान्वयन न करने और विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था ।

प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ उ0 प्र0 की मांगों के विषय में समझौते पर कृत कार्यवाही

64–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ उ0 प्र0 की मांगों के विषय में दिनांक 8 जून, 1981 को कोई लिखित समझौता संयुक्त निदेशक बालरोग एवं संयुक्त निदेशक, पैरा मेडिकल के हस्ताक्षर से हुआ था ? यदि हां, तो उस समझौते की पूर्ति हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

जी हां । समझौते में उल्लिखित मांगों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

65–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्ग में कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण वेतनमान तथा ड्यूटीज सरकार द्वारा समान रूप से निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को भी चिकित्सा संवर्ग के समान नि:शुल्क आवास अथवा आवासीय भत्ता देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

जी हां, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्ग में कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षण, वेतनमान तथा ड्यूटीज सरकार द्वारा समान रूप से निर्धारित की गयी है । स्वास्थ्य संवर्ग में कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को चिकित्सा संवर्ग में कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की भांति नि:शुल्क आवास अथवा आवासीय भत्ता दिए जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

लैब टैक्नीशियन की ड्यूटीज तथा वेतनमान

66–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 4440(8)/5-8-25/78 दिनांक 14 अगस्त, 1978 के आधार पर संयुक्त निदेशक, मलेरिया के पत्र संख्या माल0/ए/78, दिनांक 30-8-78 से लैब टेक्नीशियन की ड्यूटीज जो निर्धारित की गयी हैं वह पैथालाजिस्ट के समान हैं ? यदि हां, तो क्या लैब टेक्नीशियन को वेतनमान उसके आधार पर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है ।

स्वास्थ्य संवर्ग में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के सृजित पद तथा स्थायीकरण

67–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक के पत्र सं0 3फ/137/65/2954-3099, दिनांक 6 मार्च, 1981 के आधार पर कितने स्वास्थ्य संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ स्थायी किए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

स्वास्थ्य संवर्ग में प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के कुल सृजित पदों की संख्या 899 है जिसमें से 727 पद स्थायी घोषित किए जा चुके हैं ।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारी

68–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर चिकित्सा संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को नियुक्त किया गया, जबकि यह स्वास्थ्य संवर्ग का पद है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के पद भी स्वीकृत हैं । स्वास्थ्य संवर्ग के पद पर स्वास्थ्य संवर्ग का ही कर्मचारी कार्यरत है।

लैब टेक्नीशियन के संस्तुत वेतनमान पर विचार

69–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक द्वारा लैब टेक्नीशियन का वेतनमान 470-735 की संस्तुति गत वर्ष शासन को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो क्या लैब टेक्नीशियन को संस्तुत वेतनमान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

यह संस्तुति विचाराधीन है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का वेतनमान

70–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल फैकेल्टी द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता न रखने वाले कितने चिकित्सा संवर्ग में अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण से छूट देकर वैकल्पिक वेतनमान प्रशिक्षित का दिया गया ? क्या प्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बिना पैथालाजिस्ट के कार्यरत हैं, को इस प्रकार की छूट देकर कोई वैकल्पिक वेतनमान दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका, हरदोई को पेयजल व्यवस्था हेतु विश्व बैंक से ऋण

71–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विश्व बैंक के ऋण से नगरपालिका, हरदोई को वर्ष 1979-80, 1980-81 व 1981-82 में कितना-कितना धन दिया गया ? उस धन का उपयोग कहां-कहां किया गया ? क्या सरकार उपयोग किए गए धन की प्राविधिक जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

नगरपालिका, हरदोई को पेयजल व्यवस्था हेतु विश्व बैंक का कोई ऋण नहीं दिया गया ।

नगरपालिका, हरदोई में जल आपूर्ति हेतु जनरेटर की व्यवस्था

72–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका, हरदोई में जल आपूर्ति हेतु जनरेटर की व्यवस्था है ? यदि हां, तो वह जनरेटर कब खरीदा गया, इसमें कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त जनरेटर अभी भी चालू हालत में नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां ।

यह जनरेटर दिनांक 5 जून, 1980 को रु0 219154/- में खरीदा गया । उक्त जनरेटर चालू हालत में है ।

73–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

नगरपालिका बिल्हौर, जनपद कानपुर के अधिशासी अधिकारी का स्थानान्तरण तथा सरकारी आवास व बिजली और पानी की सुविधा

74–श्री मोतीलाल दहेलवी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि नगर पालिका बिल्हौर, जनपद कानपुर के अधिशासी अधिकारी का मार्च, 1980 से अप्रैल, 1982 तक कई बार स्थानान्तरण किया गया और फिर स्थानान्तरण रोक दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और किसकी सिफारिश पर स्थानान्तरण निरस्त किए जाते रहे हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना–

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, बिल्हौर को जून, 1981 एवं जुलाई, 1981 में स्थानान्तरित किया गया था । किन्तु इनकी प्रशासनिक कारणों और पारिवारिक कठिनाइयों को देखते हुए स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया गया ।

75–श्री मोतीलाल दहेलवी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को सरकारी आवास में नि:शुल्क रहने व बिजली और पानी की सुविधा नि:शुल्क दिए जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो किस नियम के आधार पर नगर पालिका बिल्हौर जनपद कानपुर के अधिशासी अधिकारी प्रारम्भ से अप्रैल, 82 तक सरकारी आवास में नि:शुल्क रह रहे हैं तथा बिजली और पानी का प्रयोग कर रहे हैं?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी नहीं ।

नगर पालिका बिल्हौर के अधिशासी अधिकारी को नियमानुसार सरकारी आवास एवं बिजली, पानी आदि की सुविधा नि:शुल्क देय नहीं है । उनसे देय शुल्क की नियमानुसार वसूली की जा रही है ।

76–श्री सन्तबक्स रावत–

[प्र0 सदस्य ने वापस ले लिया।]

निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय, लखनऊ के अधिष्ठान अनुभाग में तृतीय श्रेणी के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों का स्थानान्तरण

77–श्री नन्दराम–

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय में कितने ऐसे तृतीय श्रेणी के मिनिस्टीरियल कर्मचारी अधिष्ठान अनुभाग में हैं जो कि विगत 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों का तुरन्त स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय लखनऊ के अधिष्ठान अनुभाग में तृतीय श्रेणी के 26 मिनिस्टीरियल कर्मचारी थे जो कि विगत 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत थे । इन सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य अनुभागों में कर दिया गया है तथा उन्हें दिनांक 30-6-82 तक कार्यमुक्त भी कर दिया गया है ।

जल निगम में कार्यरत कार्य प्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों को नियमित किये जाने पर विचार

78–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखा अनुभाग-2 के आदेश सं0 ए-2/3/80/54/71, दि0 जनवरी 5, 1973 के आदेशों के विपरीत किन कारणों से उत्तर प्रदेश जल निगम में 14 सालों से अधिक समय से कार्यरत कार्यप्रभारी अधिष्ठान के कर्मचारियों को अब तक नियमित अधिष्ठान में नहीं लिया गया है व कब तक शासन के आदेशानुसार कार्यप्रभारी अधिष्ठान के तीन (3) साल से ऊपर से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में ले लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कितने पद नियमित किये जाने आवश्यक हैं, इस पर विचार करने के लिये जल निगम में एक समिति गठित की गई है, जिसकी आख्या प्रतीक्षित है । इसी बीच जल निगम द्वारा कार्यप्रभारित अधिष्ठान के 822 पदों के नियमितीकरण की स्वीकृति दी गयी है और इनके समक्ष कर्मचारियों को नियमित करने का मामला जल निगम के विचाराधीन है ।

जल निगम में कार्यरत नियमित अधिष्ठान के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी हेल्पर इलेक्ट्रीशियन आदि कर्मचारियों का स्थायीकरण व सेलेक्शन ग्रेड

79–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में 10 साल से अधिक समय से कार्यरत नियमित अधिष्ठान के (तृतीय व चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों को जो कि हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन आदि विभिन्न श्रेणी के पदों पर कार्यरत हैं, स्थायी किया जावेगा व उनके लिये भी सेलेक्शन ग्रेड की व्यवस्था की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक व कब से और नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

अभी तक एक पम्प आपरेटर और 8 स्वीपर का स्थायीकरण किया जा चुका है । शेष कर्मचारियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में जल निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है । कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड देने का मामला वेतन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित होगा ।

एच0 एस0 डी0 एवं एल0 डी0 ओ0 के फुटकर विक्रेता हेतु लाइसेन्स तथा श्री सत्य प्रकाश मिश्र को पूर्ति विभाग द्वारा लाइसेन्स न दिये जाने का कारण

80–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या खाद्य मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जिला पूर्ति अधिकारी को एक जनवरी, 1982 से 20-4-82 तक किस-किस तिथि को किन-किन लोगों के एल0 डी0 ओ0 व एच0 एस0 डी0 के फुटकर विक्रेता के लाइसेंसों हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? क्या पूर्ति विभाग द्वारा यह लाइसेन्स जारी करने से पूर्व नियमानुसार इन लोगों से आबकारी विभाग द्वारा देय फुटकर विक्रेता का स्टोरेज लाइसेन्स तथा परगना अधिकारी (क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी) की संस्तुति आदि पूर्ति अधकारी ने प्राप्त कर ली थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह–

उक्त अवधि में एच0 एस0 डी0 एवं एल0 डी0 ओ0 के फुटकर विक्रेता हेतु लाइसेन्स के लिये दो व्यक्तियों––

(1) श्री सत्य प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री बैजनाथ निवासी तिलहर तथा

(2) श्री राम कुमार पुत्र श्री राम भरोसे लाल निवासी रौरा तहसील सदर के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए ।

इनमें से पहले अभ्यर्थी श्री सत्य प्रकाश मिश्रा से दिनांक 6-2-82 को दो तथा दिनांक 8-2-82 को दो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये । दिनांक 6-2-82 को दिये गये प्रार्थना पत्रों के साथ उन्होंने आबकारी विभाग का स्टोरेज लाइसेन्स संलग्न किया था और दिनांक 8-2-82 को दिये गये प्रार्थना पत्र के साथ क्षेत्रीय विधायक तथा परगनाधिकारी की संस्तुति संलग्न की थी ।

दूसरे अभ्यर्थी श्री राम कुमार पुत्र श्री राम भरोसे लाल निवासी रौरा तहसील सदर के प्रार्थना पत्र दिनांक 20-3-82 को प्राप्त हुये जिनके साथ आबकारी स्टोरेज लाइसेन्स संलग्न था ।

81–श्री सत्य पाल सिंह–

क्या यह सच है कि काफी समय पूर्व आबकारी विभाग द्वारा फुटकर विक्रेता का स्टोरेज लाइसेन्स प्राप्त करने के साथ-साथ क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार परगना मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति के उपरान्त भी सत्य प्रकाश मिश्रा को आज तक पूर्ति विभाग द्वारा लाइसेन्स जारी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह–

शासन के वर्तमान निर्णय के अनुसार किसी स्थान पर स्थापित किसी रिटेल आउट-लेट के 10 किलो मीटर चतुर्दिक दायरे के बाहर ही, वह भी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पहले से पेटी डीजल डीलर चले आ रहे हैं, उन्हीं के बने रहने के निर्देश हैं तथा नगरीय क्षेत्रों में पेटी डीजल डीलर की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

चूंकि नगर तिलहर हेतु श्री मिश्रा लाइसेन्स चाहते थे, अतः शासन के उपर्युक्त निर्णय के आधार पर उन्हें तिलहर के लिये पेटी डीजल डीलर (डीजल के फुटकर विक्रेता) का लाइसेन्स जारी नहीं किया गया । एल0 डी0 ओ0 के लाइसेन्स हेतु उनके प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में कुछ औपचारिकतायें पूरी करने के लिये उन्हें जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा दिनांक 20-2-82 को सूचित किया गया था जिन्हें उन्होंने 3-5-82 तक पूरा नहीं किया था जिसके फलस्वरूप उन्हें उक्त तिथि तक एल0 डी0 ओ0 का लाइसेन्स जारी नहीं किया गया ।

नगरपालिका तिलहर (शाहजहांपुर) द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पट्टे पर भूमि देने का प्रस्ताव

82–श्री सत्य पाल सिंह–

प्रश्नकर्ता के प्रथम सत्र 82 के दूसरे गुरुवार व चौथे मंगलवार के लिये अत0 प्र0 सं0 109 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका तिलहर "शाहजहांपुर" ने कितने स्क्वायर मीटर भूमि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पट्टे पर देने हेतु प्रस्ताव शासन को कब भेजा था ? क्या यह प्रस्ताव अब भी जीवित माना जा रहा है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

नगरपालिका, तिलहर (शाहजहांपुर) से 20 मीटर लम्बी भूमि, जिसकी चौड़ाई नहीं दी गयी थी, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पट्टे पर देने का प्रस्ताव दिनांक 9-4-1974 को शासन को भेजा था । वह प्रस्ताव अब जीवित नहीं माना जा रहा है ।

टाउन एरिया, बिल्हौर के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किये जाने का प्रस्ताव

83–श्री मोतीलाल दहेलवी–

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि टाउन एरिया बिल्हौर (वर्तमान नगरपालिका) जनपद कानपुर ने वर्ष 1969–70 में टाउन एरिया कर्मचारियों के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पारित किया था ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां ।

टाउन एरिया कमेटी की बैठक दिनांक 20-3-70 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 निम्नवत् थी :–

"कमेटी ने सर्वसम्मति से तय किया कि जिन टाउन एरिया कर्मचारियों को यहां काम करते हुये एक वर्ष से अधिक हो चुका है ऐसे समस्त कर्मचारियों को स्थाई किया जाता है । और ऐसे समस्त कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फण्ड काटा जायगा जिसके नियम चेयरमैन महोदय द्वारा निश्चित होंगे ।

स्थानीय निकायों में कार्यरत अकेन्द्रीयत कर्मचारियों की प्रोन्नति केन्द्रीयत सेवा में करने हेतु प्रस्ताव

84–श्री मोती लाल दहलवी–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों में कार्यरत अकेन्द्रीयत कर्मचारियों को प्रोन्नति केन्द्रीयत सेवा में करने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्ष 79 से 81 तक कितने अकेन्द्रीयत कर्मचारियों की प्रोन्नति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी नहीं । अकेन्द्रीयित कर्मचारियों की प्रोन्नति केन्द्रीयत सेवा में करने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित सचिवालय द्वितीय कैफेटेरिया के सहायक प्रबन्धक को पुनः सेवा में लिये जाने का औचित्य तथा घाटे में चल रहे जलपान गृहों की सूची

85–श्री सन्तबक्श रावत–

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय स्थित उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की द्वितीय कैफेटेरिया के सहायक प्रबन्धक को माह दिसम्बर, 1973 में चोरी के मामले में रंगे हाथ पकड़ कर उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त सहायक प्रबन्धक को द्वारा सेवा में मात्र दो-तीन माह बाद ही ले लिया गया था ? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री वासुदेव सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित सचिवालय द्वितीय कैफेटेरिया के प्रबन्धक की सेवायें छटनी के परिणामस्वरूप दिनांक 6 दिसम्बर, 1973 को समाप्त कर दी गई थी किन्तु उन्हें 10 दिसम्बर, 1973 को कूपन सेक्टर के एक रिक्त पद पर पुनर्नियुक्त किया गया और बाद में सहायक प्रबन्धक का रिक्त पद उपलब्ध होने पर उन्हें 17-12-74 को पुनः सहायक प्रबन्धक के पद पर पदोन्नत किया गया । इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

86–श्री सन्त बक्श रावत–

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की कौन-कौन सी कैफेटेरिया वर्ष 1970 से 1976 तक घाटे में रहे थे ? क्या मन्त्री जी उक्त कैफेटेरिया तथा सहायक प्रबन्धकों के वर्षवार नाम बताने की कृपा करेंगे तथा यह भी कृपया बतायेंगे कि इस समय लखनऊ स्थित उक्त निगम के कितने जलपान-गृह घाटे में चल रहे हैं ?

श्री बासुदेव सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अन्तर्गत, लखनऊ जनपद में स्थित, हानि पर चल रही कैफेटेरियों के सम्बन्ध में स्थित निम्न प्रकार है :–

वर्ष	घन्टे पर चलने वाली कैफेटेरिया का नाम	कैफेटेरिया में नियुक्त सहायक प्रबन्धक का नाम
1970 से 31 मार्च, 1973 तक	इस अवधि की सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है।	
1973-74	1–सचिवालय द्वितीय	श्री के0 के0 पाण्डे
1974-75	1–सचिवालय द्वितीय	1–श्री के0 के0 पाण्डे (दिसम्बर 74 तक) 2–श्री बी0 एस0 अस्थाना (जनवरी, 1975 से मार्च 1975 तक)
	2–सार्वजनिक निर्माण विभाग	1–श्री पंकज कुमार दास
	3–राजकीय मुद्रणालय	1–श्री लल्लू प्रसाद अवस्थी
	4–कृषि निदेशालय	1–श्री हरीराम गुप्त (दिसम्बर 74 तक) 2–श्री के0 के0 पाण्डे (जनवरी, 1975 से मार्च, 1975 तक)
1975–76		
	1–सार्वजनिक निर्माण विभाग	श्री पंकज कुमार दास
	2–राजकीय मुद्रणालय	श्री लल्लू प्रसाद अवस्थी
	3–कृषि निदेशालय	श्री के0 के0 पाण्डे
	4–सिंचाई विभाग	श्री प्रेम नारायण शर्मा
	5–परिवहन आयुक्त कार्यालय	श्री हरीराम गुप्ता
	6–मुख्य मंत्री जी निवास स्थान	श्री पी0 टी0 अन्थोनी

वर्तमान समय में निम्नलिखित जलपानगृह घाटे पर चल रहे हैं:–

क्र0-सं0	जलपानगृह का नाम
1	1–सार्वजनिक निर्माण विभाग
2	2–राजकीय मुद्रणालय
3	3–कृषि निदेशालय
4	4–सिंचाई विभाग
5	5–परिवहन आयुक्त कार्यालय
6	6–स्वास्थ्य निदेशालय
7	7–जिलाधिकारी कार्यालय
8	8–जल विद्युत कार्यालय
9	9–शक्ति भवन
10	10–जल निगम
11	11–राजस्व परिषद्

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के उप निदेशक, श्री एस0 डी0 पी0 निगम का पुनर्नियुक्ति का औचित्य

87–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के उप निदेशक (श्री एस0डी0पी0 निगम) की सेवा निवृत्ति की आयु पूर्ण करने के बाद भी दो बार एक्सटेंशन दिया गया? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में? क्या मंत्री जी इन्हें तत्काल सेवानिवृत्त कर किसी योग्य उप निदेशक की नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के उप निदेशक, श्री एस0डी0पी0 निगम को सेवा निवृत्ति की आयु दिनांक 31 मई, 1980 को पूर्ण करने के बाद, सेवा में एक्सटेंशन नहीं दिया गया, वस्तुतः उनको दिनांक 31 अक्टूबर, 1980 को एक वर्ष की अवधि के लिए, उप निदेशक के पद पर अनुबन्ध के आधार पर पुनर्नियुक्ति किया गया। तत्पश्चात् उनकी पुनर्नियुक्ति की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई गयी, जो कि 31 अक्तूबर, 1982 को पूर्ण हो जायेगी । पुनर्नियुक्ति प्रशासनिक आधार पर की गई है ।

चूंकि पुनर्नियुक्ति की अवधि शीघ्र ही अर्थात् 31 अक्तूबर, 1982 को समाप्त होने वाली है, अतः पुनिर्नियुक्ति की अवधि को तुरन्त समाप्त करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

नगरपालिका, मुरादाबाद में रेल तथा ट्रक द्वारा मंगाये गये सीमेन्ट की दर

88–श्री रियासत हुसैन–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका मुरादाबाद को 1979-80, 1980-81 में कुल कितना सीमेन्ट प्राप्त हुआ? उसमें से कितना रेल द्वारा और कितना ट्रक द्वारा मंगाया गया और दोनों के किराये के क्या-क्या रेट हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना–

प्रश्नानुसार उत्तर निम्न तालिका में दर्शित है :–

वित्तीय वर्ष	सीमेन्ट की मात्रा	साधन जिसके द्वारा मंगाया	किराये के रेट
			रु0
1979-80	458 बोरी	रेल द्वारा	2,182.00
	200 बोरी	ट्रक द्वारा	400.00
1980-81	485 बोरी	रेल द्वारा	2,183.00
	3366 बोरी	ट्रक द्वारा	16,732.00

नगरपालिका मुरादाबाद में जारी किये गये रिक्शों के लाइसेन्स

89–श्री रियासत हुसैन–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे नगरपालिका मुरादादाद में 1975 से लेकर 1981 तक हर वर्ष में कितने-कितने रिक्शों को लाइसेन्स जारी किए गये?

श्री राम सिंह खन्ना–

वर्षवार सूचना निम्नवत् है :–

वर्ष	लाइसेन्स की संख्या
1975-76	3,517
1976-77	3,664
1977-78	4,191
1978-79	4,583
1979-80	5,130
1980-81	5,157

श्री आर0एन0सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, हरदोई के स्थानान्तरण को निरस्त

90–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आर0एन0 सिंह अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, हरदोई को वर्ष 1981 में गोण्डा जनपद में स्थानान्तरण किया गया था? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण क्यों तथा कितने समय तक के लिए रोका गया? क्या सरकार इन्हें तुरन्त स्थानान्तरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां । प्रशासनिक कारणों से इनका स्थानान्तरण स्थगित नहीं अपितु निरस्त कर दिया गया था । तुरन्त स्थानान्तरण प्रस्तावित नहीं है ।

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत भण्डारों को स्वीकृत वित्तीय सहायता का उपयोग तथा जांच

91–फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में गत 5 वर्षों में कितने भण्डारों को शासन द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी तथा इनमें से कितने उपभोक्ता भंडारों ने परियोजना रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय के लक्ष्य एवं ऋण की अदायगी की है? जिन भण्डारों ने परियोजना रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं किया है उनके सचिवों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सदर एवं मुहम्मदाबाद तहसील को आवंटित सीमेन्ट में आजमगढ़ एवं मऊ नगर को सीमेन्ट का आवंटन

92–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 139 के उत्तर के संदर्भ में क्या आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर एवं मुहम्मदाबाद तहसील को आवंटित सीमेन्ट के आजमगढ़ एवं मऊनगर को आवंटित सीमेन्ट भी शामिल है? 2900 मी0 टन में से केवल 2169 मी0 टन सीमेन्ट विभिन्न तहसीलों को आवंटित की गयी? शेष 731 मी0 टन सीमेन्ट क्या हुई?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां।

2900 मी0 टन में से 2169 मी0 टन सीमेन्ट विभिन्न तहसीलों को आवंटित की गयी थी। शेष 731 मी0 टन आजमगढ़ नगरपालिका तथा मऊ नगरपालिका को आवंटित की गयी थी। 2900 मी0 टन का स्पष्ट विभाजन निम्नवत् है :–

नाम तहसील/ क्षेत्र	आवंटित मात्रा (मी0टनों में)	योग (मी0टनों में)
1–सदर		
(क) आजमगढ़ नगरपालिका को छोड़कर)	302	764
(ख) नगरपालिका आजमगढ़	462	
2–मुहम्मदाबाद–		
(क) मऊनगरपालिका को छोड़कर)	418	757
(ख) नगरपालिका मऊ	339	
3–घोषी	444	444
4–फूलपुर	344	344
5–सगड़ी	315	315
6–लालगंज	276	276
योग ..	2900	2900

श्री राजेन्द्र सिंह को न्यायालय द्वारा बरखास्तगी की स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त सूचना

93–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 3रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 58 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह को न्यायालय द्वारा कब निर्दोष घोषित किया गया है? इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को कब प्राप्त हुई? पेंशन का प्रकरण निदेशालय को कब प्राप्त हुआ है और उस पर निर्णय कब तक ले लिया जायगा?

श्री लोकपति–

श्री राजेन्द्र सिंह को न्यायालय द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर, 1980 को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया था जिसकी सूचना स्वास्थ्य निदेशालय में दिनांक 18 नवम्बर, 1980 को प्राप्त हुई। पेंशन प्रकरण निदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ है। पेंशन स्वीकृति हेतु आवश्यक कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजे जाने के लिये निदेशालय द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया को निर्देश दे दिये गये हैं।

परमिट पर खराब तथा कम सीमेन्ट दिये जाने से सम्बन्धित श्री तीर्थराज सिंह के शिकायती-पत्र पर जांच रिपोर्ट

94–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 138 के उत्तर के संदर्भ में क्या आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत शिकायत की जांच सगड़ी तहसील के पूर्ति निरीक्षक द्वारा 20 जनवरी, 82 को की गयी? जिसमें श्री तीरथराज सिंह का बयान भी लिया गया? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री वासुदेव सिंह–

जी नहीं।

सीमेंट स्टाकिस्ट मेसर्स अशोक कुमार विजय कुमार, दोहरीघाट की दुकान से परमिट पर श्री तीरथराज सिंह को मिली दस बोरी सीमेन्ट से बनाई गयी मकान की छत गिर जाने के विषय में शिकायत की जांच प्रथमत: पूर्ति निरीक्षक द्वारा दिनांक 17-1-82 को की गयी। इस जांच के अपर्याप्त होने के कारण जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा पूर्ति निरीक्षक को दुबारा विस्तृत जांच करने का निर्देश दिनांक 21-1-82 को दिया गया। पूर्ति निरीक्षक ने अपनी द्वितीय जांच आख्या दिनांक 28-1-82 को प्रस्तुत की। जांच के दौरान पूर्ति निरीक्षक द्वारा श्री तीर्थ राज सिंह से सम्पर्क करने के लिये कई बार प्रयास किये गये परन्तु सम्पर्क न होने के कारण पूर्ति निरीक्षक द्वारा उनका बयान नहीं लिया जा सका।

जहां तक जांच रिपोर्ट का प्रश्न है, जांच में यह पाया गया कि उक्त स्टाकिस्ट को दिनांक 5-8-81 को 280 बोरी तथा दिनांक 21-8-81 को 280 बोरी सीमेन्ट प्राप्त हुयी थी और इस सीमेन्ट का वितरण परमिटों पर 37 व्यक्तियों को किया गया, लेकिन श्री तीर्थ राज सिंह के मामले को छोड़ कर अन्य किसी उपभोक्ता के मामले में सीमेन्ट खराब होने की शिकायत नहीं हुयी। श्री तीर्थ राज सिंह ने सीमेन्ट जिस मकान के निर्माण हेतु लिया था उसके निर्माण में प्रश्नगत सीमेन्ट का उपयोग न करके टाउन एरिया, आजमगढ़ में निर्माणाधीन अपने मकान में उपयोग किया। स्थानीय जांच के समय उक्त मकान ध्वस्त स्थिति में नहीं पाया गया। सीमेन्ट की सम्पूर्ण मात्रा का उपयोग हो जाने के कारण उसका परीक्षण किया जाना संभव न हो सका।

सगड़ी तहसील में आवंटित चीनी में कमी तथा राशन कार्डों की संख्या व यूनिटें

95–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 146 के उत्तर में क्या आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भिन्न-भिन्न तहसीलों में अलग-अलग कितनी यूनिटें हैं तथा राशन कार्डों की संख्या अलग-अलग कितनी है?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर प्रोन्नति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का कोटा

96–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 में दिसम्बर, 81 तक कितने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को जिला आपूर्ति अधिकारी के पद पर पदोन्नति किया गया है? तथा इसमें कितने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के हैं? यदि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के ए0आर0ओ0 को पदोन्नति नहीं की गयी, तो ऐसा क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

वर्ष 1979 से दिसम्बर, 81 तक 31 क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गयी है। इनमें से अनुसूचित जाति के 2 और पिछड़े वर्ग के 3 अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। अत: प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता।

खाद्य संगठन की पूर्ति शाखा में वरिष्ठ निरीक्षकों की प्रोन्नति तथा आरक्षण कोटा

97–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 से दिसम्बर, 81 तक खाद्य विभाग लखनऊ की पूर्ति शाखा में कितने वरिष्ठ निरीक्षकों को प्रोन्नति देकर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी बनाया गया है और इसमें से कितने अनुसूचित एवं जनजाति के हैं? यदि आरक्षण के अन्तर्गत कोटा पूरा नहीं है, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

वर्ष 1977 से दिसम्बर, 1981 तक खाद्य संगठन की पूर्ति शाखा में 64 वरिष्ठ निरीक्षकों को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पद पर तदर्थ प्रोन्नति दी गयी जिसमें से 8 अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थियों के अभाव में आरक्षण के अन्तर्गत कोटा पूरा नहीं किया जा सका है। उल्लेखनीय है कि जिलेवार स्वीकृत पदों पर आरक्षण नहीं किया जाता है बल्कि संवर्ग में उपलब्ध कुल स्वीकृत पदों के आधार पर ही आरक्षण का आकलन किया जाता है।

नजूल प्लाट 2069 के पट्टा को निरस्त करके पुनः नीलाम करने का कथित निर्णय

98–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नजूल प्लाट संख्या 2069 क्षेत्रफल 4 बिस्वा 6 कचवांसी 17 1/2 अनवासी, जिसकी मियाद 1957 में समाप्त हो चुकी है नगरपालिका टांडा, जनपद फैजाबाद द्वारा पट्टा निरस्त करने हेतु कोई पत्र दिनांक 27-7-81 को शासन को लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त पट्टे को कब तक निरस्त करके पुनः नीलामी की कार्यवाही की जावेगी?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां, पट्टे को निरस्त करके पुनः नीलाम करने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

जनपद गोरखपुर के गांव विशनपरा के राजकीय चिकित्सालय का भवन तथा डाक्टर की नियुक्ति

99–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के गांव विशनपुरा के राजकीय चिकित्सालय का कोई भवन नहीं है और उसमें डाक्टर भी नहीं है? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में उचित कार्यवाही करेगी?

श्री लोकपति–

जी हां। किन्तु सीमित संसाधनों के कारण उक्त चिकित्सालय हेतु भवन निर्माण अभी संभव नहीं है।

डाक्टर की नियुक्ति यथाशीघ्र करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है।

तहसील महाराजगंज, ग्राम परसा राजा में पागल कुत्ते के आतंक की शिकायतें

100–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महाराजगंज के ग्राम परसाराजा में पागल कुत्ते के आतंक के संबंध में माह फरवरी, 81 से माह नवम्बर, 81 के बीच कितनी शिकायतें शासन एवं स्थानीय अधिकारियों को प्रश्नकर्ता ने तार एवं पत्रों द्वारा दी ? क्या सरकार गोरखपुर के अस्पतालों में कुत्ते के काटने के इलाज की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के कस्बा, महाराजगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का निर्णय तथा टी0 बी0 क्लीनिक हेतु यन्त्र, दवाएं एवं डाक्टर की सुविधा

101–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में कस्बा महाराजगंज में चल रहे एलोपैथिक अस्पताल को उच्चीकरण योजना में ले लिया गया है ? यदि हां, तो वहां कितनी शैय्या वाला अस्पताल स्वीकृत किया गया है ?

श्री लोकपति–

जी हां । जनपद गोरखपुर के कस्बा महाराजगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर 30 शैय्या वाले अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है ।

102–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के कस्बा महाराजगंज में चल रहे अस्पताल के अन्दर टी0 बी0 क्लीनिक हेतु इस समय कौन-कौन से यन्त्र एवं दवायें उपलब्ध हैं तथा कौन-कौन से डाक्टर कार्यरत हैं ? और क्या इस रोग हेतु कोई भवन चिकित्सालय रूप में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक भवन उपलब्ध हो जायगा ?

श्री लोकपति–

टी0 बी0 क्लीनिक, महाराजगंज में माइक्रोस्कोप नामक यंत्र उपलब्ध है । औषधियों में स्टैप्टोमाइसीन इंजेक्शन, आइसोनिक्स 100 एम0 जी0 तथा 300 एम0 जी0, थायासैटाजोन, थिमीबुटाल सोडियमपास एवं अन्य औषधियां उपलब्ध हैं ।

उक्त क्लीनिक में इस समय डा0 एस0 डी0 मेहरोत्रा कार्यरत हैं ।

उक्त टी0बी0 क्लीनिक फिलहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में ही कार्यरत है । इसके भवन निर्माण की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

तहसील महाराजगंज में महिला अस्पताल खोलने का निर्णय

103–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के तहसील मुख्यालय महाराजगंज में एक महिला अस्पताल हेतु भूमि उपलब्ध है? यदि हां, तो इस पर निर्माण कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति–

महाराजगंज में महिला अस्पताल के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है और न ही अस्पताल बनाने की कोई योजना ही विचाराधीन है ।

जनपद गोरखपुर के प्लाट नं0 28 की भूमि को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नाम दर्ज करने हेतु पत्र पर जांच

104–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ग्राम बिशुनपुरा में चल रहे राजकीय अस्पताल के लिए निकटस्थ गांव पकडडीहा के प्लाट नं0 28 रकबा 1–96 एकड़ भूमि को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नाम दर्ज करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-3-81 को प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति आपने अपने पत्रांक बी0आई0पी0 1883 स0 अ0/81, दिनांक 14-3-81 द्वारा किया है । यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति–

कथित पत्र चिकित्सा विभाग में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता । न ही स्वीकृति पत्र चिकित्सा विभाग से जारी हुआ प्रतीत होता । अगर पत्रों की प्रति उपलब्ध करा दें तो विषय दिखवा लिया जावेगा ।

श्री ऋषिपाल सिंह राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित शिकायती-पत्र

105–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 2-8-81 को ऋषिपाल सिंह, राजस्व अधिकारी, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला वित्तीय

अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के गम्भीर मामलों से संबंधित शिकायती-पत्र उन्हें मिला है? क्या इसी प्रकार के अन्य कई शिकायती-पत्र वर्ष 81 में उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? तथा क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि जून, 81 में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय के सचिव की कार इलाहाबाद से अलोपीबाग मोहल्ले में बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गयी जिसकी मरम्मत में हजारों रुपये का व्यय हुआ है? क्या यह सही है कि उक्त कार प्राधिकरण के राजस्व अधिकारी श्री सिंह के लड़के चला रहे थे ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां । इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के राजस्व अधिकारी के विरुद्ध मुख्यत: भूखण्डों की नीलामी एवं विक्रय उचित ढंग से न कराने, भूखण्डों पर अनधिकृत निर्माण व कब्जा करवाने, खाली भवनों को किराए पर उठाने तथा गलत ढंग से अपने लिए भवन खरीदने, उनके लड़के के द्वारा चलाई जा रही प्राधिकरण की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाने आदि कई शिकायतें हैं जिन पर जांच चल रही है ।

शाप एवं कार्मशियल एक्ट के अन्तर्गत कर्मचारियों को प्राप्त सुविधायें

106–श्री रियासत हुसैन–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाप एवं कार्मशियल एक्ट के अंतर्गत कर्मचारियों को कौन-कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं? क्या यह एक्ट उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित दुकानों के कर्मचारियों पर भी लागू होता है ? यदि हां, तो शाप एवं कार्मशियल एक्ट के अंतर्गत प्रदत्त सभी सुविधायें इन कर्मचारियों को क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री वासुदेव सिंह–

शाप एवं कार्मशियल एक्ट के अंतर्गत कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान हैं:–

(1) श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन ।
(2) निर्वाह व्यय भत्ता (महंगाई भत्ता) ।
(3) कार्य के अतिरिक्त अवधि में कार्य करने पर अथवा अवकाश के दिन कार्य करने पर ओवर टाइम ।
(4) सप्ताह में एक दिन का अवकाश ।
(5) 15 दिन का चिकित्सा अवकाश ।
(6) 10 दिन का आकस्मिक अवकाश ।
(7) 15 दिन का उपार्जित अवकाश ।
(8) 45 दिन तक का उपार्जित अवकाश कर्मचारियों के लेखे में जमा होता है ।
(9) उपार्जित अवकाश अस्वीकृत किए जाने की दशा में उक्त अवधि का नकदीकरण सम्बन्धी सुविधा दी जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों पर शाप एवं कार्मशियल एक्ट लागू होता है । शाप एवं कार्मशियल एक्ट के अन्तर्गत प्रदत्त सभी सुविधायें इन कर्मचारियों को प्रदान की जाती है ।

श्री प्रमोद कुमार लोमस, पूर्ति निरीक्षक, खाद्य कार्यालय, मुरादाबाद को आपूर्ति विभाग में पुन: लिए जाने की अनुमति

107–श्री रियासत हुसैन–

क्या खाद्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दि0 16-2-82 श्री प्रमोद कुमार लोमस, पूर्ति निरीक्षक, खाद्य कार्यालय मुरादाबाद को आपूर्ति विभाग में दुबारा लिए जाने और उसकी सेवायें निरन्तर करने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां। उक्त पत्र पर जि0 मै0 मुरादाबाद की आख्या मांगी गयी थी जिलाधिकारी,, जो पूर्ति निरीक्षक पद के नियुक्ति अधिकारी भी हैं, द्वारा बताया गया है कि श्री प्रमोद कुमार लोमस ने दिनांक 1-5-80 को आवेदन पत्र दिया था कि उनकी नियुक्ति जिला उद्योग केन्द्र नैनीताल में सहायक प्रबंधक के पद पर हो गयी है, जिस पद पर कार्य ग्रहण करने हेतु उन्हें पूर्ति निरीक्षक के पद से मुक्त किया जाय । जि0 मै0 ने उक्त आवेदन दिनांक 3-5-80 को स्वीकृत कर श्री लोमस का 1-5-80 से त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया।

इसके बाद श्री लोमस ने दिनांक 8-5-80 को पुनः एक आवेदन-पत्र जि0मै0 को दिया कि जिला उद्योग केन्द्र योजना अस्थायी है और उसके निकट भविष्य में समाप्त किए जाने की सम्भावना है, जिस कारण वे उक्त योजना में जाने को इच्छुक नहीं है तथा उनका पूर्व प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 1-5-80 वापस लिए जाने तथा पूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्य करने की स्वीकृति दी जाय । जिला मै0 द्वारा प्रार्थना-पत्र पर मानवता के आधार पर विचार कर श्री लामस का त्याग-पत्र वापस लिए जाने तथा पूर्व पद पर कार्य करने व अनुपस्थिति की अवधि का अवकाश स्वीकृति किए जाने की अनुमति दी गयी ।

होटल एवं रेस्टोरेन्ट एक्ट के अन्तर्गत कर्मचारियों को सुविधायें

108–श्री रियासत हुसैन–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि होटल एवं रेस्टोरेन्ट एक्ट के अन्तर्गत कर्मचारियों को कौन-कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं और क्या यह एक्ट उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के अन्तर्गत कैन्टीन के कर्मचारियों पर भी लागू होता है ? यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को उक्त एक्ट में प्राप्त समिस्त सुविधायें दी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह–

होटल एवं रेस्टोरेन्ट एक्ट नाम के किसी अधिनियम के होने की जानकारी नहीं है, अतः उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सुविधायें दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका, हरदोई में पाइप लाइन बिछाने हेतु स्वीकृत धन

109–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका जिला हरदोई में वित्तीय वर्ष 1982-83 में पाइप लाइन बिछाने हेतु कितना धन स्वीकृत किया गया है ? इस वित्तीय वर्ष में किन-किन गलियों में पाइप लाइन बिछाई जायगी? क्या सरकार बिलग्राम रोड से मोमिनाबाद जाने वाली (खड़ंजे वाली गली) में पाइप लाइन बिछाकर नागरिकों को पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

नगरपालिका, हरदोई के वर्ष 1982-83 के बजट में नगर में पाइप लाइन बिछाने हेतु रु0 10,000/- का प्राविधान किया गया है । इस वित्तीय वर्ष में ऊंचा थोक हरिजन बस्ती तथा सराय थोक पूर्वी (बिलग्राम रोड) पर पाइप लाइन बिछवायी जायेगी। बिलग्राम रोड से मोमिनाबाद जाने वाली (खड़ंजे वाली गली) में पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु इस गली में दो हैण्ड पम्प लगवा कर पेयजल उपलब्ध कराया गया है ।

ग्राम रसूलपुर के समीप यूनानी चिकित्सालय की स्थापना

110–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1 गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 100 के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी वित्तीय वर्ष 1982-83 में यूनानी डिस्पेन्सरी स्थापित हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

ग्राम रसूलपुर के समीप जनता के लिए चिकित्सा की सुविधा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बल्लीपुर तथा इसौली में उपलब्ध है ।

अतः शासन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर वहां यूनानी चिकित्सालय की स्थापना का औचित्य नहीं बनता ।

सहकारी संघ लि0 जगदीशपुर में शेयर होल्डरों की धनराशि

111–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1948 में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर में बनायी गयी थी ? जिसमें वहां के नागरिकों द्वारा हजारों रुपए के शेयर खरीदे गये थे ? तदोपरान्त उसको समाप्त कर दिया गया ? क्या यह सही है कि उक्त संस्था के शेयर होल्डरों की शेयर धनराशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री बच्चा पाठक–

वर्ष 1948 में सुल्तानपुर जनपद में डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव यूनियन लि0, जगदीशपुर के नाम से कोई संस्था पंजीकृत नहीं हुई थी, अपितु सहकारी संघ लि0 जगदीशपुर के नाम से एक समिति पंजीकृत की गयी थी । इस संघ में 175 सदस्यों द्वारा 2710 रुपए के हिस्से खरीदे गए हैं । समिति अब भी कार्य कर रही है । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में यूनानी डिस्पेन्सरी खोले जाने हेतु ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र

112–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में यूनानी डिस्पेन्सरी खोले जाने हेतु ग्रामवासियों के कितने प्रार्थना-पत्र 1977 से 30-9-81 तक शासन को प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

कथित अवधि में दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ।

ग्राम रसूलपुर के समीप जनता के लिये चिकित्सा की सुविधा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बल्लीपुर तथा इसौली में उपलब्ध है । अतः शासन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर वहां यूनानी चिकित्सालय खोले जाने का औचित्य नहीं बनता है ।

113–श्री हरीशंकर–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कस्बा साण्डी, जनपद हरदोई में सत्यापन के आधार पर यूनिटें तथा चीनी का आवंटन

114–श्री हरीशंकर–

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि साण्डी जनपद हरदोई में माह अप्रैल, 82 में किए गये सत्यापन के अनुसार केवल 9169 यूनिट हैं जबकि 172 क्विंटल शक्कर प्रतिमाह आवंटित की जा रही थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में शीघ्र उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां ।

कस्बा सांडी जिला हरदोई में माह अप्रैल, 82 में नायब तहसीलदार, सांडी द्वारा किये गये राशन कार्डों के सत्यापन के आधार पर 9169 यूनिट पाये गये । इन यूनिटों

के आधार पर कस्बा सांडी के लिए माह मई, 1982 से 92 कुन्टल चीनी आवंटित की गयी । तत्पश्चात् जिला पूर्ति अधिकारी हरदोई द्वारा पूर्ति निरीक्षकों से कस्बा सांडी के राशनकार्डों का पुनः सत्यापन कराये जाने पर 9407 यूनिट पाये गये, परन्तु फिर भी जिला अधिकारी को ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ राशनिकार्ड सत्यापित होने से छूट गये हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है और सही यूनिट ज्ञात की जा रही है ।

माह मई, 1982 से पूर्व कस्बा सांडी के लिए 17295 यूनिटों के आधार पर 172 कुन्टल चीनी आवंटित की जा रही थी । इस आवंटन के सम्बन्ध में भी जांच की जा रही है और इसमें जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जिला टिहरी गढ़वाल में कार्यरत वैक्सीनेटर तथा स्थायीकरण

115–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को मालूम है कि जिला टिहरी गढ़वाल में कार्यरत वैक्सीनेटर जिनकी सेवायें उक्त पद पर 25 वर्ष से भी अधिक हो गयी है को स्थायी घोषित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

ऐसे कर्मचारी अभी स्थायी घोषित नहीं किये गये हैं । प्रश्नगत पदों की क्रमागत स्वीकृति देने का विषय शासन के विचाराधीन है । यह विषय तय हो जाने के उपरान्त ही स्थायी करने के प्रश्न पर विचार सम्भव होगा ।

सीमान्त जिलों के बी0 ए0 एम0 एस0 छात्रों को छात्रवृत्ति देने पर विचार

116–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जिलों के जो छात्र आयुर्वेदिक कालेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें एम0 बी0 बी0 एस0 में पढ़ने वाले सीमान्त जिलों के छात्रों के समान छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो विसंगति का क्या कारण है और यह विसंगति कब तक दूर की जायगी ?

श्री लोकपति–

जी हां ।

एम0 बी0 बी0 एस0 तथा बी0 ए0 एम0 एस0 पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों के व्यय में भिन्नता के कारण यह अन्तर है । भविष्य में सीमान्त जिलों के बी0 ए0 एम0 एस0 पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने का विषय शासन के विचाराधीन है

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा शेखूपुरा योजना में मध्यम आय योजना के अंतर्गत भवनों का आवंटन तथा आवंटियों को भवनों का कब्जा

117–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा शेखूपुरा योजना में मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत ड्रा के आधार पर नवम्बर, 1981 में कुछ भवन आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त भवनों के मूल्य की अदायगी की पहली किस्त का भुगतान आवंटियों द्वारा 31 दिसम्बर, 1981 तक किया जाना था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 1982 से प्रतिमाह किस्त का भुगतान आवंटियों से नियमित रूप से लिया जा रहा है तथा सामयिक भुगतान न करने पर उनसे ब्याज भी वसूल किया जाता है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

118–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या उक्त भवनों का कब्जा आवंटियों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस आशय के आदेश उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को देगी कि जब तक आवंटियों को उक्त भवनों का कब्जा न मिल जाय, तब तक उनसे अग्रिम किस्तों व ब्याज की कटौती न की जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुभाषनगर (भोला खेड़ा) की जल आपूर्ति हेतु जल नालिकाओं का बिछाव

119–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जल संस्थान, ऐशबाग, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 17047/ई0 ई0 (डी), दिनांक 3-2-1982 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचित किया है कि सुभाष नगर (भोला खेड़ा) की जल आपूर्ति हेतु रु0 3,46,600 की योजना स्वीकार की गई है ? और इस सम्बन्ध में सुभाष नगर (भोला खेड़ा) की जल आपूर्ति हेतु शीघ्र ही जल नालिकायें आदि डलवाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां । योजना में प्रस्तावित 2700 मीटर में से 2050 मीटर जल नालिकायें बिछाई जा चुकी है और शेष जल नालिकायें सड़कों का "ले आउट" तय हो जाने पर बिछाई जायेंगी ।

"भोला खेड़ा" मलिन पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निविदायें तथा निर्माण कार्य

120–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले गुरुवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 10 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मोहल्ले को यदि मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है तो कौन-कौन सी निविदायें कितने-कितने रुपये में किस-किस ठेकेदार के नाम स्वीकार की गयीं ? तथा कार्य कब तक प्रारम्भ होगा तथा कितने समय में समाप्त होगा ?

श्री राम सिंह खन्ना–

"भोला खेड़ा" मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में सम्मिलित कर लिया गया था ।

2. उक्त सड़क की निविदा रु0 88,186.70 पैसे की स्वीकृति हुई थी जो श्री उत्तम चन्द्र जैन ठेकेदार की थी ।

3. सड़क निर्माण का कार्य दिनांक 27 मार्च, 1982 को प्रारम्भ किया गया है तथा शीघ्र ही समाप्त होने की आशा है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुधौली के सन्दर्भ में संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही

121–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता द्वारा स्वास्थ्य सचिव उ0 प्र0 शासन को माह अप्रैल, 81 में लिखे गये दो पत्र बाबत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रुधौली के सन्दर्भ में संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मण्डल ने प्रश्नकर्ता का बयान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के कार्यालय में लिखा था ? यदि हां, तो बयान के बाद आज तक संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मण्डल द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

प्रश्नगत मामले में संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मण्डल द्वारा की गयी कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

श्री राम जी पाण्डेय, ब्लाक एक्सटेन्शन एजूकेटर स्वास्थ्य केन्द्र, रुधौली, जनपद बस्ती के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच

122–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

प्रथम सत्र 81 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 122 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ अधिकारी की जांच पूरी हो गयी अथवा नहीं ? यदि पूरी हो गयी तो जांच आख्या क्या है ? यदि नहीं पूरी हुई तो इतने विलम्ब का कारण क्या है ? क्या यह सत्य है कि जानबूझ कर के विभागीय अधिकारियों द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ?

श्री लोकपति–

जी नहीं । इस मामले की जांच आख्या, जांच अधिकारी, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से अपेक्षित है । उक्त पद के पूर्वाधिकारी के स्थानान्तरण तथा वर्तमान पदाधिकारी के अवकाश पर रहने के कारण जांच अपूर्ण है । विभागीय अधिकारियों द्वारा मामले को जानबूझ कर दबाये जाने के कथित प्रयास का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जोन में अप्रेन्टिसशिप के अन्तर्गत जनरल क्लर्क के प्रशिक्षण हेतु शिशिक्षुओं की भर्ती एवं श्री अजीत कुमार अस्थाना की नैत्यक लिपिक के पद पर नियुक्ति का आधार

123–श्री हरिवंश सहाय–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जल निगम लखनऊ जोन में अप्रेंटिसशिप के अन्तर्गत जनरल क्लर्क के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 6-6-81 को कितने शिशिक्षुओं की भर्ती की गयी ? उनके नाम व क्रमांक क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त शिशुक्षों के क्रमांक 17 के शिशिक्षु श्री अजीत कुमार अस्थाना की नियुक्ति नैत्यिक लिपिक के पद पर दिनांक 10-2-82 को कर दी गयी ? यदि हां, तो ट्रेनिंग बिना पूरा किए नियुक्ति किस आधार पर की गयी ? क्या अन्य शिशिक्षुओं को भी नैत्यिक लिपिक के पद पर कर लिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना–

लखनऊ जोन में आप्रेन्टिसशिप के अन्तर्गत जनरल क्लर्क के प्रशिक्षण हेतु दि0 6-6-81 को 20 जनरल क्लर्क शिशिक्षुओं की भर्ती की गयी थी । उनके नाम व क्रमांक की सूची संलग्न है । उक्त सूची में क्रमांक 17 पर श्री अजीत कुमार अस्थाना नाम का कोई शिशिक्षु नहीं है ।

श्री अस्थाना की नियुक्ति 10-2-82 से नैत्यिक लिपिक के पद पर नियमानुसार परीक्षा में उनके उत्तीर्ण होने के उपरान्त कर दी गयी है, क्योंकि श्री अस्थाना उ0 प्र0 जल निगम की एक अन्य शाखा में 6 माह की लीव वैकेन्सी में कार्य कर चुके थे । तत्पश्चात् 6 माह शिशिक्षु के रूप में जनरल क्लर्क के पद पर कार्य किया था । अन्य शिशिक्षुओं को भी पद रिक्त होने की दशा में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नैत्यिक लिपिक के पद पर नियुक्त किए जाने पर विचार किया जायगा ।

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ''घ'' आगे पृष्ठ 116 पर ।)

मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

124–श्री हरिवंश सहाय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी देवरिया (श्री एस0पी0 श्रीवास्तव) के भ्रष्टाचार, अनियमितता से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-2-82

उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उसकी जांच किससे कराई जा रही है ? तथा कौन-कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति–

प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 25-2-82 प्राप्त हुआ है । इसमें उल्लिखित कुल 28 शिकायतों में से कुछ मुख्य शिकायतें निम्न प्रकार हैं:–

1–दाइयों की नियुक्तियां, औषधियों के लाइसेन्स आदि जारी करने के सक्षम अधिकारी उप-मुख्य चिकित्साधिकारी है परन्तु उनके अधिकारों का अतिक्रमण करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रिश्वत लेकर नियुक्तियां करना तथा लाइसेन्स आदि जारी करना ।

2–स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र का रजिस्टर न रखा जाना तथा मनमाने ढंग से फीस वसूल करना ।

3–अनियमित ढंग से क्रय किया जाना ।

4–जातिवाद का समर्थन करते हुए सजातियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति करना ।

5–ऐसे फुटकर औषधि विक्रेताओं को रिश्वत लेकर लाइसेन्स दिए गए जिनके पास प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र नहीं है ।

6–पैसा लेकर मरीज देखना तथा आपरेशन करना ।

7–गाड़ियों के लाग बुक में फर्जी दौरा अंकित करना ।

8–चार कर्मचारियों से घर पर काम कराना ।

9–पैसा लेकर कर्मचारियों का स्थानान्तरण करना तथा रोकना ।

10–सूचना अधिकारी का वेतन कोषागार से पास कराकर भुगतान न करना आदि ।

शिकायतों की जांच संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मण्डल द्वारा करायी जा रही है जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायगी ।

टाउन एरिया, विधुना, जिला इटावा में पेयजल की सुविधा हेतु नलकूप, टंकी के निर्माण की योजना के क्रियान्वयन में देरी होने की जांच

125–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया विधुना, जिला इटावा में पेयजल की सुविधा हेतु नलकूप टंकी तथा पाइप लाइन अर्सा 3 वर्ष पूर्व ही बना दिया गया है ? यदि हां, तो उसको अब तक चालू न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस पेयजल योजना पर कितना रुपया व्यय किया गया है ?

श्री रामसिंह खन्ना–

टाउन एरिया विधुना जिला इटावा में पेयजल की सुविधा हेतु एक नलकूप, टंकी तथा वितरण प्रणाली का कार्य जुलाई, 81 में पूर्ण हो गया था । स्थानीय निकाय द्वारा प्रश्नगत योजना को ग्रहण न किए जाने के कारण योजना अभी चालू नहीं है ।

इस योजना पर मार्च, 82 तक रु0 11.662 लाख व्यय किया गया है ।

126–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि पेयजल योजना विधूना, जिला इटावा को न चालू करने के लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी और दोषी लोगों को दण्डित करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

योजना को चालू करने में देरी के कारणों की जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं ।

विभिन्न जिलों के विभिन्न अधिकारियों द्वारा सब-स्टैण्डर्ड दवाओं की खरीद तथा उनके निलम्बन

127–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत वित्तीय वर्ष में विभिन्न जिलों को विभागीय अधिकारियों द्वारा सब-स्टैण्डर्ड दवाओं की खरीद की जानकारी होने पर उन्हें निलम्बित किया गया तथा जेल भेजा गया ? यदि हां, तो इस संबंध में गोरखपुर जिले के अधिकारियों के विरुद्ध उसी प्रकार की कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ? जबकि इस जनपद में भी लाखों रुपए की नकली दवाएं पकड़ी गयीं ?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद देवरिया में ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत ग्रामों का चयन

128–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया में पेयजल की सुविधा प्रदान इसमें ग्राम खुखुन्द-मलुवनी ब्लाक एवं ग्राम चरिया लार ब्लाक की स्थिति क्या है ? इसमें ग्राम खुखुन्द-भलुवनी ब्लाक एवं ग्राम चुरिया लार ब्लाक की स्थिति क्या है ? क्या सलेमपुर टाउन एरिया तत्काल प्रभाव के साथ इस योजना से लाभान्वित की जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जनपद देवरिया के ग्रामीण पेयजल योजना में 16 योजनायें स्वीकृत की गयी हैं जिनमें 135 ग्राम सम्मिलित हैं ।

ग्राम खुखुन्दू (भलुवनी) ब्लाक की पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण कर पम्प हाउस बनाया जा चुका है । शेष कार्य प्रगति में है । ग्राम खुखुन्दू व चरिया में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक पेयजल आपूर्ति चालू कर दिए जाने का लक्ष्य है ।

ग्राम चुरिया (लार ब्लाक) में नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण कर आंशिक पाइप लाइनें डाल दी गयी हैं ।

सलेमपुर टाउन एरिया की पेयजल योजना के लिए जलकल हेतु प्रस्तावित भूमि टाउन एरिया द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं की गयी है । भूमि के प्राप्त हो जाने तथा जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा ।

कृषि सेवा सहकारी समिति, जंगल डुमरी नं0 2, गोरखपुर में चीनी वितरण में अनियमितता की शिकायत की जांच

129–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम गोविन्द–

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 28-9-81 को जनता पार्टी के कार्यकर्ता डा0 दरभाही ने कृषि सेवा सहकारी समिति जंगल डुमरी नं0 2 वि0 खं0 भटहर (गोरखपर) में चीनी वितरण में अनियमितता की शिकायत की एवं तत्काल जांच में 20 बोरा चीनी अधिक मिली, परिणामस्वरूप 3/7 आ0ब0अ0 के अन्तर्गत मुल्हरिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ एवं टी0 ओ0 तथा सचिव निलम्बित किए गए ? यदि हां, तो निलम्बित कर्मचारियों को बहाल करने का क्या कारण था ? क्योंकि अतिरिक्त स्टाक अपने आप में एक बड़ा अपराध है ?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां ।

जांच में प्रश्नगत सहकारी समिति के स्टाक में 2 कुन्टल 64 किलोग्राम चीनी अधिक पायी गयी । आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा समिति के सचिव एवं टी0 ओ0 को निलम्बित किया गया ।

तत्पश्चात् विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत कार्याधिकारी, जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत सहकारी समिति के सचिव का केवल इतना दोष पाया गया कि उनके पर्यवेक्षण में कमी थी । अतः जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर की प्रशासनिक कमेटी द्वारा प्रश्नगत सहकारी समिति के सचिव की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करके उनको बहाल कर दिया गया । इस समिति के दूसरे कर्मचारी (टी0ओ0) को बहाल नहीं किया गया ।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, भटहट, जिला गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में जांच रिपोर्ट

130–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम गोविन्द–

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 6ठे गुरुवार का उत्तरित प्रश्न सं0 11 के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि दो शिकायती-पत्रों की जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम) ने कब किया एवं जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या जांच के समय आरोपकर्ता को भी बुलाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या तीसरी शिकायत की जांच जो 24-4-81 को एस0 पी0 एस0 बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को जांच हेतु दी गयी थी ? क्या उसकी जांच रिपोर्ट आई ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री लोकपति–

दो शिकायती-पत्रों की जांच में आरोप सत्य पाए गए । अन्य अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है ।

तीसरी शिकायत की जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

पटेल शिक्षा सदन जूनियर हाई स्कूल, बगाही, कानपुर को जमीन देने हेतु प्रशासक नगरपालिका को दिए गए पत्र पर कृत कार्यवाही

131–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल शिक्षा सदन जूनियर हाई स्कूल, बगाही, कानपुर को जमीन देने हेतु प्रश्नकर्ता ने एक पत्र प्रशासक नगरपालिका को कब दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां । दिनांक 11-2-82 व 24-2-82 को प्रश्नकर्ता के दो पत्र प्राप्त हुए थे। चूंकि यह भूमि सार्वजनिक पार्क के लिए सुरक्षित है तथा उसमें चारों ओर पार्क की बाउन्डरी बनी हुई है, अतः इस भूमि को प्रश्नगत संस्था को नहीं दिया जा सका ।

यूनानी डिस्पेन्सरियों की स्थापना एवं संचालन

132–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में कितनी यूनानी डिस्पेंसरियां संचालित की गयी हैं तथा वर्ष 1982-83 में कितनी डिस्पेंसरियां खोले जाने की योजना है ?

श्री लोकपति–

वर्ष 1981-82 में आठ राजकीय यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना की गयी है । वर्ष 1982-83 में मैदानी क्षेत्र में 15 आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालय स्थापित किये जाने हैं । इनमें कितने यूनानी होंगे यह जिला समितियों की संस्तुतियों पर निर्भर करेगा ।

जनपद गोरखपुर के कतिपय विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का विचार

133–श्रीमती गौरी देवी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड पिपरौली के बड़गहन, खोरठा, भौवापार विकास खण्ड कौड़ीराम के चारपानी, कुस्मौल मलौली विकास खण्ड खोरावार के बडगो, रामपुर विकास खण्ड बांसगांव के बिशुनपुरा तथा विकास खण्ड खजनी के हरिहरपुर नामक गांव जिनकी आबादी 5 हजार से अधिकाधिक है, में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति–

संसाधन उपलब्ध हो जाने पर तत्समय शासन की नीति के अनुसार सम्भव कार्यवाही की जायगी ।

गोरखपुर नगर में सड़कों का निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य

134–श्रीमती गौरी देवी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81, 1981-82 में अब तक गोरखपुर नगर में कितने कि0मी0 सड़कों का निर्माण किया गया है ? क्या सड़कों के निर्माण में तारकोल का भी प्रयोग हुआ है ? यदि हां, तो तारकोल कहां से किस कम्पनी से कितनी मात्रा में मंगाई गई ? क्या अभियन्ता नगरपालिका ने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की जांच की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

गोरखपुर नगर में वर्ष 80-81 में 5.25 कि0मी0 तथा 81-82 में 8.54 कि0मी0 सड़कों का निर्माण मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य किया गया । तारकोल की ठेकेदारों द्वारा आगणन के अनुसार आपूर्ति की गयी । तारकोल की जांच अभियन्ता द्वारा की गयी जिसका प्रमाण मेजरमेन्ट बुक में है ।

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल के सुन्दरीकरण हेतु बैठक में लिये गये निर्णय

135–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के रामगढ़ ताल के सुन्दरीकरण के लिए तथा विकास हेतु सिंचाई मंत्री व जिला अधिकारी, गोरखपुर की अध्यक्षता में मार्च, 82 में लखनऊ व गोरखपुर में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें हुई थीं? यदि हां, तो रामगढ़ ताल के सुन्दरीकरण विकास हेतु इन बैठकों में क्या निर्णय लिए गये और उसका प्रारूप क्या है?

श्री राम सिंह खन्ना–

दिनांक 18-3-82 को उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ में माननीय सिंचाई मंत्री जी की अध्यक्षता में रामगढ़ताल के सुन्दरीकरण तथा विकास हेतु विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें लिये गये निर्णय निम्नवत् है:–

1–इस क्षेत्र के विकास हेतु संबंधित विभागों द्वारा 25-3-82 तक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया जाय और प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करके शासन के नगर विकास विभाग को भेजा जाय।

2–प्रश्नगत क्षेत्र में भूमि अध्याप्ति का कार्य सामूहिक रूप से सभी विभागों की ओर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। संबंधित विभाग विकास प्राधिकरण को धन उपलब्ध करायेंगे। प्रारम्भ में इस कार्य हेतु विकास प्राधिकरण को 25 लाख रुपया नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायगा।

3–सभी संबंधित विभाग अपनी परियोजना को पूरी करने के संबंध में धन की व्यवस्था अपने बजट से करेंगे।

दिनांक 18-5-1982 को रामगढ़ ताल के विकास योजना पर गोरखपुर विकास-प्राधिकरण की बैठक में लिये गये प्रमुख निर्णय निम्नवत् हैं:-

1-रामगढ़ ताल क्षेत्र की महायोजना, जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने का उत्तरदायित्व नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश को सौंपा जाय। इसके लिए उनकी आवश्यकतानुसार विकास प्राधिकरण द्वारा धन समय समय पर उपलब्ध कराया जायेगा।

2-भूमि अधिग्रहण के लिए जो प्रस्ताव विकास-प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है उसके आधार पर 1273.34.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति प्रदान की गई।

3-सभी संबंधित विभागों को सचिव द्वारा पत्र भेज कर उनको दी जाने वाली भूमि का मूल्य जमा कराया जाय।

मेरठ, मुरादाबाद, बरेली मण्डलों में चीनी का निर्धारित मूल्य पर क्रय

136-श्री राज कुमार राय-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल तथा बरेली मंडल में पी0 सी0 एफ0 द्वारा वर्ष 1980-81 में कितनी चीनी प्राइवेट पार्टियों को बेची गई? क्या शासन की यह नीति थी कि चीनी प्राइवेट पार्टियों को न बेची जाय? यदि हां, तो प्राइवेट पार्टियों को बेचे जाने का क्या कारण था और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक-

सहकारी समितियों एवं उपभोक्ता भंडारों द्वारा समस्त चीनी विक्रय न कर सकने के कारण शासन के निर्देशानुसार वर्ष 1980-81 में मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल तथा बरेली मंडल में क्रमशः 4319, 1728, 1350 मी0 टन, 1623, 756, 500 मी0 टन तथा 1880, 109, 900 मी0 टन जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी के द्वारा निर्धारित मात्रा में अधिकृत थोक विक्रेताओं व बल्क कन्ज्यूमर्स को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेंची गई।

पी0 सी0 एफ0 के क्षेत्रीय प्रबन्धक, सर्वश्री मेहताब सिंह, आर0 पी0 गर्ग तथा श्री आर0 सी0 अग्रवाल के विरुद्ध गबन की दर्ज रिपोर्ट

137-श्री राज कुमार राय-

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी0 सी0 एफ0 के क्षेत्रीय प्रबन्धक कानपुर (श्री मेहताब सिंह) क्षेत्रीय प्रबन्धक आगरा (श्री आर0 पी0 गर्ग) तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक हल्द्वानी (श्री आर0 सी0 अग्रवाल) आर0 ओ0 के वेतनक्रम में न होते हुए भी उन पदों पर कार्यरत हैं? क्या यह भी सही है कि इन्हीं उपरोक्त तीनों के कार्यकाल में पिछले 3 वर्षों में पी0 सी0 एफ0 मेरठ में 40 लाख रुपये का गबन हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक-

प्रश्नगत अधिकारियों में से सर्वश्री मेहताब सिंह व आर0 पी0 गर्ग मूलतः सहकारिता विभाग के निरीक्षक (वर्ग-1) थे, जो पी0 सी0 एफ0 के अधीन वाह्य सेवा पर थे तथा 15 जनवरी, 1981 से रु0 400-750 के वेतनमान में रीजनल मैनेजर/एरिया मैनेजर के पद पर संविलीन हो चुके हैं। तीसरे अधिकारी श्री आर0 सी0 अग्रवाल भी वेतनमान रु0 350-700 में निरीक्षक (वर्ग-1) हैं और वे अब भी क्षेत्रीय प्रबन्धक के रूप में प्रतिनियुक्त हैं।

उल्लिखित अधिकारियों के क्षेत्रीय प्रवन्धक, मेरठ के कार्यकाल से संबंधित रु0 56.95 लाख का गादन प्राकाश में आया है। इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है और मामला पुलिस के विवेचनाधीन है।

मेरठ, मुरादाबाद तथा बरेली मंडलों में पी0सी0एफ0 द्वारा निर्धारित मूल्य पर चीनी का क्रय

138–श्री राजकुमार राय–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल तथा बरेली मंडल में पी0 सी0 एफ0 द्वारा वर्ष 1980 व 81 में चीनी प्राइवेट पार्टियों को बेची गई जबकि शासन की स्पष्ट नीति उसे सहकारी समितियों को ही बेचने की थी? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां। सहकारी समितियों एवं उपभोक्ता भंडारों द्वारा समस्त चीनी विक्रय न कर सकने के कारण शासन के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति)/जिलापूर्ति अधिकारी के आवंटन पर फ्री सेल चीनी जिलाधिकारियों द्वारा नामित बल्क कंज्यूमर्स व अन्य लोगों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेची गई।

फर्टिलाइजर, बाराबंकी के मैनेजर, श्री शकील अशरफ के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

139–श्री राजकुमार राय–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि फर्टिलाइजर बाराबंकी के मैनेजर (श्री शकील अशरफ) के विरुद्ध वरिष्ठ प्रबंधक पी0 सी0 एफ0 (श्री एल0 पी0 राय) द्वारा बहुत सी अनियमितताओं, अवैधानिकताओं और घोटालों के बारे में अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 31-12-81 द्वारा प्रबंध निदेशक, पी0 सी0 एफ0 को अवगत कराया है? क्या यह भी सही है कि उक्त मैनेजर के विरुद्ध फरवरी, 82 में फर्टिलाइजर के कर्मचारियों ने भी शिकायती पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

श्री एल0 पी0 राय ने दिनांक 31-12-81 को फर्टीप्लान्ट, बाराबंकी का निरीक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0 को दि0 10-2-82 को प्राप्त हुई थी। श्री शकील अशरफ के विरुद्ध फरवरी, 1982 में फर्टीप्लान्ट के कर्मचारियों की शिकायत भी प्राप्त हुई थी जिसकी जांच के आदेश मार्च, 1982 में कर दिये गये थे। श्री शकील अशरफ का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

मधुबन में पी0सी0एफ0 द्वारा शीत गृह खोले जाने के संबंध में पत्र

140–श्री राजकुमार राय–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें पी0सी0एफ0 द्वारा मधुबन जनपद आजमगढ़ में एक शीतगृह खोले जाने का पत्र प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 12-2-82 को दिया गया था? यदि हां, तो उसमें कौन सी कार्यवाही हो रही है और वहां कोल्ड स्टोरेज लगाने में क्या कठिनाई हो रही है?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

घोसी तहसील, जिसमें मधुबन स्थित है, का सर्वे कराया गया। चूंकि उक्त तहसील में आलू के उत्पादन के देखते हुए पहले से ही कार्यरत 2 शीतगृह पर्याप्त हैं, अतः मधुबन में पी0 सी0 एफ0 द्वारा शीतवृह लगाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद आजमगढ़ के रसूलपुर डिस्पेन्सरी के उच्चीकरण पर विचार

141–श्री राजकुमार राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के रसूलपुर डिस्पेन्सरी के उच्चीकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका उच्चीकरण कब तक हो जायेगा?

श्री लोकपति–

जी नहीं।

परन्तु रसूलपुर में चिकित्सा सुविधा में वृद्धि के उद्देश्य से 5 और शैय्यायें स्वीकृत की जा चुकी हैं।

आजमगढ़ की घोसी तहसील के मऊल बोझ के सहकारी समिति के सचिव के विरुद्ध चीनी के गलत वितरण और घोटाले के संबंध में शिकायती-पत्र

142–श्री राजकुमार राय–

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ की घोसी तहसील के मऊल बोझ के सहकारी समिति के सचिव के विरुद्ध चीनी के गलत वितरण और घोटाले के संबंध में ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों का कोई पत्र दिसम्बर, 81 में जनवरी, 92 के बीच उन्हें प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या थीं और उसमें कौन सी कार्यवाही की गई?

142–श्री वासुदेव सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है।

143–श्री सजकुमार राय–

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत स्थानान्तरित।]

टाउन एरियाओं पर लगे बैरियरों को हटा देने से कार्यरत कर्मचारियों को स्थानीय निकायों में खपाये जाने का आदेश

144–श्री राजकुमार राय–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में टाउन एरियाओं पर लगे बैरियरों को हटा देने से उस पर कार्यरत कर्मचारियों को टाउन एरिया के कर्मचारी मान लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

टाउन एरियाओं पर लगे बैरियरों को हटाने के फलस्वरूप फालतू हुए कर्मचारियों को जिले की अन्य स्थानीय निकायों में खपाये जाने के आदेश जारी किए गये हैं।

घोसी तहसील के ग्राम मझवारा तथा मरियादपुर को पेयजल योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव

145–श्री राजकुमार राय–

क्या नगर विकास मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-12-81 आजमगढ़ जनपद के घोसी तहसील के ग्राम मझवारा तथा मरियादपर को पेयजल योजना में शामिल किये जाने के लिये प्राप्त हुआ था? शासन द्वारा उसमें कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्री राम सिंह खन्ना–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ था। घोसी तहसील के ग्राम–मरियादपुर को अभावग्रस्त होने के कारण शासन की नई नीति के अनुसार हैण्ड पम्प के द्वारा पेयजल प्रदान करने का प्रस्ताव है। मझवारा ग्राम अभाव ग्रस्त नहीं है। अतः इसके लिए अभी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के सुल्तानपुर वारा गांव (मधुवन) तथा दुबारी गांव को टाउन एरिया घोषित करने का प्रस्ताव

146–श्री राज कुमार राय–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सुल्तानपुर वारा गांव (मधवन) तथा दुबारी गांव को टाउन एरिया बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया था? यदि हां, तो उन्हें टाउन एरिया घोषित करने में विलम्ब का कारण क्या है?

श्री राम सिंह खन्ना–

ये दोनों ग्राम इस समय चकबन्दी प्रक्रिया के अधीन हैं अतः टाउन एरिया घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं है।

जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में जेनरेटर लगाये जाने की स्वीकृति तथा कम्पाउन्ड की जमीन को सुन्दर एवं पार्क नुमा बनाने की योजना

147–श्री राजकुमार राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद चिकित्सालय में जनरेटर लगाने तथा उसके कम्पाउन्ड की गन्दी जमीन को सुन्दर एवं पार्क नुमा बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? क्या यह भी सही है कि मंत्री जी (पं0 लोकपति त्रिपाठी) ने अपने 1981 के आजमगढ़ के दौरे में वहां के सार्वजनिक निर्माण विभाग निरीक्षण गृह में उपरोक्त दोनों कार्यों को तुरन्त पूरा करने का आदेश वहां उपस्थित विभागीय अधिकारियों को दिया था? यदि हां, तो उसके विलम्ब का कारण क्या है?

श्री लोकपति–

जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में जेनरेटर लगाये जाने की स्वीकृति दिनांक 7-4-82 को दी जा चुकी है।

प्रश्न के शेष भाग के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्रीमती ललिता देवी, विधवा डा0 राम नारायण राय, गोरखपुर का धन तथा भूमि दान में देने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

148–श्री राजकुमार राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्रीमती ललिता देवी, विधवा डा0 राम नारायण राय, जनपद गोरखपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-2-82 प्रश्नकर्ता के संस्तुति पत्र के साथ मिला था? जिसमें उन्होंने अपने पति की अन्तिम इच्छा अर्थात् अस्पताल के नाम के साथ डा0 राम नारायण राय लिखने के लिए 2 लाख 50 हजार रुपया तथा ग्राम बरसड़ा तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर के 4.26 एकड़ भूमि अस्पताल को दान देने का प्रस्ताव किया था? यदि हां, तो उनके नाम व उनकी भूमि में अस्पताल बनवाने में क्या कठिनाई है?

श्री लोकपति–

जी हां, ग्राम बरसड़ा, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में एक अस्पताल चार या छः शैय्या का दानकर्त्ता के धन और भूमि पर बनाने में कोई आपत्ति नहीं है।

इस तरह का प्रस्ताव श्रीमती ललिता देवी को भेजा जा रहा है।

मेडिकल कालेज, लखनऊ के शरीर विज्ञान विभाग में कार्यरत जूनियर लैब असिस्टेंट, श्री शम्भू नाथ मिश्रा की प्रोन्नति का आधार

149–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, लखनऊ के शरीर विज्ञान विभाग में कार्यरत जूनियर लैब असिस्टेंट (श्री शम्भू नाथ मिश्रा) की कार्यवाहक प्रिंसिपल (श्री मेहरोत्रा) ने दिनांक 25-2-82 को अपने आदेश सं0 68 बी0 के आधार पर प्रोन्नति टेक्नीशियन के पद पर की है? क्या यह सत्य है कि उनसे सीनियर उक्त पद पर कार्यरत (श्री शारदा शेषवानी) को प्रोन्नति से रोका गया है? यदि हां, तो क्यों? उसका आधार क्या है?

श्री लोकपति–

जी हां।

जी हां, रोका गया था इसका कारण उसके कार्य/आचरण को असंतोषजनक होना बताया तथा उन्हें प्रोन्नति के योग्य नहीं बताया। तदोपरान्त अब श्री शारदा शेषवानी को प्रोन्नति दे दी गई है तथा अब वह लैब–टेक्नीशियन की पद पर कार्य कर रहे हैं।

जनपद मिर्जापुर में खोले गये धान क्रय केन्द्र

150–श्री रामचरण सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि धान क्रय केन्द्र वर्ष 1981-82 में जनपद मिर्जापुर में खोला गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

खरीद वर्ष, 1981-82 में धान की खरीद के लिए जनपद मिर्जापुर में निम्न-क्रय-केन्द्र खोले गये:–

1–सहकारी संघ, राजपुर।
2– ,, ,, गैपुरा।
3– ,, ,, कछवां।
4– ,, ,, दुबार कलां।
5– ,, ,, बरौधा।
6– ,, ,, मंगरहां।
7– ,, ,, कैलहट।
8–क्षेत्रीय सहकारी संघ, अदलहाट।
9– ,, ,, ,, भुइली।
10– ,, ,, ,, सोनपुर।
11– क्रय विक्रय सहकारी संघ, राबर्ट्सगंज।
12– ,, ,, ,, ,, अहरौरा।
13–सहकारी संघ, बघौंडा।
14– ,, ,, मधुपुर।
15– ,, ,, शाहगंज।

वाराणसी नगर के रवीन्द्रपुरी मोहल्ले के सौन्दर्यीकरण हेतु योजना

151–श्री रामचरण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वाराणसी नगर के रवीन्द्रपुरी (न्यू कालोनी भेलूपुर) मोहल्ले के सौंदर्यीकरण के लिए शासन में कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना का प्रारूप क्या होगा तथा किस-किस स्थान पर सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जायगा?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के अन्तर्गत टाउन एरिया के सृजन हेतु निर्णय

152–श्री राम चरण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद चनार तहसील के अन्तर्गत नारायनपुर बाजार एवं उसके आसपास के सटे हुए 1 कि0मी0 के अन्दर बाब को मिलाकर उन्हें टाउन एरिया घोषित कर उनके विकास हेतु मंत्री जी कोई कदम उठायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामसिंह खन्ना–

ग्राम सभाओं के गठन के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट से प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचारोपरान्त टाउन एरिया के सृजन हेतु निर्णय लिया जायगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर में कोआपरेटिव सोसाइटियों की संख्या एवं चीनी या अन्य सामानों का वितरण

153–श्री राम चरण सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 में कोआपरेटिव सोसाइटियों की संख्या क्या थी? उसमें से कितने सोसाइटियों ने चीनी या अन्य सामानों का वितरण किया? कितनों ने नहीं वितरण किया? यदि नहीं किया, तो क्यों ? क्या इसकी ब्लाकवार एक सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? जहां कोआपरेटिव सोसाइटियों ने चीनी का या अन्य सामानों का वितरण नहीं किया वहां वितरण की क्या व्यवस्था की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

एक सौ सत्तानबे।

194 समितियों ने चीनी या अन्य सामानों का वितरण किया। तीन ने नहीं किया।

इन तीन समितियों के अनार्थिक होने के साथ-साथ उनको कैश-क्रेडिट की सुविधा भी बैंक से उपलब्ध नहीं हो सकी। ये समितियां (लैम्पस) म्योरपुर विकास खण्ड में बेलहथ्थी अनपरा तथा कोटा न्याय पंचायत स्तर पर गठित हैं।

योजना के प्रारम्भ में जहां सहकारी समितियों ने चीनी या अन्य सामानों का वितरण नहीं किया वहां जिला पूर्ति अधिकारी मिर्जापुर ने निजी राशन की दूकानों द्वारा वैकल्पिक वितरण व्यवस्था कराई।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद नगरपालिका में व्याप्त भष्टाचार तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र की जांच

154–श्री गौरीशंकर भैया–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की फैजाबाद नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में जनता पार्टी के भू0पू0 एम0एल0ए0 श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी का दिनांक 1-2-82 का नगर विकास मंत्री को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को पृष्ठांकित शिकायती पत्र शासन को मिल गया है? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कराई गयी और अब तक की जांच में कितने आरोप सही पाये गये?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां।

प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका फैजाबाद द्वारा जांच कराई गई। केवल आवासों के अवशेष करों से संबंधित एक आरोप सही पाया गया।

बरेली पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत बालजनी स्कूल में टंकी का पुनः निर्माण प्रारम्भ किए जाने के आदेश

155–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को मालूम है कि बरेली शहर में बरेली पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत बालजनी स्कूल में बनाई जा रही टंकी निर्माण में शासन का 2 लाख रु0 खर्च हो चुका है लेकिन उस टंकी के निर्माण को विभाग द्वारा रोक दिया गया है जिससे शासन का वह दो लाख रुपया बेकार हो गया? यदि हां, तो उस निर्माण को रोकने का क्या आधार था तथा मंत्री जी इस अवैधानिक आदेश को निरस्त करने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना–

प्रश्नगत योजना पर अब तक कुल रु0 40,000 व्यय हुआ है। स्थानीय व्यक्तियों के अवरोध व आपत्तियों के कारण कार्य रोक दिया गया था। निर्माण पुनः प्रारम्भ करने की दिशा में जल निगम के निर्माण शाखा के अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन एवं नगर महापालिका, बरेली के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है।

सचिवालय स्थित राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, सेन्ट्रल स्टोर में अनियमितताएं तथा उप निदेशक, श्री एस0 डी0 पी0 निगम को एक्सटेंशन देने का औचित्य

156–श्री सन्त बक्स रावत–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय स्थित राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, सेन्ट्रल स्टोर में माह दिसम्बर, 1973 का तत्कालीन खाद्य मंत्री ने स्वयं छापा मारा तथा उसमें अनेक अनियमितताएं पकड़ीं? यदि हां, तो कौन-कौन सी अनियमितायें पाई गयी और क्या उनके प्रति जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

उपलब्ध सूचना के अनुसार माह दिसम्बर, 1973 में तत्कालीन खाद्य मंत्री जी ने कल्याण निगम के सेन्ट्रल स्टोर का आकस्मिक निरीक्षण अवश्य किया था किन्तु तत्कालीन खाद्य मंत्री जी द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव, को किस आशय का नोट भेजा गया था इस विषय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है। इस सम्बन्ध में अग्रिम खोजबीन की जा रही है।

157–श्री सन्त बक्स रावत–

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि छापे के दौरान कीमती कपड़ों पर मिस्टर निगम तथाश्री राम उजागर आदि के नाम की स्लिपें लगी थीं और मा0मंत्री जी ने कोई नोट तत्कालीन मुख्य सचिव को सम्बोधित भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे? यदि हां, तो वह नोट क्या था और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? क्या मिस्टर निगम जिनके नाम की स्लिप पाई गई उस अधिकारी की रिटायरमेंट आयु समाप्त होने के बाद भी लगातार दो बार एक्सटेंशन दिया गया? दण्डात्मक कार्यवाही न कर एक्सटेंशन देने का क्या औचित्य है?

श्री वासुदेव सिंह–

जहां तक कल्याण निगम के उप निदेशक श्री एस0डी0पी0 निगम का प्रश्न है, उन्हें सेवा निवृत्ता की तिथि (31 मई, 1980) के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया। वस्तुतः श्री निगम को दिनांक 31 अक्टूबर, 1980 से प्रशासनिक आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिये उप निदेशक के पद पर अनुबन्ध के आधार पर पुर्नियुक्ति किया गया था और बाद में उनकी पुर्नियुक्ति की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई गई जो कि दिनांक 31 अक्टूबर, 1982 को पूर्ण हो जायेगी।

नारंग डिस्टलरी व दि नवाबगंज शुगर मिल्स, गोण्डा के गन्दे पानी के कुप्रभाव से जनता को क्षति

158–श्री बाबू लाल–

क्या सरकार को मालूम है कि नारंग डिस्टलरी व दि नवाबगंज शुगर मिल्स लि0 नवाबगंज गोण्डा के गन्दे नाले के गंदे पानी के कुप्रभाव से उस क्षेत्र की लाखों जनता मलेरिया, फाइलेरिया, घोंगा व हाइड्रोसिल आदि जैसी भयंकर महामारी से त्रस्त है? तथा प्रभावित निरीह जनता की मौत हो रही है क्या सरकार इस सम्पूर्ण मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराकर संबंधित कारखाने के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी नहीं। जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्रता सेनानी, श्री सत्य नारायण सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य का शिव प्रसाद गुप्ता अस्पताल, वाराणसी में, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था न मिलने संबंधी शिकायती-पत्र

159—श्री उदल—

'क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी तथा भू0पू0 एम0पी0 सत्य नारायण सिंह, डी 17/1, दशाश्वमेध, वाराणसी बहुत ही बुरी तरह से बीमार हैं और उनका दोनों फेफड़ा खराब हो गया है? यदि हां, तो उनका उपचार तथा ठीक से अच्छी दवाइयां सी0एम0ओ0, वाराणसी के यहां से नहीं दी जा रही हैं जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पूरे इलाज के लिए सरकार ने आदेश दे रखे हैं? क्या यह सही है कि चीफ मेडिकल आफिसर वाराणसी ने दवा देने से इंकार कर दिया है, जिसकी शिकायत उन्होंने अप्रैल, 82 में मा0 स्वास्थ्य मंत्री तथा मुख्य मंत्री को प्रार्थना-पत्र दे कर की है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार उस प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी?

श्री लोकपति—

श्री सत्य नारायण सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य दिनांक 24-5-82 को प्रातः 5-30 बजे हृदय रोग से पीड़ित होकर श्री शिव प्रसाद गुप्ता अस्पताल, वाराणसी में भरती हुए थे जहां पर उनकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गयी, किन्तु उसी दिन प्रातः 7-30 बजे उनका स्वर्गवास हो गया। स्व0 श्री सिंह टी0 बी0 से पीड़ित थे। उनके दोनों फेफड़े टी0 बी0 से ग्रसित थे।

टी0 बी0 रोग की चिकित्सा टी0 बी0 क्लीनिक, वाराणसी में 13-4-1982 से हो रही थी जहां से उन्हें समस्त औषधियां एक-एक माह की प्रदान की जाती थी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी ने स्व0 श्री सिंह के लिये उत्तम औषधियों की व्यवस्था की थी, फिर भी उनका एक शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें उन्हें औषधियां न दिए जाने तथा भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। उक्त शिकायती पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है। इन शिकायतों की जांच करायी जा रही है।

(देखिए नत्थी 'ङ' 117 आगे पृष्ठ पर)

160—श्री खैरुल बशर—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गाजीपुर अस्पताल के अधीक्षक, डा0 ए0 एन0 मिश्र के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा कृत कार्यवाही

161—श्री खैरुल बशर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल गाजीपुर के अस्पताल अधीक्षक डा0 ए0 एन0 मिश्र के विरुद्ध कालेज के तात्कालिक प्रशासकों के विगत 1 सितम्बर, 80 तथा 12 अगस्त, 81 के कोई पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो डा0 मिश्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां।

प्रशासक को उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम-1979 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर प्रशासक सुव्यवस्था एवं विद्यालय हित में नियमानुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 24-8-1981 को दिए गये थे। लेकिन इस मामले में प्रशासक द्वारा डा0 मिश्र के विरुद्ध जब कार्यवाही प्रारम्भ की गई तो इसको लेकर उनके द्वारा उच्च न्यायालय में प्रशासक के विरुद्ध मानहानि करने के कारण कार्यवाही करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया, क्योंकि

इससे पूर्व डा0 मिश्र अपनी को प्रवक्ता के पद पर नियुक्त करने तथा उसी वेतनमान में अधीक्षक के पद पर नियुक्त किये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट दायर कर चुके थे । इसके अतिरिक्त दिनांक 11-12-1981 से उक्त कालेज का प्रान्तीयकरण हो जाने से प्रशासक का अधिकार ही समाप्त हो जाने के कारण डा0 मिश्र के विरुद्ध प्रशासक द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी ।

श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़ में धन गबन किए जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

162–श्री खैरुल बशर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़ के प्राचार्य डा0 रामसूरत चौबे द्वारा वर्ष 1976–77 में हरिजन छात्रवृत्ति का धन गबन किए जाने संबंधी पत्र उ0प्र0 हो0 छात्र महासंघ के महामंत्री का दि0 22-1-81 को निदेशक, होम्योपैथी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां।

इस मामले में जांच कराई जा रही है ।

"शुभ्रा मोटेल" में आगन्तुकों के लिए किराये पर दी गयी दुकानें, कमरे, बैंक तथा उसका गृह/जल कर का निर्धारण

163–श्री राधेश्याम पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगर में बने "शुभ्रा मोटेल" में कितनी दुकानें, सरकारी कार्यालय बैंक एवं कितने कमरे किराए पर दिये गये हैं तथा मोटेल स्वामी को प्रतिमाह इनसे कितना किराया प्राप्त होता है क्या नगरपालिका प्रतिवर्ष इस मोटर से जलकर एवं गृहकर कितना प्राप्त होता है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस मोटेल पर बहुत कम जलकर एवं गृहकर कानून के विपरीत लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उपरोक्त मोटेल के जलकर एवं गृहकर का एसेसमेंट कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामसिंह खन्ना–

"शुभ्रा मोटेल" में 22 कमरे आगन्तुकों के लिये तथा 17 दूकानें, दस कमरे सरकारी कार्यालय हेतु, एक हाल बैंक के लिए किराये पर दिए गये हैं। किराये पर दी गई दूकानों, कमरों तथा हाल से मोटेल स्वामी को रु0 8,530 प्रतिमाह किराया प्राप्त होता है। मोटेल में आगन्तुकों के प्रयोग में लाए जाने वाले कमरों से आगन्तुकों की उपस्थिति के आधार पर किराया प्राप्त होता है। नगरपालिका, गाजीपुर को उक्त मोटेल से गृहकर के रूप में रु0 2,037.50 व जलकर के रूप में रु0 4,075.00 वार्षिक प्राप्त होता है।

नगरपालिका, गाजीपुर द्वारा उक्त मोटेल पर किये गए एसेसमेंट के विरुद्ध की गई आपत्ति पर परगनाधिकारी, गाजीपुर/प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका गाजीपुर के आदेश दिनांक 8-7-81 द्वारा निर्धारित सालाना हैसियत के आधार पर गृह/जलकर लिया जाता है। अतः कर निर्धारण कानून के अनुसार है।

मारुतिपुरम निकट राम सागर मिश्र नगर, लखनऊ में बापू कुष्ठ सेवा समिति का पंजीकरण

164–श्री राधेश्याम पटेल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ लोगों द्वारा 1–मारुतिपुरम निकट

रामसागर मिश्र नगर, लखनऊ में "बापू कुष्ठ सेवा समिति" की फर्जी स्थापना कर बापू के नाम पर प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार से लाखों रुपये एँठने की साजिश की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी?

श्री लोकपति–

बापू कुष्ठ सेवा समिति, मारुतिपुरम निकट, रामसागर मिश्र नगर, लखनऊ अधिनियम संख्या 21, 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या 3072 पर पंजीकृत है। प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को संस्था की ओर से कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

ब्लाक हसनगंज के नेवलगंज गांव में साधन सहकारी समिति मोहान पूर्वी को दिया गया मिट्टी का तेल व चीनी का कोटा

165–श्री राधेश्याम पटेल–

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में ब्लाक हसनगंज के सहकारी समिति नेवलगंज में मिट्टी का तेल व चीनी का कोटा नवम्बर, 81 से आज तक क्यों नहीं दिया गया ? क्या यह भी सत्य है कि सस्ते कपड़े को आज तक दिया ही नहीं गया , यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? इसमें कौन अधिकारी दोषी है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

जनपद उन्नाव में ब्लाक हसनगंज में सहकारी समिति नेवलगंज नामक कोई समिति पंजीकृत नहीं है । इस स्थिति में उसे मिट्टी का तेल, चीनी तथा नियंत्रित वस्त्र देने का प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त ब्लाक के नेवलगंज गांव में साधन सहकारी समिति मोहान पूर्वी नामक समिति कार्यरत है । इस समिति को नवम्बर, 1981 से जनवरी, 82 तक मिट्टी के तेल की आपूर्ति, कोटा के अभाव में नहीं बल्कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, उक्त समिति के सचिव अथवा सेल्समैन द्वारा मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता को भुगतान हेतु चेक उपलब्ध न कराने के कारण, नहीं हुई। फरवरी, 1982 और मार्च, 1982 में इस समिति को क्रमशः 2442 लिटर और 4440 लिटर मिट्टी तेल की आपूर्ति हुई । अप्रैल, 82 में सचिव द्वारा तेल प्राप्त नहीं किया गया । मई, 82 में 2220 लिटर तथा माह जून, 82 में 3108 लिटर मिट्टी तेल की आपूर्ति की गयी। उक्त अवधि में मिट्टी का तेल वितरित न करने के कारण सम्बन्धित समिति के सचिव के विरुद्ध अलग से कार्यवाही की जा रही है ।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, उक्त समिति को प्रश्नगत अवधि में चीनी का कोटा हर माह मिला है ।

जहां तक सस्ते कपड़े का सम्बन्ध है उक्त समिति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण उक्त व्यवसाय नहीं कर रही है तथा उसने वर्ष 1982 हेतु एतदर्थ अपना लाइसेन्स भी नवीकृत नहीं कराया है किन्तु उक्त समिति के वितरण क्षेत्र में सहकारी संघ, मोहान द्वारा सस्ते कपड़े का वितरण किया जा रहा है । इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज के फार्माकोलोजी विभाग में प्रवक्ता पदों पर चयन

165 (अ)–श्री चेतराम गंगवार–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज के फार्माकोलोजी

विभाग में इस समय प्रवक्ता का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उसके अब तक न भरे जाने का कारण क्या है? तथा फार्माकोलोजी के प्रवक्ता पदों पर चयन हेतु कब तक विज्ञप्ति जारी की जायेगी ?

श्री लोकपति–

जी हां । इस पद के लिये चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है । उन्होंने इसे विज्ञापित भी कर दिया है ।

166–श्री छत्तर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

श्री रामकृष्ण सेमवाल, कम्पाउण्डर, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चाका, जिला टिहरी-गढ़वाल की खोज करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

167–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामकृष्ण सेमवाल कम्पाउण्डर, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चाका, जिला टिहरी-गढ़वाल, दि0 26-8-79 से गायब है? यदि हां, तो विभाग ने उनकी ढूंढ खोज करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की है ?

श्री लोकपति–

श्री रामकृष्ण सेमवाल दिनांक 26-8-79 से नहीं वरन् 26-8-78 से लापता है । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल से जांच कराई गयी । जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल ने सूचित किया कि काफी तलाश करने पर भी श्री सेमवाल का कोई पता नहीं चला ।

168–श्री राज कुमार राय–

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

पी0 एम0 एच0 एस0 कैडर सीनियर ग्रेड की प्रोन्नति में आरक्षित कोटा

169–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0एम0एस0 कैडर सीनियर ग्रेड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रोन्नति द्वारा सुरक्षित कोटा पूरा कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

पी0 एम0 एच0 एस0 सीनियर ग्रेड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए प्रोन्नति में आरक्षित कोटा अभी पूरा नहीं हुआ है। आरक्षित कोटा पूरा करने हेतु पात्रता क्षेत्र में वांछित संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं ।

आयुर्वेदिक अस्पताल, सिधोरा जिला वाराणसी की अधूरी इमारत का निर्माण

170–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक अस्पताल, सिधोरा, जिला वाराणसी की अधूरी इमारत को पूरा करने के लिए सरकार ने 75 हजार रु0 दो किश्तों में सी0 एम0 ओ0, वाराणसी को दे दिया है जो 3 वर्षों से सी0 एम0 ओ0 के खाते में पड़ा है? यदि हां, तो उक्त इमारत को अब तक पूरा न कराने का कारण क्या है?

श्री लोकपति–

प्रश्नगत अधूरी इमारत को पूरा करने हेतु तीन किश्तों में कुल रु0 90,000 की धनराशि स्वीकृत की गई थी। प्रश्नगत इमारत तैयार हो गयी है और उसमें राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सिधोरा कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जच्चा बच्चा केन्द्र, गडखड़ा व करिसियांव, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी का निर्माण व मिडवाइफों की नियुक्ति

171—श्री उदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जच्चा बच्चा केन्द्र गडखड़ा व करिसियांव, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी तैयार हो गया है ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं तो कब तक बनाकर वहां मिडवाइफों को रख दिया जाएगा?

श्री लोकपति—

जी नहीं। दोनों स्थानों पर भवनों का निर्माण मार्च, 1983 तक पूरा हो जाने की आशा है। इसके बाद ही उस भवनों में मिडवाइफों को रखा जा सकेगा।

आयुर्वेदिक अस्पताल, कठिरांव ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी को पक्का बनाने की स्वीकृति

172—श्री उदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक अस्पताल कठिरांव ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी की इमारत कच्ची है और पुरानी है ? यदि हां, तो क्या उक्त इमारत को पक्का बनाने की स्वीकृति दे दी गयी? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

जी हां कच्ची है।

इस भवन का जीर्णोद्धार रु0 4755 केवल की लागत से कराया गया है।

ज्वाईंट डायरेक्टर आफ मलेरिया, फैजाबाद के कार्यालय में श्री वाई0 सी0 जौहरी एन्टो मालोजिस्ट असिस्टेण्ट का स्थानान्तरण

173—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि ज्वाइंट डायरेक्टर आफ मलेरिया, फैजाबाद के कार्यालय में श्री वाई0 सी0 जौहरी 10 वर्षों से लगातार एण्टोमालोजिस्ट पद पर कार्यरत है? जो एक प्रथम श्रेणी (गजेटेड) पद है? एक ही जनपद में 10 वर्षों से निरन्तर सेवा में रखे जाने का क्या कारण है? क्या उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण करने का आदेश जारी करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

श्री वाई0 सी0 जौहरी एन्टोमालोजिस्ट असिस्टेण्ट के पद पर कार्यरत है, जो एक तृतीय श्रेणी का पद है। श्री जौहरी का इस वर्ष स्थानान्तरण कर दिया गया है।

उ0 प्र0 जल निगम, आजमगढ़ में कार्यरत डिल मेक रिंग मशीन की मरम्मत हेतु फर्मों से मांगे गये कोटेशन

174—श्री नन्द किशोर सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 183 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत रिंग मशीन की मरम्मत पर शासनादेशों के विपरीत बिना टेंडर निकाले 29,000 रु0 खर्च किए गये हैं उसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? अब उसी मशीन पर जो 53,000 रु0 का व्यय प्रस्तावित है ? क्या उसके लिए टेंडर निकाला गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना—

रिंग मशीन की मरम्मत पर कुल रु0 29,407.00 का व्यय दो वर्ष के अन्तर्गत तीन बार में किया गया है। रिंग मशीन के नलकूप बोर करते समय कार्यरत रहने की स्थिति में दोष उत्पन्न होने पर उसे स्थानीय निकटस्थ फर्मों को बुलाकर कार्य दिखाकर मरम्मत कराने हेतु कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दर पर कार्य कराया गया है।

चूंकि यह छोटे-छोटे मरम्मत के कार्य थे अत: न्यूनतम कोटेशन पर कार्य कराया गया। रु0 53,000/- लागत के प्राक्कलन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कराया गया है।

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय, लखनऊ पर अध्यक्ष, जल निगम के आवास हेतु बनाये गये मकान का स्टैण्डर्ड रेट से कम किराया लेने के सम्बन्ध में कार्यवाही

175—श्री नन्द किशोर सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 182 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम मुख्यालय लखनऊ पर अध्यक्ष, जल निगम के आवास हेतु बनाये गये मकान का स्टैण्डर्ड रेट 600 रु0 प्रति माह निर्धारित किया गया था ? दिनांक 16-5-78 से 31-10-81 तक उसे 270 रु0 मासिक किराए पर उठाकर तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री भगवती प्रसाद वर्मा को दिया गया था ? क्या स्टैंडर्ड रेट से कम किराया देने के लिए कोई स्वीकृति शासन से ली गयी थी ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय लखनऊ पर अध्यक्ष, जल निगम के आवास हेतु बनाये गये मकान का प्रयोग निरीक्षण भवन के रूप में किया जाता रहा, अतएव तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री भगवती प्रसाद वर्मा से भी कक्षों के शुल्क का भुगतान प्रति कमरे के आधार पर 270/- रुपया मासिक लिया गया चूंकि श्री वर्मा द्वारा पूरी बिल्डिंग किराये पर नहीं ली गई थी, इसलिए स्टैंडर्ड रेन्ट से कम किराया देने के लिए कोई स्वीकृति शासन से नहीं ली गई।

खण्ड विकास शिक्षक (परिवार कल्याण) पद हेतु वेतन आयोग की संस्तुति

176—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि खण्ड विकास शिक्षक (परिवार कल्याण) पद हेतु वेतन आयोग की संस्तुति पर शासन द्वारा क्या वेतनमान निर्धारित किया गया है ? क्या यह सही है कि 15 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत प्रसार शिक्षक वर्ग हेतु पदोन्नति के कोई अवसर नहीं दिये गये हैं ? यदि हा, तो क्यों ?

श्री लोक पति—

वेतन आयोग ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत खण्ड प्रसार शिक्षक पद हेतु रु0 570-1100 का वेतनमान संस्तुत किया है।

प्रसार शिक्षकों को वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर जिला प्रसार शिक्षक एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति किया जाता है। अत: पदोन्नति का अवसर नहीं दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील सलेमपुर में वितरित सीमेंट की वांछित सूची

177—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा 28 अप्रैल, 1981 को जिलाधिकारी, देवरिया को इस आशय का पत्र दिया गया था जिसमें जनवरी, 1980 एवं फरवरी, मार्च, 1981 में तहसील सलेमपुर में वितरित सीमेंट की सूची मांगी गयी थी? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण था और कब तक यह सूची उपलब्ध होने की संभावना है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां।

प्रश्नगत अवधि में तहसील सलेमपुर में वितरित सीमेंट की वांछित सूची विस्तृत होने के कारण उसे उपलब्ध कराने में समय लगा। वांछित सूची माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी गयी है।

डा0 श्री कान्त शुक्ला, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उरई की सेवा निवृत्ति तथा ग्रेच्युटी एवं पेंशन का भुगतान

178—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 श्रीकान्त, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उरई किस तिथि को सेवा निवृत्त हुए और उनकी ग्रेच्युटी एवं पेंशन तथा जी0पी0एफ0 का भुगतान कब किया गया? यदि अब तक नहीं किया गया तो क्यों? तथा किस स्तर पर उसे रोका गया है? क्या सरकार उसे शीघ्र दिलाने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

डा0 श्रीकान्त शुक्ला, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उरई, जालौन के पद से 29-2-76 को सेवानिवृत्त हुये थे। दवाओं के क्रय में की गई अनियमितताओं के कारण इनको स्वीकृत होने वाली पेंशन में से 33 प्रतिशत प्रतिमाह कटौती किये जाने का अंतिम निर्णय लिया गया और फिलहाल इन्हें रु0 433 प्रतिमाह की दर से अंतिम पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। अब पेंशन में प्रस्तावित कटौती के बारे में इनको दिये गये कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त हो गया है जो विचाराधीन है। इस पर निर्णय होने के बाद ही इन्हें अंतिम रूप से पेंशन स्वीकृत करना संभव हो सकेगा। जी0पी0एफ0 भुगतान के बारे में निदेशक द्वारा महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद को निदेश दिये गये हैं।

जहां तक डा0 श्रीकान्त शुक्ला को ग्रेच्युटी भुगतान किये जाने का प्रश्न है, यह मामला विचाराधीन है।

जनपद देवरिया में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सेल्समैनों का चयन

179—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सहकारिता मंत्री को पता है कि जनपद देवरिया में 28-4-81 से 6-5-81 के मध्य खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सेल्समैनों का चयन हुआ जिनकी सूची अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप से सहायक निबन्धक, सहकारिता को दे दी गयी? यदि हां, तो उस सूची के प्रकाशन में क्या कठिनाई है? क्या इसमें पुराने कोटेदारों का भी चयन किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

प्रश्नगत अवधि में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत नहीं अपितु सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अन्तर्गत सेल्समैनों का चयन किया गया।

जी हां।

सेल्समैनों के चयन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया जिससे चयन को न तो अंतिम रूप दिया जा सका है और न ही सूची प्रकाशित की जा सकी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के तहसील, सलेमपुर के अस्पताल का उच्चीकरण

180—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के तहसील सलेमपुर का अस्पताल 30 बिस्तर के बड़े अस्पताल के रूप में कब तक उच्चीकृत कर दिया जायगा तथा इसमें विलम्ब का क्या कारण है?

श्री लोकपति–

संसाधन उपलब्ध हो जाने पर तत्समय शासन की नीति के अनुसार संभव कार्यवाही की जायगी।

जिला अस्पताल, गाजीपुर के अधीक्षक, डा0 राम लाल राय के विरुद्ध प्राइवेट प्रैक्टिस करने की शिकायत

181–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि अधीक्षक, जिला अस्पताल (पुरुष) जनपद गाजीपुर के वर्तमान पदधारी डाक्टर गत 7 वर्षों से निरन्तर इसी पद पर तैनात हैं? क्या घोर शिकायतों के बावजूद इनका स्थानान्तरण आदेश बार-बार शासन द्वारा निरस्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त पदधारी अधीक्षक डाक्टर प्रत्येक रविवार को जनपद आजमगढ़ के तहसील मऊ में प्राइवेट प्रैक्स करने जाते हैं? क्या इनके विरुद्ध तुरन्त सतर्कता विभाग से जांच कराकर उचित कार्यवाही की जायगी?

श्री लोकपति–

जिला अस्पताल गाजीपुर में अधीक्षक के पद पर डा0 आर0 एस0 सिंह जून, 1982 से ही कार्यरत है। इनसे पूर्व इस पद पर 1974 से डा0 रामलाल राम तैनात थे। जून 1982 में इनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। पहले भी इनका स्थानान्तरण दो बार गाजीपुर से किया गया था, परन्तु जनहित में इनका स्थानान्तरण रोक दिया गया।

डा0 रामलाल राय के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ की तहसील मऊ में प्राइवेट प्रैक्टिस करने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी विभागीय जांच की जा रही है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया द्वारा नसबन्दी सम्बन्धी प्रोत्साहन के धन का आहरण

182–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया द्वारा अगस्त, 1980 से नसबन्दी कराए व्यक्तियों को देने हेतु अनिवार्य प्रोत्साहन धन के रूप में 34 हजार रुपया दिनांक 31 मार्च, 1980 को निकाला गया है जबकि उक्त धन को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा आहरित किये जाने का प्राविधान था? क्या यह सही है कि उक्त धन कार्यालय में 6 माह तक रखने के बाद उसका भुगतान अनियमित ढंग से हुआ दिखा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति–

यह सही नहीं है कि अगस्त, 1980 में हुई नसबन्दी सम्बन्धी प्रोत्साहन का 34 हजार रुपये का आहरण पहले ही 31 मार्च, 1980 को कर लिया गया।

नौ हजार रुपये का आहरण 28-2-81 को व पच्चीस हजार पांच सौ रुपये का आहरण 28-3-81 को सक्षम अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया। नौ हजार रुपया सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों को 17-3-81 से 28-3-81 तक व रु0 25,500 दिनांक 28-3-81 से 4-11-81 की अवधि में वितरण हेतु दिया गया। वितरण में यह विलम्ब सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी अथवा लेखा लिपिक का स्थानान्तरण अथवा अवकाश पर होना है। वितरण के उपरान्त शेष रु0 30 को 21-6-82 को कोषागार में जमा कर दिया गया है।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, खड्डा, देवरिया के विषय में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

183—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी खड्डा देवरिया के विषय में कोई शिकायती-पत्र दिनांक 20-1-82 को पत्रांक संख्या 3411—82 जिलाधिकारी देवरिया को मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया के रख रखाव पर आवंटित धनराशि

184—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया के रख रखाव हेतु कितना धन प्रतिवर्ष दिया जाता है? 1981-82 में कितना दिया गया तथा इसका व्यय किन-किन कार्यों में किया गया?

श्री लोकपति—

जिला संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया के रख रखाव हेतु भिन्न-भिन्न मदों में गत तीन वर्षों में निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गयी थी:—

1979-80	रु0 8,58,900
1980-81	रु0 8,57,200
1981-82	रु0 10,07,250

उपरोक्त धनराशियों में वेतन तथा भत्तों की धनराशि सम्मिलित नहीं की गयी है।

वर्ष 1981-82 में संयुक्त चिकित्सालय, देवरिया को आवंटित की गयी धनराशि एवं उसका व्यय विवरण निम्न प्रकार है:—

	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवंटित धनराशि	संयुक्त चिकित्सा द्वारा व्यय
औषधि	रु0 3,62,000.00	रु0 3,56,131.31
वस्त्र विस्तर	रु0 50,000.00	रु0 62,377,80
कार्यालय व्यय	रु0 82,200.00	रु0 80,565.90
सर्जिकल ड्रेसिंग	रु0 80,000.00	रु0 79,994.00
साज सज्जा	रु0 18,000.00	रु0 17,270.38
आहार	रु0 1,40,000.00	रु0 1,09,888.70
एक्सरे	रु0 1,00,000.00	रु0 44,183.73
टेलीफोन	रु0 1,150.00	रु0 1,150.00
वाहन	रु0 6,000.00	रु0 2,780.56
प्रकीर्ण	रु0 90,400.00	रु0 1,21,477.25
मरम्मत	रु0 13,500.00	रु0 55,396.43
वैक्सीन	रु0 14,000.00	रु0 12,825.00
रेट एण्ड टैक्सेज	रु0 50,000.00	रु0 46,021.85
कुल	रु0 10,07,250.00	रु0 9,90,062.91

जनपद बरेली में स्थित साधन सहकारी समिति, सहोड़ा एवं साधन सहकारी समिति, शाहपुर बांसखेड़ा के सचिवों द्वारा सदस्यों से धन वसूल करके फर्जी रसीदें जारी करने के मामले

185–श्री जयदीप सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली में स्थित साधन सहकारी समिति सहोड़ा एवं साधन सहकारी समिति शाहपुर बांसखेड़ा के सचिवों द्वारा सदस्यों से कुल कितना रुपया वसूल करके फर्जी रसीदें जारी करने के कितने मामले इस समय पुलिस अथवा अदालत के विचाराधीन हैं? इन सदस्यों से इस प्रकार वसूल की गयी धन-राशि जो इन समितियों के खजाने में जमा नहीं की गयी, की वसूली अब किससे की जायगी ?

श्री बच्चा पाठक–

जनपद बरेली की साधन सहकारी समिति सहोड़ा के एक सदस्य का मू0 1600/– रु0 का मामला अदालत के विचाराधीन है । इस मामले में मध्यस्थ निर्णय द्वारा वसूली का दायित्व सम्बन्धित सदस्य पर ठहराया गया है । शाहपुर बांसखेड़ा समिति के पुलिस के विचाराधीन 6 मामलों की वसूली मध्यस्थ निर्णय द्वारा फौजदारी मुकदमें में निर्णय तक स्थगित कर दी गई है। निर्णय के बाद ही वसूली किससे की जाय, तय होगा। इसके अतिरिक्त अदालत में विचाराधीन इसी समिति के एक मामले की वसूली सम्बन्धित सदस्य से ही की जानी है, क्योंकि उसके पास जो रसीद है उस पर समिति के भूतपूर्व सचिव के फर्जी हस्ताक्षर पाये गये हैं ।

नगर क्षेत्रों द्वारा लगाया जाने वाला टोल टैक्स हटाने से हानि की क्षति पूर्ति तथा सरकार द्वारा नई रूप रेखा का क्रियान्वयन

186–श्री जयदीप सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर क्षेत्रों द्वारा लगाया जाने वाला टोल टैक्स हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित नगर क्षेत्रों को इस टैक्स के हटाने से जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने कोई रूप-रेखा बनाई है और उसका कार्यान्वयन कैसे किया जा रहा है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

जी हां । सम्बन्धित निकायों को इस मद से हुई हानि की 80 प्रतिशत धनराशि क्षतिपूरक अनुदान के रूप में दी जाती है । यह अनुदान तिमाही किस्तों में दिया जाता है

187–श्री जयदीप सिंह–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रूप-रेखा तैयार करते समय सम्बन्धित नगर क्षेत्रों की पिछले 5 वर्षों में टोल टैक्स एवं अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय को आधार रखा गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना–

विगत 3 वर्षों में इस मद से होने वाली आय को आधार रक्खा गया है ।

"राम सागर मिश्र नगर (इन्दिरा नगर) विस्तार योजना" लखनऊ में भूमि हेतु विज्ञप्ति के विरुद्ध कृत कार्यवाही

188–श्री माधव प्रसाद, श्री दीप नरायन वन महन्थ तथा श्री बनवारी राम–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च 79 में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा, "रामसागर मिश्र नगर (इन्दिरा नगर) विस्तार योजना" फैजाबाद रोड, लखनऊ विज्ञप्ति हुई थी तो खसरा नं0 93, 94, 95, 96 तथा 129 के किन-किन व्यक्तियों ने आवास आयुक्त को सूचित किया था कि उनके मकान उक्त खसरा नम्बरों में विज्ञप्ति से पूर्व के बने हुए हैं ? क्या प्रत्येक आपत्तिकर्ता को उनके मकान निर्मित

भूखण्ड के विषय में परिषद् के निर्णय की सूचना दे दी गयी? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त खसरा नम्बरों में कुछ व्यक्तियों के मकान निर्मित भू-खण्ड का उल्लेख परिषद् के सर्वेक्षण रिपोर्ट में जानबूझकर नहीं किया गया था ? यदि हां तो वे कौन-कौन हैं और ऐसा क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना–

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की रामसागर मिश्र नगर (इन्द्रा नगर) विस्तार योजना, लखनऊ का उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम की धारा 28 के अधीन विज्ञप्ति का प्रथम प्रकाशन 17 मार्च, 1979 को हुआ था । धारा 28/29 की कार्यवाही के फलस्वरूप संबंधित भूस्वामियों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी । खसरा नं0 84 व 93 इस योजना में सम्मिलित नहीं है । खसरा नं0 95 तथा 129 के विरुद्ध कुल 83 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं जिनमें 78 व्यक्तियों ने सूचित किया कि खसरा नं0 95 व 129 पर उनके भवन बने हैं अतः इन्हें अर्जित न किया जाय।

सर्वेक्षण के पश्चात् खसरा नं0–95 के भाग में आबादी होने के कारण उस आबादी वाले एकत्रित भूभाग को अर्जन मुक्त करते हुए ले-आउट में समायोजित करने का निर्णय लिया गया और खसरा नं0–129 में स्थल पर प्राप्त निर्माण के आधार पर ही निर्माण भी अर्जन से मुक्त करते हुए योजना के ले-आउट में समायोजित करने का निर्णय लिया गया तथा एक निर्माण योजना में प्रस्तावित सड़क के मध्य आने के कारण उसे अर्जित करने का निर्णय लिया गया है।

परिषद् के नियमानुसार प्रत्येक आपत्तिकर्ता को अलग-अलग निर्णय की सूचना नहीं दी जाती है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति पृथक रूप से जानकारी चाहे तो उसे उसकी भूमि/भवन के संबंध में सूचित कर दिया जाता है।

यह सत्य नहीं है कि उक्त खसरा नम्बरों में कुछ व्यक्तियों के मकान निर्मित भूखण्ड का उल्लेख परिषद् के सर्वेक्षण रिपोर्ट में जानबूझकर नहीं किया गया है।

189–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

190–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अशरफाबाद चौक, लखनऊ में नगरपालिका की भूमि पर पब्लिक पार्क बनाने की स्वीकृति

191–श्री श्याम लाल बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशरफाबाद चौक, लखनऊ में नगरपालिका की वह भूमि जिस पर पब्लिक पार्क बनाने के आदेश दिये जा चुके थे, से सम्बन्धित फाइल लखनऊ महापालिका से गायब हो गयी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या सरकार सम्बन्धित घोटाले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी?

श्री राम सिंह खन्ना–

नगरमहापालिका लखनऊ के उद्यान और अभियन्त्रण विभागों में किसी ऐसी पत्रावली के विषय में जानकारी नहीं है जिसमें अशरफाबाद चौक, लखनऊ में नगर महापालिका की किसी भूमि पर पब्लिक पार्क बनाने की स्वीकृति दी गयी हो। एक शिकायत यह अवश्य प्राप्त हुई थी कि जिस भूमि पर महापालिका द्वारा पार्क बनाने की तथाकथित स्वीकृति दी गयी थी उस भूमि पर अमुक व्यक्ति द्वारा भवन का निर्माण कर लिया

गया है। जांच करने पर मालूम हुआ कि उस भवन का निर्माण अनधिकृत रूप से कराया गया था। अतः उस भवन के नक्शे को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। गलत रूप से नक्शा पारित करने के अभियोग में सम्बन्धित अमीन को सेवा से पृथक कर दिया गया है एवं सम्बन्धित नगर अभियन्ता (भवन) और कम्प्यूटर के विरुद्ध भी कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।

कानपुर रोड स्कीम स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के सेन्ट्रल स्टोर के अवर अभियंता, श्री एस0पी0 श्रीवास्तव के विरुद्ध निर्धारित माप के खम्भे न लगवाये जाने के विरुद्ध जांच

192–श्री धर्मवीर सिंह त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड स्कीम स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के डिवीजनल स्टोर के जूनियर इंजीनियर (सिविल) श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव तथा सहायक अभियन्ता (सिविल) श्री डी0 पी0 गोयल द्वारा बिजली के जो दस खम्भे लगवाए गये थे, वे किस स्पेसीफिकेशन के थे? क्या यह सही है कि आई0 एस0 डब्लू0 पी0–12 के खम्भे न लगाकर भुगतान इन्हीं खम्भों का किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी?

श्री राम सिंह खन्ना–

इस योजना के अन्तर्गत जो खम्भे पहले लगाये गये थे उनके स्पेसीफिकेशन नीचे दिये जा रहे हैं:–

1–व्यास व खम्भे के सबसे नीचे वाले हिस्से की लम्बाई	118 एम0 एम0 3 मी0
2–व्यास व बीच के भाग की लम्बाई	91 एम0 एम0 3 मी0
3–व्यास व सबसे ऊपरी भाग की लम्बाई	64 एम0 एम0 3 मी0

शिकायत प्राप्त होने पर इन खम्भों को आई0एस0 डब्लू0 पी0 12 के खम्भों से बदलवा दिया गया है जो स्पेसीफिकेशन के अनुसार है। यह सही है कि ठेकेदार ने पहले जो निर्धारित माप के खम्भे नहीं लगाये थे उनका भुगतान दिनांक 20-7-81 को कर दिया गया था बाद में इनको बदलकर निर्धारित माप के खम्भे लगा दिये गये। इस अनियमितता के लिये सेन्ट्रल स्टोर के इंचार्ज, अवर अभियन्ता श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव को स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है। अवर अभियन्ता श्री श्रीवास्तव के अतिरिक्त कौन अन्य अधिकारी दोषी हैं, इसकी भी जांच की जा रही है।

होम्योपैथिक महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

193–श्री खैरुल बशर–

क्या यह सत्य है कि प्रदेश के सभी 9 होम्योपैथिक महाविद्यालयों में किसी में भी प्राचार्य के पद पर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं है? जबकि शासन की नीति के अनुसार दो पद आरक्षित होने चाहियें? यदि हां, तो सरकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों को कब तक भरेगी?

श्री लोकपति–

इन सभी 9 होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का प्रान्तीयकरण शासन द्वारा दिनांक 11-12-81 को किया गया है। सभी कालेजों के प्राचार्य को यथास्थिति सरकारी सेवा में लिया गया है और वे ही प्राचार्य उक्त सभी 9 कालेजों में कार्यरत हैं। भविष्य में रिक्ति होने पर नियुक्ति शासकीय नीति के अनुसार होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद होम्योपैथिक महाविद्यालय तथा नेशनल होम्योपैथिक महाविद्यालय, लखनऊ में प्राचार्य के रिक्त पद पर भर्ती

194–श्री खैरुल बशर–

क्या यह सत्य है कि इस समय मुरादाबाद होम्योपैथिक महाविद्यालय तथा नेशनल होम्योपैथिक महाविद्यालय, लखनऊ में प्राचार्य के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों पदों को प्रदेश के होम्योपैथिक महाविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत अनुसूचित जातियों के प्रवक्ता पद पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रोन्नत कर भरने पर विचार करेगी? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर दिया जायगा?

श्री लोकपति–

जी नहीं। केवल नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ में प्राचार्य का पद रिक्त है।

राजकीय नेशनल होम्योपैथिक महाविद्यालय के प्राचार्य का पद सीधी भर्ती का पद है। अतः इसे प्रोन्नति से भरने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सप्लाई आफिसर, वाराणसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच

195–श्री उदल–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी माल गोदाम कैन्ट, वाराणसी की चार दरख्वास्तें सप्लाई आफिसर, वाराणसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ खाद्य मंत्री को 14 अप्रैल, 82 को दिया है? इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां, प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 14-4-82 के पत्र के साथ अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी वाराणसी से सम्बद्ध चार व्यक्तियों के शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें अंकित शिकायतों की जांच खाद्य विभाग के फूड सेल को सौंप दी गयी है।

196–श्री उदल–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी माल गोदाम, वाराणसी कैन्ट के 4 व्यक्तियों ने मार्च, 82 में जिलाधीश, वाराणसी को 4 दरख्वास्तें सप्लाई विभाग, वाराणसी के एक अधिकारी तथा कई कर्मचारियों के खिलाफ दिया था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां। चारों शिकायती पत्रों की जांच परगनाधिकारी, वाराणसी द्वारा करायी गयी। जांच से शिकायती पत्रों में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

जनपद शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय में निर्माण कार्य तथा मलबे की नीलामी

197–श्री सिकन्दर अली खां–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में जनपद शाहजहांपुर के महिला एवं जिला चिकित्सालय में जो भवन संबंधी निर्माण कार्य हुआ उसमें तोड़ी गयी इमारत के मलबे आदि की नीलामी कितने में हुई तथा किस आधार पर किसके लिए (पक्ष में) की गयी ?

श्री लोकपति–

जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में वर्ष 1978-79 और 1979-80 में कुछ छोटे निर्माण कार्य एवं आवश्यक परिवर्तन के कार्य कराये गये थे

परन्तु इसके लिए किसी भी इमारत को नहीं तोड़ा गया । केवल चिकित्सालय के मेन गेट के पास दो पुराने कमरों की खपरैल को हटाकर स्लैब डलवाये गये थे । पुराने खपरैल की नीलामी नियमानुसार नीलामी नोटिस निकाल कर सबसे अधिक बोली बोलने वाले श्री बनवारी लाल के पक्ष में रु0 50/- में दी गयी थी ।

फार्मेसिस्टों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण उनकी नियुक्ति एवं स्थानान्तरण

198–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि फार्मेसिस्टों की सेवाओं का प्रान्तीयकरण किए जाने के बावजूद उ0 प्र0 फार्मेसिस्ट सेवा नियमावली, 1980 के अनुसार इनकी नियुक्ति एवं स्थानान्तरण का अधिकारी जनपद स्तरीय चिकित्सा अधिकारियों एवं अधीक्षकों को बनाया गया है ? यदि हां, तो इस विरोधाभास को समाप्त कर कब तक प्रान्तीयकरण को कार्यरूप दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

उत्तर प्रदेश भैषजिक सेवा नियमावली, 1980 के नियम 3 (क) के अनुसार चीफ फार्मेसिस्टों (मुख्य भैषजिकों) के नियुक्ति अधिकारी स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश है जब कि कार्यालयों/चिकित्सालयों में कार्यरत या उनसे संबद्ध फार्मेसिस्टों (भैषजिकों) के नियुक्ति अधिकारी संबंधित संयुक्त निदेशक (कर्मचारी राज्य बीमा) मुख्य चिकित्साधिकारी, मेडिकल कालेजों के ज्येष्ठ अधीक्षक, चिकित्सालयों के ज्येष्ठ अधीक्षक व अधीक्षक, महिला चिकित्सालय हैं ।

नियम 21 के अनुसार नियुक्ति अधिकारी अपने प्रभार में एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित कर सकता है तथा निदेशक इस सेवा के किसी सदस्य को राज्य में कहीं भी या भारत में किसी सरकारी संगठन में या उससे स्थानान्तरित कर सकता है ।

भैषजिकों के वेतनमान भैषजिकों के पुराने रु0 300-500, रु0 230-385 व रु0 185-265 व नवीन 515-860रु0, 400-615 रु0 व 325-495 रु0 की तुलना में मुख्य भैषजिकों का वेतनमान 400-550 रु0 पुराना व 622-940 रु0 नया है। इस प्रकार कोई विरोधाभास नहीं है । अत: इसके समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बलरामपुर अस्पताल में भर्ती, श्री नरेश बहादुर सिंह को आवंटित प्राइवेट वार्ड तथा उनके ऊपर बकाया चिकित्सा व विद्युत शुल्क

199–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-10-81 से 23-10-81 के मध्य बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में भर्ती रहे श्री नरेश बहादुर सिंह पुत्र श्री चौथी निवासी 116/12, घसियारी मंडी, काली बाड़ी मार्ग, लखनऊ को किस आधार पर विशेष श्रेणी की नि:शुल्क चिकित्सा व अन्य समस्त सुविधायें प्रदान की गयी थीं ?

श्री लोकपति–

जी हां । श्री नरेश बहादुर सिंह को निर्धारित प्रार्थना-पत्र में प्रार्थना करने पर प्राइवेट वार्ड आवंटित किया गया । उन्हें चिकित्सालय द्वारा कोई नि:शुल्क सुविधा प्रदान नहीं की गयी ।

200–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या श्री नरेश बहादुर सिंह को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा राजनीतिक पीड़ित अथवा राजनीतिक बन्दी मानकर उक्त नि:शुल्क सुविधायें सरकार की ओर से प्रदान की गयी थीं ? और क्या वे शासनादेश में अनुमन्य विभिन्न श्रेणी की सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु वास्तव में वैधानिक ढंग से अधिकृत हैं ? यदि नहीं, तो सरकार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री लोकपति–

जी नहीं । श्री नरेश बहादुर सिंह की उपरोक्त अवधि में हुई चिकित्सा के सम्बन्ध में प्राइवेट वार्ड का किराया तथा विद्युत शुल्क के रूप में 102 रु0 देय हैं जिसे जमा करने हेतु श्री सिंह को लिखा जा चुका है ।

व्यवस्था के प्रश्न

[समय 12·20 अपराह्न से]

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने पहले प्रश्न पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा था तो आपने कहा था कि बाद में उठाइयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको बाद में समय दूंगा ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मा0 जगदीश प्रसाद, जो इस आदरणीय सदन में पीछे बैठे हैं, ने बेरोजगार मंत्री नामक संस्था की स्थापना किया है, क्या माननीय सदन ने उक्त संस्था को मान्यता दे दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष–

हम लोगों में से बहुत से उसके सदस्य हैं, इसलिए पहले लिस्ट तो उसकी आने दें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं इसलिए मुझे बोलने के लिए समय दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप विराजें । आप विराजें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मैं जब बोलने के लिए समय मांगता हूं तो आप समय नहीं देते हैं और कहते हैं कि विराजें। इसलिए मैं बीच फर्श (वेल) में विराज रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल क्या यही व्यवस्था है ? बीच में बैठना चाहते हैं तो बैठें और कार्यवाही चलती रहेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इनके बीच में बैठे रहने से सदन कैसे चल पायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

नेता विरोधी दल, आप सदन में व्यवस्था कायम करने में हमारी सहायता करें ।

(श्री हुकम सिंह एवं श्री विजय सिंह राना, श्री यदुनाथ सिंह को बुलाने आने पर मा0 सदस्य फर्श पर लेट गये)

श्री उपाध्यक्ष–

यदुनाथ जी, आप अपना आसन ग्रहण करें, आप आसन ग्रहण करें । मा0 सदस्य अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

आप जान बूझकर मुझे समय नहीं देते हैं । क्या संविधान में लिखा है कि बोलने न दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप यह गलत आचरण कर रहे हैं । मैं आपको आदेश देता हूं कि आप सदन का त्याग करें ।

(श्री यदुनाथ सिंह के सदन न छोड़ने पर)

माननीय नेता सदन, मैं श्री यदुनाथ सिंह को इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं . . . .

(श्री मोती लाल दहेलवी के प्रयास से श्री यदुनाथ सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष–

वह अपनी जगह पर चले गए हैं, आप विराजें ।

मैंने उनको इंगित किया था । भगवान ने उनको सद्बुद्धि दिया । मैं इंगित किए जाने की कार्यवाही को समाप्त करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 अगस्त, 1982 की बैठक में सदन के 19 से 24 अगस्त, 1982 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है तथा यह भी सिफारिश की है कि दिनांक 19 अगस्त, 1982 के लिए निर्धारित असरकारी कार्य दिनांक 20 अगस्त, 1982 को लिया जाय और 19 अगस्त के असरकारी दिवस के स्थान पर 30 अगस्त, 1982 को असरकारी दिवस हो–

अगस्त, 1982–	
19, गुरुवार	प्रश्नोत्तर तथा कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों को प्रतिवेदित किए जाने एवं उनके संबंध में प्रश्न उपस्थित किए जाने के पश्चात् निधन के निर्देश ।
20, शुक्रवार	असरकारी कार्य
21, शनिवार 22, रविवार	बैठक नहीं होगी।
23, सोमवार	**(क) अपराह्न 5 बजे** 1–उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घंटा। 2–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार एवं उसका पारण–दो घंटा । 3–उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार एवं उसका पारण–डेढ़ घंटा । **(ख) अपराह्न 5 बजे** वित्तीय वर्ष 1982-83 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों, तथा वित्तीय वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 के अतिरिक्त अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ।
24 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1982-83 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों तथा वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, उन पर विचार एवं उनका पारण ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने आज सदन में दी है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने आज सदन में दी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(कुछ सदस्यों द्वारा 'नहीं' कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

"नहीं" बेमन से कहा गया है इसलिए प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार हुआ

आज दिनांक 19 अगस्त, 1982 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 1 (नत्थी 'क') के स्थगन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज के लिए निर्धारित नत्थी (क) के प्रश्न संख्या-1 को देखने की कृपा करें । यह प्रश्न माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री का था । इसका स्थगन दो बार हुआ है । यह प्रश्न 19-12-81 को हुआ है और इसका पहला स्थगन 4-3-82 को हुआ है । आज दूसरा स्थगन हुआ है । मेरा इस संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इस संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी कए गए प्रक्रिया संबंधी करण (पंचम संस्करण) के करण संख्या-25 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मैं बजाय इसको पूरा पढ़ने के इसका कुछ अंश पढ़ना चाहूंगा। इसमें बीच में लिखा है "कि सामान्यतया प्रश्नों का स्थगन केवल एक ही बार स्वीकार किया जाता है ।" तो यह एक बार 4-3-82 को स्थगित किया जा चुका है । दूसरी बार आज स्थगन हो रहा है । दूसरी बार प्रश्नों को स्थगित करने पर उसके कारणों को व्याख्यात्मक टिप्पणी में आमिल किया जाना चाहिए जो कि श्रीमन् पत्रावली में जरूर दिए गए होंगे । लेकिन सबसे अन्तिम पंक्ति देख लें, जिसमें लिखा है कि "सरकार को एक माह की सूचना मिल चुकी होगी, उन्हें स्थगित नहीं किया जायेगा ।" अब इस संबंध में आप देखें कि 19-12-81 को सूचना दी गई फिर दूसरी सूचना 4-3-82 को आई, इस तरह चार माह हो गए, इसका उत्तर तो मिल गया होगा परन्तु फिर भी किन असामान्य परिस्थितियों में इसे यहां नहीं लाया जा रहा है, वह स्थिति मैं जानता हूं । मान्यवर, कि भंडारागार निगम के अन्तर्गत एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ विधान परिषद् में लगभग 20 करोड़ रु0 की गड़बड़ी का मामला उजागर किया है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सरकार पता नहीं क्यों इस भ्रष्टाचार के मामले को दबाना चाहती है और इसीलिए नियमों के विपरीत जाकर भी जानबूझकर इस प्रश्न को टाला जा रहा है, नहीं हो तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गयीं जो शासन ने 4 माह हो जाने के बाद भी इस प्रश्न को स्थगित कर दिया, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री रियासत हुसैन–

इसको आप मान्यवर, अवश्य देखें जो मा0 गुप्त जी ने उठाया है, वह बहुत ही गम्भीर इस्यू है । 20-1-82 को गोया सरकार को भेजा गया और फिर 19-12-81 को सवाल आया और फिर स्थगित हुआ और जब असेम्बली प्रोरोग हुई, तब यह दुबारा पहली सूचना पर आया और फिर इसका स्थगन हुआ, बिना कोई रीजन दिए हुए । आज 9 माह हो गये सरकार के पास से कोई उत्तर नहीं आया । इसमें वाकई नियमों का उल्लंघन हो रहा है जैसा कि गुप्ता जी ने जिन नियमों का हवाला दिया है, इस पर कृपया आप अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आप लोगों की भावनाओं से प्रभावित हूं । मैं फाइल देखूंगा कि ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ है, लेकिन यह प्रश्न अगले गुरुवार तक के लिये स्थगित हुआ है और ऐसा असामान्य स्थिति में हुआ है । इसकी सूचना गुरुवार को समुचित रूप से आपके सामने आ जायेगी ।

[समय 12·32 अपराह्न]

प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मा0 सदन के सभी सदस्यगण के समक्ष महान् विभूति स्वर्गीय त्रिभुवन नारायण सिंह, जिनका देहावसान वाराणसी में 3/4 अगस्त, 1982 की रात्रि में हृदयगति के रुक जाने से हुआ था, रखना चाहता हूं । स्व0 टी0 एन0 सिंह के संबंध में हमारे मा0 सदन के अधिकांश मा0 सदस्य सब कुछ जानते हैं । यह गांधी युग की परम्पराओं की कड़ी थे और इन्होंने अपना जीवन 1930 से स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रारम्भ किया और हर बार जब भी इसमें लड़ाई का समय आया, तब आपने अगली पंक्ति में खड़े होकर भाग लिया और अनेकों बार जेल गए । यह 1952 में और 1957 में लोक सभा के सदस्य एवं 1965 में राज्य सभा के सदस्य रहे। इसके अलावा भारत सरकार की कई कमेटियों के सदस्य भी रहे और इस प्रदेश में आपने मुख्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया, इसके उपरान्त बंगाल के राज्यपाल भी रहे और यह सब रहते हुए भी वह सत्ता के उस प्रभाव से मुक्त रहे और किसी भी क्षेत्र में अहंकार की भावना को घुसने नहीं दिया ।

वे बराबर एक त्यागी पुरुष की तरह सत्ता में रहकर भी निश्छल होकर अपने कार्यों को करते रहे। मुझको उनके साथ उनके मुख्य मन्त्रित्व काल में मंत्री की हैसियत से कार्य करने का अवसर मिला था और जब भी उनसे मुलाकात कार्य के सम्बन्ध में होती थी, स्पष्टतः ऐसा लगता था कि जैसे अच्छे कार्य के लिए ही उनका निदेश होता था । इधर मेरी उनसे अन्तिम भेंट कलकत्ता में हुई, जब वे राज्यपाल के पद पर थे। कलकत्ता में राज्यपाल का निवास स्थान बड़ा विशाल भवन है, बहुत बड़ा उसका एरिया है मैं वहां उनसे मिलने गया था। मिलने जाने पर जब मेरी गाड़ी वहां पहुंची तो मुझको तलाशना पड़ा कि वे कहां हैं, यों तो उनके कर्मचारी वगैरह थे ही, लेकिन उस विशाल महल के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी, उस विशाल महल के संदर्भ में उसे झोपड़ी कहना ही उचित होगा, जोकि 2–3 कमरों की थी, उसी में वे थे । जिस कमरे में वे बैठे थे, वह कमरा किसी भी आम साधारण व्यक्ति के कमरे से बिलकुल भिन्न नहीं था। वहां पर एक तख्त था, मेज थी, कुर्सी थी और साधारण इस्तेमाल के सामान थे, जहां वे अपने हाथ से धुला हुआ कुर्ता और धोती पहने हुए बैठे थे। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने मानव जीवन के लिए बहुत सी मर्यादायें स्थापित की हैं । ऐसे पुरुष के दिवंगत होने से हमारे प्रदेश का, देश का, तो अहित हुआ ही है, हानि हुई ही है लेकिन इस परिपेक्ष्य में कि मनुष्य को किस तरह सत्ता और सत्ता से बाहर भी अपने जीवन को चलाना चाहिए, रखना चाहिए, एक वह आदर्श जो आज विश्व की पृष्ठभूमि में आवश्यक है, उसका भी सन्देश उनसे मिलता था ।

मैं उनके निधन से दुखी हूं और सदन की तरफ से उनके परिवार वालों, सम्बन्धियों और उनसे जो भी सम्बन्धित लोग हैं, सबके पास अपनी समवेदना, सदन की समवेदना और अपने दल की समवेदना पहुंचाना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री टी0 एन0 सिंह के निधन पर मा0 नेता सदन ने जो समवेदना एवं भाव व्यक्त किए हैं, मैं व मेरा दल उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हैं। जैसा कि मा0 नेता सदन ने कहा कि श्री टी0 एन0 सिंह गांधी युग की एक कड़ी थे, जो हमारे बीच अब नहीं रहे। गांधी जी के नारे पर देश को आजाद कराने के लिए वे आगे आये थे। उस समय उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आजादी मिलेगी और जीवित रहकर देश के विभिन्न पदों पर वे रहेंगे। यह वह समय था जबकि बहुत कम नवयुवक संघर्ष के मैदान में आगे आते थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए दे दिया। गांधी जी के आह्वान पर जब जेल जाने की आवश्यकता हुई सन् 1930–32 और 42 में, वे जेल भी गये और जेल की यातनाएं भी सहीं। वे दो बार लोक सभा के सदस्य और दो बार राज्य सभा के सदस्य रहे और गवर्नर भी रहे। इस प्रदेश के 1970–71 में मुख्य मंत्री भी रहे।

श्रीमन्, वे प्रेस आयोग के सदस्य भी रहे। उन्हें पत्रकारिता से स्नेह था। वह विविध प्रतिभा के धनी थे। वे रेलवे कमेटी के भी सदस्य रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के भी सदस्य रहे। यह सब उनकी प्रतिभा और लगन के कारण ही सम्भव हो सका कि वे विभिन्न पदों को संभालते चले गये।

स्वर्गीय टी0 एन0 सिंह एक उच्च कोटि के प्रशासक थे, वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे तथा उच्च कोटि के देश प्रेमी थे साथ ही उच्च कोटि की पत्रकारिता के प्रेमी थे जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। वे महान विभूतियों से परिपूर्ण थे जिसकी पूर्ति करना सम्भव नहीं है। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से अपनी समवेदनाएं उनके शोक सन्तप्त परिवार को देना चाहता हूं, आपसे निवेदन है कि हमारी भावनाओं को आप उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री टी0 एन0 सिंह जी गांधी पीढ़ी, जोकि प्रायः अब लुप्त सी होती नजर आ रही है, की एक कड़ी थे। स्वर्गीय त्रिभुवन नारायण जी जब युवा थे तो वे देश प्रेम से प्रेरित होकर महात्मा गांधी के आह्वान पर अपना अध्ययन छोड़कर महात्मा गांधा द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यापीठ में चले गये। उसके बाद जितने आन्दोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये सन् 1930–32 तथा 1942 में, सभी में वे सम्मिलित हुए। आजादी के पूर्व वे एक सफल पत्रकार के रूप में रहे। जब स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 'नेशनल हेराल्ड' की स्थापना की तो उसकी व्यवस्था का कार्य उन्हें ही सौंपा। उन्होंने अनेक रूप में, अखबार के माध्यम से, स्वतंत्रता की लड़ाई में बड़ा भारी योगदान दिया। हम लोगों का सम्बन्ध उनसे उस समय हुआ, जब वे मुख्य मंत्री के रूप में इस उत्तर प्रदेश में आए। उनका सरल स्वभाव, उनका सादगीपन, उनका आचरण जब हम लोग याद करते हैं तो यह सोचना पड़ता है कि सम्भवतः ऐसे लोग जो हमसे बिछुड़ गए हैं, क्या भविष्य में हमारे सामने आ पायेंगे ? उनके साथ जो लोग भी रहे, वे इन सभी तथ्यों से भली-भांति परिचित हैं उन्होंने सदैव साधनों की पवित्रता पर विश्वास किया। चाहे वे सत्ता के बाहर हों या चाहे सत्ता के अन्दर रहे हों, उन्होंने कभी साधनों के दुरुपयोग पर विश्वास नहीं किया। जब वे सत्ता के बाहर थे कोई उन पर यह आरोप नहीं लगा सका कि उन्होंने साधनों को जुटाने में अनुचित ढंग अपने लिए प्रयोग किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सन् 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वे स्वर्गीय निजलिंगप्पा के साथ रहे । 1967 में वे अखिल भारतीय हैण्डीक्रैफ्ट्स बोर्ड के चेयरमैन तथा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव भी रहे । जब वे सत्ता के बाहर रहे तो उन्होंने कई रचनात्मक कार्य किये और रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते रहे ।

उसके बाद वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे । मुझे भी कलकत्ता में उनके अंतिम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उस समय उन्होंने जो हमसे बात की थी वे सदैव स्मरण रहेंगी ?

मान्यवर, उनके निधन से आज सभी दुखी हैं । माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करते हुए आप से निवेदन करता हूं कि जो चन्द समवेदना के शब्द हैं, उनको परिवार और शुभ-चिन्तकों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय टी0 एन0 सिंह के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, नेथा लोकतांत्रिक समाजवादी दल तथा अन्य दल के माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जैसा कि अभी अन्य नेताओं ने भी उल्लेख किया है–– श्री टी0 एन0 सिंह आजीवन निस्पृह भाव से आकांक्षा विहीन होकर एक आदर्श जीवन जीते रहे । एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना जीवन हम सामाजिक कार्य-कर्ताओं के सामने एक आदर्श के रूप में रखा । युवावस्था में आजादी के पूर्व और आजादी की लड़ाई के बाद भी आवश्यकतानुसार समाज रचना का जो भी काम उनको सौंपा गया, उसको प्रसन्नता के साथ उन्होंने निभाया । सबसे बड़ी बात जो उनके जीवन में मैंने अपनी समझ में पायी वह यह कि वे पूरी जिन्दगी एक निश्चित आदर्श के लिये जीते रहे । और अगर मैं यह कहूं कि अगले जीवन के अन्तिम दिनों में बंगाल के राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देकर, एक सिदधांत के रूप में अपने जीवन को एक आदर्श मिसाल पेश की है तो यह कोई अतिशयोक्ति न होगी । हम सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिये वह एक आदर्श हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूं । जो आदमी आजीवन समाज के लिये जिया, समाज के लिये समर्पित हो गया, उसका कोई परिवार तो है नहीं । तो मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो श्रदधांजलि हमने इस विधान सभा में अर्पित की है, उसे समस्त देशवासियों तक पहुंचा देने की कृपा करें ।

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, स्वर्गीय टी0 एन0 सिंह के निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, स्वर्गीय टी0 एन0 सिंह जिस समय इस प्रदेश के मख्य मन्त्री रहे, उनके एक टर्म के अन्दर 5 मुख्य मन्त्री इस सूबे में रहे । मुझे भी मौका मिला जिस समय इस सदन में था । सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने उनके अन्दर देखी कि वह एक आदर्श जिन्दगी गुजार रहे थे । इस सूबे में उनको मख्य मन्त्री का पद दिया गया तो उस आदर्श को बनाये रखने के लिये यह प्रयास कभी भी उन्होंने नहीं किया कि विधान परिषद् का मेम्बर होकर किसी तरीके से उनको उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]–

पद का हकदार बना दिया जाय, बल्कि उन्होंने एलेक्शन लड़ना स्वीकार किया और जब एलेक्शन में पराजित हो गये तो फिर उन्होंने यहां मुख्य मन्त्री बने रहने के लिये कोई दूसरा तरीका स्वीकार नहीं किया । इस आदर्श की रक्षा के लिये वह उस पद को छोड़ कर चले गये ।

अभी माननीय गुप्त जी ने कहा कि बंगाल की गवर्नरी छोड़ने में भी उन्होंनो उसी आदर्श का पालन किया । उनके निधन से आज उत्तर प्रदेश का एक योग्य समाज सेवी, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष गर्व कर सकता है, फख्र कर सकता है, अपनी काबलियत और आदर्श की अपनी जिन्दगी में जो भिन्न-भिन्न प्रकार के उदाहरण व मिसालें उन्होंने पेश की हैं, वह हम सब के लिये रास्ता दिखलाने के लिये एक रोशनी है । यही बात व्यक्त करते हुए मैं एक बार फिर आप से दरख्वास्त करता हूं कि उनसे सम्बन्धित जितने भी लोग हैं उन तक मेरी और मेरे दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें ।

*श्री भीखालाल–

उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय टी0 एन0 सिंह के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बदध करता हूं । स्वर्गीय टी0 एन0 सिंह जी उन शखसियतों में से थे, जो राष्ट्रीय आन्दोलन की भावनाओं, परम्पराओं से ओतप्रोत थे और उन्हीं परम्पराओं के अनुसार चाहे सत्ता में रहें, चाहे प्रदेश के मुख्य मन्त्री की हैसियत से रहें या बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से रहें, उसी तरह से सादगी के साथ जीवन व्यतीत किया । वह एक आदर्श पुरुष थे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके सन्तप्त परिवार तक अपने विचार आपके माध्यम से पहुंचाने का अनुरोध करता हूं ।

*श्री सूबेदार सिंह–

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो भावनायें स्वर्गीय त्रिभुवन नारायण सिंह जी के प्रति व्यक्त की हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । माननीय त्रिभुवन नारायण सिंह जी जब मुख्य मन्त्री के रूप में आये तो मेरा बहुत निकट का सम्बन्ध उनसे रहा और मुझे एक ऐसी घटना याद है कि जब कभी मैं, जब वे मुख्य मंत्री थे, उनसे मिलने गया तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरे रोकने के बाद भी वह नंगे पैरों दरवाजे तक मुझे छोड़ने चले आये। "सादा जीवन और उच्च विचार" उनके जीवन की आधारशिला थे । जब वे बंगाल के राज्यपाल हुए उस समय भी हमारा उनसे सम्बन्ध बना रहा । जब वे लखनऊ आये तो उन्होंने हमें सूचित किया कि फलां तारीख को मैं लखनऊ आने वाला हूं और उस समय भी हम उनसे मिले । उन्होंने जो स्नेह अपने जीवन में अपने से छोटों को दिया, वह अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यह उनके जीवन की प्रक्रिया थी । एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, एक समाजसेवी के रूप में, एक साहित्यिक के रूप में उन्होंने प्रदेश और देश की जो सेवा की है, उसको हम भूला नहीं सकते ।

आज जबकि राजनीतिक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों में भारी गिरावट आ रही है, ऐसे समय में उनके मार्ग पर चलना हमारे लिये नितान्त आवश्यक है और हम यह समझते हैं

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि उनके प्रति सही और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम आज के युग में भी उनके द्वारा बताये हुए नैतिक मूल्यों का अनुसरण करें और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें । हमारी और हमारे दल की समवेदनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और विभिन्न दलों के नेतागल ने स्वर्गीय श्री त्रिभुवन नारायण सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में, उनके द्वारा शोभित किये गये पदों के बारे में, उनके द्वारा सम्पादित सामाजिक कार्यों के बारे में अपनी भावनायें व्यक्त कीं तथा जो कुछ भी उनके बारे में कहा गया, उसके बाद कुछ भी कहना मेरी समझ से अनुपयुक्त है क्योंकि कोई भी ऐसा अंग नहीं बचा जिस पर हमारे नेतागण प्रकाश न डाल चुके हों । मैं आप सबकी भावनाओं सी अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और इतना ही कह सकता हूं कि वे एक राजयोगी थे और राजयोगी की जीवन-लीला एक राजयोगी की तरह समाप्त हुई । उन्होंने अपने आखिरी वक्त में भी किसी का एक गिलास पानी स्वीकार नहीं किया । जैसा जीवन बिताया वैसे ही जीवन का अन्त किया और वही तो रास्ता है जिस पर सभी को जाना है । वह एक अच्छी आयु पाकर गये पर हम लोगों के लिए एक मार्ग-दर्शन छोड़कर गये। अवर हम अपने आपको इस लायक बना सकें कि उनके द्वारा चले गये रास्ते पर चल सकें और अपने आपको हर चीज में रखते हुए निर्लिप्त रहें तो हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी । मैं अपने को आप सबके विचारों से सम्बद्ध करता हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी भावनायें जिसे उनका परिवार कहा जा सके, जिसमें हम सभी आते हैं, उन सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा । वैसे उनको मुकदित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका परिवार है । उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं और लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो गोरखपुर जिले में रहते हैं । उनकी पत्नी जीवित हैं । मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं । सन् 1957 में जब वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 7 जन्तर-मन्तर स्थित आफिस में बैठा करते थे, उस समय उनके नजदीक रहने का अवसर मिला था और इस सदन में सदसा के नाते अवसर मिला था । और इस सदन में सदस्य के नाते अवसर मिला था इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूं । उनके परिवार तक सभी की भावनायें पहुंचाने का प्रयास करूंगा । वैसे मैं समझता हूं कि हम सभी उनके परिवार के हैं। अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए ।)

भूतपूर्व सदस्य, श्री सन्त सिंह यूसुफ के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से स्वर्गीय सन्त सिंह यूसुफ जिनके अनेकों नाम थे और जिनकी बहुमुखी प्रतिभा थी, जिन्होंने अनेकों तरह से जनता की सेवा करने का कार्य उठाया था, उनके निधन पर कुछ रखना चाहता हूं। श्री यूसुफ का जन्म सन् 1909 में लाहौर में हुआ था । 25 जून, 1982 की रात्रि में अपने निवास स्थान पर उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी आयु 73 वर्ष की थी और वे यहां विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन अपने बाल्यकाल से ही प्रारम्भ किया और अनेकों बार जेल गये । उनका मुख्य क्षेत्र मजदूरों की सेवा करना और उनको संगठित करना था। यही उनका मुख्य क्षेत्र रहा और जीवन पर्यन्त वे इसी में लगे रहे। कभी किसी का भय, कभी किसी का डर, किसी प्रकार का लालच उनकी कार्य-प्रणाली पर प्रभाव न डाल सका और वे मजदूरों के सेवक की हैसियत से सदा कार्य करते रहे। उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्रीपति मिश्र–]

अनेकों नाम थे–मुहम्मद युसुफ उर्फ अब्दुल्ला खां, उर्फ सन्त सिंह तारा सिंह चड्ढा उर्फ सन्त सिंह वर्मा आदि थे। ये नाम ऐसे ही नहीं हैं। ये नाम इस बात के द्योतक हैं कि वे अनेकों तरह से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे जिसके लिए उन्हें अनेकों नाम अपने रखने पड़े । उनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वे भारतीय थे, हिन्दुस्तानी थे, जाति-पांति और वर्ग-विभेद के ऊपर थे, मजदूरों के सेवक थे और उनका हित चाहने वाले थे। एक ऐसे समर्पित नेता के उठने से प्रदेश को जो हानि हुई है, वह साधारणतया पूरी नहीं होती। मैं उनके परिवार के प्रति उनके संबंधियों के प्रति, उनके जाने हुये लोगों के प्रति अपनी समवेदना पकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी यह संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री सन्त सिंह यूसुफ के निधन पर समवेदना के जो भाव नेता सदन ने व्यक्त किये हैं, उनके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा श्री यूसुफ साहब सन् 62 और 74 में इस माननीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुये लेकिन उससे पूर्व उनका जो कार्य क्षेत्र था, वह बहुत ही निर्भीक रूप का था। उनका कार्य क्षेत्र श्रमिक संगठनों को संगठित करना, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ना और उनके हितों के लिए संघर्ष करना था। श्री यूसुफ लाहौर में जन्में थे, लेकिन उन्होंने श्रमिकों के हितों की लड़ाई अहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली बड़ौदा, मेरठ और कानपुर में रह कर की। इन जगहों पर उन्हें इसलिये भी जाना पड़ा क्योंकि जब दिल्ली में उन्होंने श्रमिकों के लिये लड़ाई लड़ी, हड़तालें कराई तो शासन ने उन्हें वहां से निकाल दिया और बम्बई में भी जब उन्होंने श्रमिक संगठनों को संगठित किया तो वहां के शासन ने भी उन्हें निकाल दिया और अन्त में मेरठ और कानपुर उन्हें अपना कार्य क्षेत्र बनाना पड़ा और निधन भी उनका कानपुर में ही हुआ। जैसा नेता सदन ने कहा, मैं भी अपने को और अपने दल को उनके साथ सम्बद्ध करता हूं और जो उनका कार्य रहा है, श्रमिक संगठनों के लिये उन्होंने जो कुछ किया है, वे आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे और हमारे दल के ये भाव उनके शोक संतृप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

उपाध्यक्ष जी, मौलाना सन्त सिंह यूसुफ से विशेष मेरा संबंध रहा है मेरे ही नगर कानपुर में उन्होंने आकर अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उनका निधन भी कानपुर में ही हुआ। श्री सन्त सिंह जी का मुख्य कार्य एक ही था कि वे श्रमिक संगठनों में कार्य करते रहे। कानपुर में वे इतने अधिक लोकप्रिय हो गये थे कि उनको मजदूरों का झंडा कहा जाने लगा। मजदूर संगठनों की सेवा करने में उनको कई बार फरार भी रहना पड़ा, इसलिए उनके कई नाम रखे गये । अधिकतर लोग उनको मौलाना यूसुफ के नाम से जानते हैं और असली नाम कम लोग ही जानते हैं। यदि वह विधान सभा के सदस्य न चुने गये होते तो असली नाम मालूम नहीं होता।

उनके निधन से कानपुर क्षेत्र के मज़दूर जगत में रिक्तता हो गयी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। कानपुर में कोई मिल का गेट ऐसा नहीं है कि जहां पर मौलाना की सप्ताह में एक मीटिंग न होती हो। कोई मिल की ऐसी समस्या नहीं थी जिसको मौलाना भली भांति नहीं जानते हों। कानपुर की मिलों की समस्या के संबंध में अधिकतर अधिकारी भी उनसे जानकारी प्राप्त किया करते थे कि किस मिल की क्या समस्या है। उनको तकनीकी ज्ञान भी बहुत अधिक था ऐसे व्यक्ति के चले जाने से श्रमिकों ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपना सहारा खो दिया है, उससे हम सब दुखी हैं, उनके संबंध में जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी यह भावना उनके साथियों और परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी स्व0 श्री सन्त सिंह यूसुफ जी के संबंध में जो विचार नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता समाजवादी दल ने व्यक्त किये, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, विचारों से सहमति या असहमति अपनी जगह पर होते हुए उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो त्याग है, उसका जो बलिदान है, उससे उसका मूल्य आंका जाता है। श्री सन्त सिंह यूसुफ को नजदीक से जानने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ जब उनकी गतिविधियों को और उनको सीतापुर तक सीमित कर दिया गया और बाहर जाने की उनको इजाजत नहीं थी, उस समय मैं विद्यार्थी था। सामाजिक क्षेत्र में रुचि होने के कारण जब पता लगा कि ऐसा व्यक्ति यहां आकर होटल में रह रहा है तो उनसे मिलने गया और सायंकाल घूमते समय उनसे बातें हुआ करती थी। उनसे सहमत होना अपनी जगह पर है।

लेकिन मान्यवर, जो उनका क्रांतिकारी जीवन था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ । उनका सारा जीवन मजदूरों के साथ रहा और हिन्दुस्तान की आजादी के लिए उन्होंने अपने को पूरे तौर पर समर्पित कर दिया। मुझे उनके एक निकटस्थ व्यक्ति ने स्मरण सुनाया कि उनके परिवार वालों को पता नहीं था कि वह मर गये हैं या जीवित हैं। एक दिन उनके भाई दिल्ली में जा रहे थे। तो एक जगह मजदूरों की सभा हो रही थी तो उसमें बोलने वाले के स्वर जब उनके कान में पड़े तो वह चौंक गये और नजदीक जाकर देखा कि वह उनके भाई हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिसनें अपना सब कुछ खो दिया हो और जो राष्ट्र में विलीन हो गया हो तो ऐसे व्यक्ति को खो देना सम्पूर्ण मजदूर जगत की क्षति है । मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी और हमारे दल की भावना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे । यह बात सही है कि ऐसे व्यक्तियों का कोई परिवार नहीं होता लेकिन यूसुफ जी का सच में कोई परिवार नहीं है । जहां तक मेरी जानकारी है, उनकी एक भतीजी उनके साथ थी, अब वह कहां होगी इसको मुझे कोई पूरी जानकारी नहीं है । पूरा जीवन उन्होंने समाज को समर्पित कर दिया था । इन भावनाओं के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। यह आप उन तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री रियासत हुसैन–

स्वर्गीय सन्त सिंह यूसुफ के बारे में, नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मुझको यूसुफ जी के साथ विरोध पक्ष में सन् 62 से 74 तक बैठकर काम करने का अवसर मिला है। उनके दिल में मजदूरों और शोषितों के प्रति जो कसक थी और वह जो अपने विचार प्रकट करते थे इधर से, उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और आज भी जैसा उनके जीवन के बारे में बताया गया है, इस प्रदेश से बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा का एक आदमी कम हो गया है। एक बार फिर मैं अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार तक आप हमारी श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भीखालाल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय सन्त सिंह यूसुफ के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन और विरोधी दल के अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। सन्त सिंह यूसुफ के निधन से हमारे प्रदेश ने एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मजदूरों का नेता खो दिया है। जैसा नेता सदन ने कहा वह बहुत ही थोड़ी उम्र में, अपने बाल्यकाल में राजनीति में शामिल हो गये थे और अपने को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। सन् 1917 की सोवियत क्रान्ति से प्रभावित होकर वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गये थे और तब से लगातार सक्रिय रूप से, अपने क्रान्तिकारी विचारों के साथ उस समाज की परिवर्तन की लड़ाई लड़ते रहे। जो उनका सिद्धान्त था कि देश और समाज के क्रान्ति का अगला दस्ता देश का सर्वहारा शोषित और मजदूर वर्ग है, उसको संगठित करने में वह आजीवन लगे रहे। उन्होंने अंग्रेजी राज्य में बहुत ही यातनाएं सही हैं। 1940 से 41 तक दो साल तक वह भूमिगत रहे और उस भूमिवत अवस्था में अपने को छिपाने के लिए वह तहमद पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर, तुर्की टोपी पहनकर इधर-उधर घूमा करते थे। इस भूमिगत जीवन में उन्होंने अपने कई नाम रखे और तभी से सरदार सन्त सिंह चड्ढा, मौलाना सन्त सिंह यूसुफ बने। वर्षों तक जेल में रहे।

1951-52 में वह कानपुर से निष्कासित कर दिये गये थे, उस समय वह दो वर्ष तक सीतापुर में रहे और उस दौरान में उन्होंने सीतापुर में जिला कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई की स्थापना की । कानपुर के मिल मजदूरों की सन् 1938 में, अब तक की जो सबसे बड़ी हड़ताल हुई थी, उसकी अगुवाई श्री सन्त सिंह यूसुफ जी ने श्री आर0डी0 भारद्वाज के साथ की थी और उसके बाद ही स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनी थी। उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया था कि कानपुर में मजदूर आन्दोलन में एकता स्थापित करने के लिए, जो विभिन्न यूनियनों में बंटे हुए थे, उन्होंने कानपुर सूती मिल मजदूर संघ की सन् 52 में स्थापना की थी। जैसा सभी नेताओं ने कहा उन्होंने अपने को अपने देश की सेवा में, आजादी की लड़ाई में, मजदूरों की सेवा में समर्पित कर दिया था । लिहाजा वह आजन्म अविवाहित रहे। उनके भाई दिल्ली या लाहौर में रहते थे और उनके साथ केवल उनकी एक भतीजी, जिसका उन्होंने पालन-पोषण किया था, रहती थी और वही उनकी देख-रेख किया करती थी। वहीं उनकी देखभाल मरते समय तक करती रहीं । उनके निधन से हमारे प्रदेश ने मजदूरों का नेता खो दिया है जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में होना संभव दिखायी नहीं देता।

इन शब्दों के साथ मैं अपने जनप्रिय नेता, माननीय यूसुफ के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनका जो कुछ भी परिवार हो, मेरी और हमारे दल की भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने स्वर्गीय सन्त सिंह यूसुफ के प्रति जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

मेरा सौभाग्य है कि वर्ष 1962–1967 और उसके बाद भी उनके साथ विधान सभा में कार्य करने का मौका मिला। यों तो राजनीति में आने के बाद लोगों का संबंध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़े लोगों से, समाज के उच्च वर्ग के लोगों से हो जाता है लेकिन ऐसे बहुत कम हैं जो शोषित और पीड़ितों की कराह को समझते हैं। वे इस कड़वे क्षेत्र को जानते थे जहां पर मजदूरों की कराह छिपी हुयी थी। उनके निधन से निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में रिक्तता आयी है और उसका पूरा होना मुश्किल हो गया है। अतः मैं अपनी और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और हमारे दल की भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष–

स्वर्गीय यूसुफ साहब के बारे में नेता सदन और नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं के साथ-साथ माननीय भीखालाल जी ने विस्तृत रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

जहां तक यूसुफ साहब का सवाल है, उनके कार्यकलापों के बारे में, उनके सामाजिक कार्यों के बारे में, उनके राजनीतिक कार्यों के बारे में, सभी ने अपने उद्‌गार प्रकट किये हैं और उसके बाद उनके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रही है। इतना ही कह सकता हूं कि उनके साथ भी मुझे इस सदन में बैठने का अवसर मिला और 5 वर्ष तक हम लोग इस सदन में साथ-साथ बैठे थे। वे एक तेजस्वी वक्ता थे और जब सदन में बोलते थे तो दिल और दिमाग को इकट्‌ठा करके बोलते थे और चूंकि अपने दिल और दिमाग को इकट्‌ठा करके बोलते थे, इसलिए अत्यन्त स्वभाविक और अत्यन्त प्रभावी रूप में इस सदन के समक्ष उनके विचार आते थे।

जहां तक और कार्यों का सवाल है, उनके द्‌वारा छूये गये श्रमिक मसलों और श्रमिक आन्दोलनों का सवाल है, उनके बारे में काफी चर्चा हुयी लेकिन उसके साथ-साथ वे विचारक भी थे और श्रमिक आन्दोलन की आत्मा को पहचानते थे। यह बात नजर अन्दाज नहीं की जा सकती कि जहां उन्होंने आन्दोलन किए, वहीं उन्होंने इस बात पर भी अपनी मांग की कि काम करने के कितने घण्टे चाहिए और उसके लिये श्रमिक को क्या न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। यह उनके जीवन की एक अत्यन्त मौलिक बात थी क्योंकि आन्दोलन करना तो सामान्य बात हो सकती है किसी भी क्रांतिकारी के लिए, लेकिन बुनियादी क्या मसले हैं, उनके ऊपर अपने विचार सक्रिय रूप में और प्रभावी ढंग से रखना एक मौलिक कार्य है और यूसुफ साहब ने वह भी संपादित किया।

यूसुफ साहब के जाने से हमारा प्रदेश निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी से वंचित हुआ। एक मनस्वी व्यक्ति हमारे बीच से चला गया जिसने अपने जीवन के क्रिया-कलापों से तमाम पहलुओं पर हमें विचार करने के लिए प्रेरित किया है और बाध्य किया है। अगर हम उस पर विचार कर सकें और अपने आपको उस प्रेरणा से प्रभावित कर सकें, तो उनके लिए हमारी सबसे पहली श्रद्धांजलि होगी। हम आप सबकी भावनाओं से अपने आप को सम्बद्ध करते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी भावनायें जैसी कि भीखा लाल जी के जरिये सी मालूम हुई कि भौतिक रूप से उनका अपना कोई है, उन तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे, वैसे हम यह समझते थे कि हमी उनके परिवार हैं, इसके अलावा अलग उनका कोई भौतिक परिवार नहीं है। हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि दो मिनट मौन खड़े होकर उनकी आत्मा को शांति के लिये प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

विधान सभा सदस्य, श्री त्रिवेनी राय के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री त्रिवेनी राय जी इस वर्तमान सदन के सदस्य थे। इनका देहान्त 23 मई को एक ट्रक और कार लड़ने की दुर्घटना में हुआ। ये उस वक्त 54 वर्ष के थे। इस सदन के सभी माननीय सदस्य उनसे परिचित हैं। आज उनके संबंध में कुछ कहने से उनका चित्र बिलकुल नेत्रों के सामने आ जाता है और उस दुर्घटना का चित्र बिलकुल ताजा हो जाता है। त्रिवेनी राय जी ने अपना राजनैतिक जीवन 15 वर्ष की उम्र से शुरू किया था। स्वतंत्रता की लड़ाई में बड़े नेताओं से उन्हें प्रेरणा मिली और उस युवा हृदय ने अपने को राजनीति में सौंप दिया। उनकी शिक्षा उस वक्त साधारण थी। जेल में उन क्रान्तिकारियों के साथ सबसे कम उम्र के, 15 वर्ष के क्रांतिकारी वह थे। सन् 42 की क्रांति में वह राजनैतिक क्षेत्र में रहे और हमेशा वह जनता की सेवा और कार्य करते थे।

सबसे पहले वह 1967 में इस विधान सभा के सदस्य चुने गये। सन् 67 के बाद 1969 में चुने गये, उसके बाद 1974 में चुने गये और उसके बाद इस बार इस सदन में पुनः वे चुन कर आये। उन्होंने अपने यहां एक शिक्षा संस्था भी खोली जिसे उन्होंने अपने प्रयासों द्वारा डिग्री कालेज तक पहुंचाया। इस सदन में आने के पहले वे जिला परिषद् के अध्यक्ष भी रहे, उत्तर प्रदेश संस्थागत वित्त के उपाध्यक्ष रहे तथा अनेकों समितियों के सदस्य भी रहे। श्री त्रिवेनी राय जी जिस तरह से सोचते थे, उसी को वे करते थे और यह कहा जा सकता है कि वे एक खुली हुई तस्वीर थे। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे एक बहुत ही जाग्रत सदस्य हम लोगों के बीच से उठ गया है। उनकी आयु भी अभी केवल 54 वर्ष की ही थी। वे अभी काफी समय तक इस प्रदेश और अपने जनपद की सेवा करते, पर नियति पर किसी का अधिकार व असर नहीं होता, वे हमसे छीन लिये गये। एक दुखद दुर्घटना घटी जिसमें उनकी मृत्यु हो गयी। कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। वे एक अपने क्षेत्र किसी निवासी के किसी समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे। बीच में ही यह दुर्घटना हुई। इसका हम सभी को महान् दुख है। मान्यवर, हम आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी समवेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर यह सदन सहमत हो, तो इसके बाद, इस प्रस्ताव के समाप्त होने पर, आज के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय त्रिवेणी राय जी के बारे में, उनकी अकाल एवं असामयिक मृत्यु पर समवेदना के जो भाव माननीय नेता सदन ने अभी व्यक्त किये हैं, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन् आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने तीसरी रो में बैठे हुए हैं और हम उनकी आवाज सुन रहे हैं। पर वास्तव में ऐसा है नहीं। आज वे हमारे बीच में नहीं है। वे विरोधी स्वभाव के थे, उनकी भाषा बड़ी कड़ी होती थी। विरोध पक्ष के रिमार्क्स भी वे सुनते थे और यदि कभी कोई कड़ी बात वे कह जाते थे तो उनकी यह भी आदत थी कि वे तुरन्त गैलरी में आकर अपनी बात के लिए प्रायश्चित करते थे और कहते थे कि गलती हो गयी। अपनी युवावस्था में ही उन्होंने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वे इतनी अल्पआयु में उठ गये कि उसका हम सभी को बहुत दुख है। इस सदन के 4 बार सदस्य रहे। वह अपने क्षेत्र में अपने कर्त्तव्य एवं गरीबों के प्रति निष्ठा का भाव रखते थे। यह सही है कि बहुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय तक हमको उनकी याद सतायेगी कि त्रिवेनी राय जी कहीं से कोई चीज बोल रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय त्रिवेनी राय जी के निधन के सम्बन्ध में जो संवेदना नेता सदन और नेता विरोधी दल ने व्यक्त की है, मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। यह बात सही है कि आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं लेकिन उनकी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। श्री त्रिवेनी राय जी ऐसे सदस्य थे जो सब से घुलमिलकर बात किया करते थे जो उनके मन में आता था, कह दिया करते थे और इस बात के लिये तैयार रहते थे कि अन्य व्यक्ति चाहे उनको कुछ भी कह दे। वह ऐसे स्वभाव के थे कि यदि कोई कटुता की बात सामने आ जाय तो तत्काल भूल जाते थे और दूसरा भी भूलने को मजबूर हो जाता था कि क्या बात कही गई। ऐसे व्यक्तित्व की जो हमारे बीच से चला गया, सदैव उसकी याद हम लोगों को आती रहेगी। मैं आपसे चाहूंगा कि जो विचार मैंने व्यक्त किये हैं उनको उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें और जो नेता सदन ने आज का सदन स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री धम्मन सिंह गहलौत–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय त्रिवेनी राय जी के निधन के संबंध में जो संवेदना नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त की है, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री त्रिवेनी राय बड़े मिलन-सार सदस्य थे। जिस समारोह में वह जाते थे उसके केन्द्र बिन्दु बन जाते थे। उन्होंने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम किया और लोकप्रिय रहे। आपसे प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे दल के विचार को पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, स्वर्गीय त्रिवेनी राय के सम्बन्ध में जो नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे संबद्ध करता हूं। श्रीमन्, कुछ ऐसे सत्य हुआ करते हैं जिन पर यकीन करने में कठिनाई हुआ करती है, उन्हीं सत्यों में श्री त्रिवेनी राय का हमारे बीच में न होना है। उनका सदन में इधर उधर बैठना, आपकी पीठ पर जाना, उनके तौर तरीके, सारे सदस्यों से बातचीत करना, हंसी मजाक करना, खुले दिमाग से जो मन में आता था कह दिया करते थे भले ही बाद में यह समझने पर कि गलत बात कह दिया, माफी मांग लिया करते थे। किसी सदस्य ने उनकी बात का बुरा नहीं माना और न ही वह किसी की बात का बुरा मानते थे, यही उनकी खूबी थी। हमको उनके साथ काम करने का बहुत मौका मिला और मैंने उनको बहुत करीब से देखा। वह क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध जिस प्रकार से काम करते थे उसी तरह से अपने दल को यहां सदन के अन्दर चलाने में दल के लोगों से बातचीत करने और सारी कार्यवाही में बड़ी दिलचस्पी से काम करते थे। वह हमारे और आपके सबके लिए यादगार की शक्ल में आंखों में घूमते रहेंगे। एक बार फिर मैं बाबू त्रिवेनी राय के प्रति अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि उनकी दुखी परिवार को हमारी और हमारे दल की समवेदनायें भेजने की कृपा करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखालाल–

उपाध्यक्ष जी, नेता सदन और नेता विरोधी दल एवं अन्य नेताओं ने जो विचार बाबू त्रिवेनी राय के सम्बन्ध में व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जिस समय श्री त्रिवेनी राय की दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने का समाचार मैंने सुना मुझे ऐसा आघात लगा जैसे अपना कोई सगा, संबंधी या निजी परिवार का व्यक्ति खो दिया है । श्री त्रिवेनी राय एक मित्र स्वभाव के व्यक्ति थे । मैंने जो अनुभव किया वह यह कि उनके अन्दर और बाहर कोई फर्क नहीं था । वह बहुत ही स्पष्टवादी और सरल स्वभाव के थे एवं अपने से बड़ों को वह बड़े भाई या दादा कहकर सम्बोधित करते थे । यदि यह कहा जाय कि सदन की वह जान थे, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । उनके यहां पर न रहने से हम लोगों को बहुत दिनों तक उनकी कमी का अहसास होगा कि हमने एक अच्छे सहयोगी को अपने बीच से खो दिया है । हम और हमारा दल उनकी मृत्यु से बहुत दुखी हैं और हम उस दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे और हमारे दल के विचार उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, स्व0 त्रिवेनी राय के निधन पर जो विचार मा0 नेता सदन, नेता विरोधी दल और अना नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । स्व0 त्रिवेनी राय के साथ मुझे कई बार कार्य करने का मौका मिला और जब सदन के सदस्य हुए तो भी उनके साथ कार्य करने का मौका मिला । वह एक अच्छे मित्र, निर्भीक और स्पष्टवादी थे । हमेशा जब उनसे कोई गलती हो जाया करती थी तो वह क्षमा मांग लिया करते थे । उनका एक-एक आचरण हमारे सामने घूम रहा है । विश्वास नहीं होता कि वह हमारे बीच में नहीं हैं । अखबारों में जब उनकी मृत्यु का समाचार पढ़ा तो विश्वास नहीं हुआ लेकिन मान्यवर, सच्चाई अपनी जगह पर है । उनकी मृत्यु से निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक रिक्तता आयी है और ऐसे व्यक्ति को हमने खो दिया है जिसकी समाज में आवश्यकता थी । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी समवेदनायें पहुंचाने की आप कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहले जब यह मुझे समाचार मिला कि भाई त्रिवेनी राय जी अब नहीं रहे तो मन ने उसे स्वीकार करने से इंकार किया लेकिन सत्य, सत्य है । बाद में जानकारी हुई कि वे अपनी मृत्यु से एक दिन पहले तक यहां पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में रहे और दूसरे दिन फिर उनको यहां आना था, एक रोज के लिए वह केवल काशी गए थे और वहां उनका महाप्रयाण हुआ ।

जहां तक उनके प्रति भावनाओं के व्यक्त करने का सवाल है, तो मा0 नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, उसके अलावा मैं यह कह सकता हूं कि इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक मा0 सदस्य सम्भवतः बाबू त्रिवेनी राय को याद करते रहेंगे । इतनी आसानी से वह भूले नहीं जा सकेंगे । उनका विनोदी स्वभाव नहीं भुलाया जा सकेगा । मुझे तो बहुत दिनों तक उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला है तरह-तरह की हैसियतों में । लेकिन यह सत्य है कि वह हमारे बीच में नहीं हैं । हम इतना ही कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु बड़ी असामयिक हुई । भगवान उनके परिवार को इस दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करे और हम सब उनके परिवार के इस दुख में अपने दुख को शामिल करते हैं क्योंकि बाबू त्रिवेनी राय को हम अपने इस सदन के परिवार से पृथक नहीं कर पा रहे हैं । मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आपकी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा । ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे । हम उनके चरणों में अपनी

श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि 2 मिनट के लिए मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष–

सदन की आकांक्षा के अनुसार हम इस समय उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
19 अगस्त, 1982 ।

विधान सभा

नत्थी

(देखिए अतारांकित प्रश्न सख्या 32 का

माहवार चीनी, मिट्टी का तेल, कपड़ा तथा उर्वरक के आवंटित

(माह जुलाई, 1981 से मार्च, 1982 तक विकास क्षेत्र

क्रम संख्या	माह का नाम	नौतयन हथियागढ़				खेतिमपुर	
		चीनी कु0 में	मिट्टी का तेल	कपड़ा रु0 में	उर्वरक टन में	चीनी कु0 में	मिट्टी का तेल
1	2	3	4	5	6	7	8
	जुलाई, 81	23	1600	—	20	21	2500
	अगस्त, 81	21	—	—	20	24	—
	सितम्बर, 81	27	—	1438.34	20	34	2600
	अक्टूबर, 81	27	5300	—	10	34	5000
	नवम्बर, 81	26	2500	233.20	10	44	2500
	दिसम्बर, 81	25	—	—	20	38	—
	जनवरी, 1982	25	3500	—	10	38	5000
	फरवरी, 1982	25	3000	—	—	33	3200
	मार्च, 82	25	—	—	—	35	—
	योग	230	15900	1671.62	110	311	20800

क्रम संख्या	माह का नाम					देसही	देवरिया
1	2	3	4	5	6	7	8
	जुलाई, 81	25	—	—	50	23	—
	अगस्त, 81	27	—	4240.10	30	26	4500
	सितम्बर, 81	29	5000	—	—	24	—
	अक्टूबर, 81	29	5000	5214.50	10	24	2500
	नवम्बर, 81	35	5000	—	20	47	2500
	दिसम्बर, 81	29	—	2215.50	10	31	—
	जनवरी, 82	29	4000	—	10	31	—
	फरवरी, 82	29	—	—	—	30	5
	मार्च, 82	29	—	—	—	30	—
	योग	261	19000	11670.50	130	266	1500

"क"

उत्तर पीछे 40 पृष्ठ पर)

स्टाक की सूची

देसही देवरिया, जनपद देवरिया)

पिपरा दौला कटुम				परास खाड					
कपड़ा रु0में	उर्वरक टन में	चीनी कु0 में	मिट्टी का तेल	कपड़ा रु0में	उर्वरक टन में	चीनी कु0 में	मिट्टी का तेल	कपड़ा रु0 में	उर्वरक टन में
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	27	—	—	20	24	—	—	—
2097.09	—	27	2500	3000.98	40	28	2800	—	—
—	40	37	3600	3809.75	20	21	—	—	—
—	20	37	—	2383.35	—	21	—	—	—
—	82.500	33	—	—	20	24	2500	—	—
—	—	35	—	4012.34	40	12	—	—	28
—	—	35	2500	—	10	12	—	—	—
—	—	833	2800	4344.68	—	12	—	—	—
—	—	33	—	4636.46	—	12	—	—	—
2097.09	142.500	297	11400	22187.56	150	166	5300	—	20

डिघवा कोटैया

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2501.06	40	26	16000	—	40	23	—	2001.57	40
—	10	34	—	—	10	22	1600	—	10
2300.61	20	34	2500	1790.50	20	27	2500	635.72	30
—	10	34	5000	1244.45	—	27	—	1158.68	—
—	20	23	2500	1061.30	20	16	2500	952.45	20
4144.53	20	20	—	3801.72	20	13	—	1851.17	—
2318.57	20	20	2500	—	20	13	2000	—	10
—	—	20	—	2712.79	—	13	—	—	—
2246.17	—	20	3000	—	—	13	—	1978.90	—
13590.94	140	231	17100	10610	130	167	8600	8578.49	110

परिशिष्ट "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–48 का उत्तर पीछे पृष्ट 46 पर।)

संलग्नक "क"

उन सहायक अभियन्ताओं की सूची जिनके नामों पर चयन समिति द्वारा माह दिसम्बर, 78 एवं जनवरी, 79 के चयन के समय विचार किया गया।

1–श्री ए0सी0 नागर
2–श्री डी0डी0 सक्सेना
3–श्री आर0एन0 सेन
4–श्री वी0के0 रंगल
5–श्री एम0एल0 शर्मा
6–श्री के0बी0 टण्डन
7–श्री एच0सी0 सिंह
8–श्री डी0के0 गुप्ता
9–श्री वाई0पी0 खरे
10–श्री बी0 एन0 सरन
11–श्री दीना नाथ
12–श्री जी0एम0एल0 अग्रवाल
13–श्री वी0 के0 कथूरिया
14–श्री अतुल कृष्ण (अनु0 जाति)
15–श्री एस0सी0 गुप्ता
16–श्री कामेश श्रीवास्तव
17–श्री पीयूश कुमार
18–श्री सन्तोष कुमार मिश्रा
19–श्री बी0बी0 सिंह
20–श्री जमीर अहमद
21–श्री ए0के0 माथुर
22–श्री एच0सी0 श्रीवास्तव
23–श्री बी0एन0 दवे
24–श्री सुरेश चन्द्र (तृतीय)
25–श्री बी0एल0 गप्ता
26–श्री पी0के0 ग्रोवर
27–श्री महेन्द्र सिंह (तृतीय)
28–श्रीराम सिंह
29–श्री आर0सी0 गुप्ता
30–श्री रतन कुमार शर्मा
31–श्री डी0सी0 गुप्ता
32–श्री एस0के0 कपूर
33–श्री कृपाल सिंह
34–श्री राजेन्द्र नाथ शर्मा
35–श्री जी0एम0पी0 चौधरी
36–श्री एस0पी0 त्रिपाठी
37–श्री जे0पी0 त्रिपाठी
38–श्री एम0सी0 जैन
39–श्री वीरेन्द्र नाथ
40–श्री गुप्तेश्वर प्रसाद
41–श्री गजनफर अली
42–श्री बृजेन्द्र विक्रमादित्य
43–श्री टी0डी0 दरयाना
44–श्री जी0एम0 मेहरोत्रा
45–श्री आर0डी0 अग्रवाल
46–श्री ऋषि प्रकाश अग्रवाल
47–श्री ए0सी0 चतुर्वेदी
48–श्री राधेश्याम शर्मा
49–श्री आई0सी0 शर्मा
50–श्री एच0के0 लाल
51–श्री सुरेश कुमार गुप्ता
52–श्री एस0के0 शर्मा
53–श्री के0पी0 गुप्ता
54–श्री अनूप चन्द्र मिश्रा

अनुसूचित जाति के शेष अभ्यर्थी

1–श्री रनजीत सिंह वरुण
2–श्री एल0एस0 हंस
3–श्री श्रवण कुमार

संलग्नक "ख"

उन सहायक अभियन्ताओं की सूची जिनके नामों का चयन अनुशासनिक कार्यवाही के कारणों से नहीं हुआ।

1– श्री एम0एल0 शर्मा–फिरोजाबाद जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण कार्य करने के कारण।

2–श्री डी0सी0 गुप्ता–राही शीर्षस्थ जलाशय के ध्वस्त होने के मामले में इन्हें ड्राइंग की त्रुटि की चेकिंग करके, त्रुटि निवारण में सक्षम न होने के कारण ।

3–श्री एस0पी0 त्रिपाठी–नन्दगंज सिरोही चीनी मिल के प्रांगण में पेयजल एवं एफ्ल्यूएन्ट डिस्पोजल के कार्यों में अनियमितताओं एवं अनावश्यक विलम्ब के लिये दोषी पाया गया।

निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं को चयन समिति ने अभिलेखों के आधार पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया :–

1–श्री ए0सी0 नागर
2–श्री डी0डी0 सक्सेना
3–श्री एच0सी0 सिंह
4–श्री डी0 के0 गुप्ता
5–श्री आर0 सी0 गुप्ता

अविकल प्रति

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

क्रम सं0	विवरण	संख्या	दर	मूल्य
1	पी0टी0ओ0 बाक्स केस पाकेट गेयर	2 नग	..	1700.00
2	पी0टी0ओ0 बांक्स के आयल सिल	4 नग	40.00	160.00
3	पी0टी0ओ0 बाक्स खोलना बांधना व ओवरहालिंग व सेटिंग के कार्य	1 जाब	500.00	..
4	मड पम्प को खोलना व खराब सामान मरम्मत करके पुन: बांधना पैकिंग आदि बदलना	1 जाब	750.00	750.00
5	रिंग साइड के गेयर बा क्स की ओवर हालिंग	1 जाब	500.00	500.00
6	रिंग साइड के क्रास नया लगाना कम्पलीट	3 नग	250.00	750.00
7	ड्रम के वियरिंग बदलना, खोलना व बांधना तथा सही एडजस्टिंग खराब सामान बदलना	1 जाब	1500.00	1500.00
8	रोटरी खोलना ओवर हालिंग व मरम्मत करके बांधना ..	1 जाब	16.00.00	1600.00
9	रोटरी आयल बदलना व खराब छर्रे बदलना	1 जाब	2000.00	2000.00
10	होज पाइप कम्पलीट ..	1 सेट	65.00	65.00
11	एयर क्लिनर होज पाइप ..	1 सेट	25.00	25.00
12	सी0ए0बी0 फिल्टर ..	2 नग	80.00	160.00
13	डाइनमों की मरम्मत ..	1 जाब	21.00	210.00
14	रिंग साइड का सर्च लाइट ठीक करना व बल्व लगाना ..	1 जाब	180.00	180.00
15	मास्ट सिलिंडर बदलना व सेटिंग ..	1 जाब	350.00	350.00
16	पम्प आटोमाइजर का खोलना व मरम्मत करके बांट बांधना खराब सामान बदलना ..	1 जाब	300.00	300.00
17	रिंग साइड जैक की मरम्मत करना ..	1 जाब	400.00	400.00
18	स्टार्टिंग स्वीच बदलना कम्पलीट ..	1 नं0	120.00	120.00
19	हाई कार्बन स्टील से बने हार्डसिंग सैन्ड्रील ड्रम साफ्ट (3" × 5" लम्बे) का निर्माण एवं आपूर्ति	1 नं0	1600.00	1600.00
20	हार्डसिंग ड्रम क्लच जी एच कालर का निर्माण एवं आपूर्ति ..	1 सेट	725.00	725.00
21	एफ0आर0बी0 3611 बियरिंग की उपलब्धता तथा फिटिंग ..	2 नं0	850.00	1700.00
22	हार्डसिंग तथा सैन्डियल ड्रम फाइबर गेर प्लेट का टर्निंग तथा फेसिंग ..	3 नं0	25.00	75.00

क्र0 सं0	विवरण	संख्या	दर	मूल्य
23—	हाऊसिंग ड्रम तथा सैन्डियल ड्रम क्लच रोलर पिन तथा फिंगर इस्प्रिंग तथा फिटिंग इन क्लच तथा टेस्टिंगएट साइट आन लोड की उपलब्धता तथा फिटिंग	2 जाब	250.00	500.00
24—	आयल सील की उपलब्धता तथा फिटिंग	4 अदद	19.00	76.00
25—	स्टील फिटिंग प्लेट की टर्निंग एवं पालिसिंग तथा इसको मूल आकार में बनाना	10 नं0	250.00	250.00
26—	हाऊसिंग ड्रम फाइवर गियर प्लेट की उपलब्धता तथा फिटिंग	1 नं0	1650.00	1650.00
27—	3 लिंक चैन मुख्य क्लच चेन बाक्स हेतु मेक इ0 के0 जापान की उपलब्धता एवं फिटिंग	12 नं0	375 प्रति फिट	4500.00
28—	बियरिंग एन0 बी0 सी0 39586 की उपलब्धता तथा फिटिंग	2 नं0	825 प्रत्येक	1650.00
29—	हाऊसिंग तथा सैन्डियल ड्रम की फिटिंग तथा टेस्टिंग एट साइट लोड	1 जाब	250.00	250.00
30—	गियर बाक्स की मरम्मत—			
	(1) द्वितीय गियर की आपूर्ति	1 अदद	265.00	265.00
	(2) टाप गियर की आपूर्ति	1 अदद	310.00	310.00
	(3) मेन काउन्टर की आपूर्ति	1 अदद	450.00	450.00
	(4) गियर बाक्स हेतु बाल बियरिंग की आपूर्ति	3 अदद	190.00	570.00
	(5) गनमेटल यूनिवर्सल बुश की आपूर्ति	1 अदद	45.00	45.00
	(6) गियर बाक्स शाफ्ट की ओवर हालिंग एवं सम्बोलिंग	1 कार्य	75.00	75.00
	मेन पावर टेक गियर बाक्स—			
	(1) मेन पावर टेक के स्पाकेटस (प्राइमरी) व सेकेन्डरी के आंतों की बिल्डिंग ग्राईडिंग व प्रोफाईलिंग करके वास्तविक रूप में करना	504 दांत	4.00	2016.00
	(2) यू0 आर0 वी0 32210 बियरिंग की आपूर्ति	1 अदद	22.00	88.00
	(3) पावर टेक कम्पलिंग की बिल्डिंग टर्निंग व पालिसिंग	1 कार्य	35.00	35.00
	(4) मेंन पावर टेक गियर बाक्स की एसम्बलिंग व साइट पर टेस्टिंग	1 कार्य	140.00	150.00
31—	छोटी छोटी मरम्मतों पर व्यय	—	—	687.00
	कुल रुपया			29407.00

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–123 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

जनरल क्लर्क शिशिक्षुओं के नामों की सूची–

1–कु0 अंजनी माथुर
2–कु0 अनीता सिंह
3–कु0 रीता मेहरोत्रा
4–कु0 विजय लक्ष्मी
5–श्री शिव चरन लाल
6–श्री ध्रुव नारायण राव
7–श्री राजेन्द्र कुमार यादव
8–कु0 शोभा रानी
9–श्रीमती सरोज श्रीवास्तव
10–श्री राम नारायन यादव
11–कु0 पुष्पा नरयानी
12–श्री आनन्द स्वरूप त्रिपाठी
13–श्री सत्य शरण सिंह
14–श्री राम प्रसाद शरण सिंह
15–श्री राम नरेश सिंह
16–श्री बाल जीत सिंह
17–कु0 दयावन्ती
18–कु0 मंजु निगम
19–श्री शीतला प्रसाद तिवारी
20–श्री पवन कुमार दत्ता

नत्थियां

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–159 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर ।)

श्री सत्यनारायण सिंह भूतपूर्व संसद सदस्य व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

डी0 17/1 दशाश्वमेघ वाराणसी

दिनांक:

सेवा में,

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

महोदय,

हम आपका ध्यान वाराणसी के चीफ मेडिकल आफिसर श्री के0 सी0 गुप्ता के अनुचित एवं नियम विरुद्ध कार्यों की ओर आकर्षित करते हुए आवश्यक एवं उचित कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य प्रेषित हैं–

1–यह कि मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं और भूतपूर्व संसद सदस्य हूं। इधर के दिनों में मेरा स्वास्थ्य बहुत विगड़ गया है दोनों फेफड़ा खराब हो गया है।

2–यह कि मेरी अपनी कोई निश्चित आमदनी न होने के कारण मुझे औषधि के लिये सरकारी अस्पताल पर ही निर्भर रहना पड़ता है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन से अन्य खर्च चलना ही कठिन होता है।

3–यह कि उपचार के सम्बन्ध में कभी-कभी पूरी औषधि उपलब्ध न हो पाती ऐसी स्थिति में एक ही मार्ग रह जाता है कि उक्त औषधियां स्थानीय तौर पर खरीद कर उपलब्ध करायी जाय।

4–यह कि इस सम्बन्ध में जब मैंने चीफ मेडिकल आफिसर वाराणसी से बात किया तो उन्होंने औषधि उपलब्ध कराने से एक दम इंकार कर दिया। जबकि वह अपने मिलने जुलने वाले तथा साधन सम्पन्न लोगों को स्थानीय बाजार से खरीद कर औषधि दी जाती है।

5–यह कि उपरोक्त मामला तो मेरा व्यक्तिगत है किन्तु जैसी जानकारी मुझे मिली है कि उक्त चीफ मेडिकल आफिसर बहुत दिनों से वाराणसी में हैं और उन्होंने पूरे विभाग को भ्रष्टाचार का जबरदस्त केन्द्र बना रखा है।

6–यह कि उक्त चीफ मेडिकल आफिसर श्री के0 सी0 गुप्ता द्वारा भ्रष्ट व अनुचित तरीके की की गई कमाई और उनके द्वारा गत दिनों खरीदे गये सम्पत्ति आदि की गुप्त जांच की जाय तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस विभाग में कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त है।

अतः प्रार्थना है कि उक्त मेडिकल आफिसर श्री के0 सी0 गुप्ता के आचरण की गुप्त जांच करायी जाय और आवश्यक कार्रवाई की जाय।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) सत्य नारायण सिंह।

दिनांक:

प्रतिलिपि प्रेषित :

1–माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

2–श्री ऊदल एम0 एल0 ए0

3–श्री खैरुलवशर एम0 एल0 ए0

पी0एस0यू0पी0–एल0 166 वि0 सभा(395)–1983–813।